खंण्ड ६—अंक २८
२४ अगस्त, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देशमें) १ शिलिंग (विदेश में)

220 L. S. D./56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से १५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि उधार (स्थायीकरण) निधि

† **१३४३. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो राज्य सहकारी बैंक कृषि उधार (स्थायीकरण) निधि का संधारण कर रहे हैं या जिनसे भारत के रक्षित बैंक द्वारा ऐसी निधियों का संधारण करने के लिये कहा गया है, उन के नाम क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : आन्ध्र, बम्बई, मध्यप्रदेश तथा पैप्सू। इस संबंध में भारत के रक्षित बैंक द्वारा कोई सामान्य हिदायतें नहीं दी गई हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या किसी राज्य सहकारी बैंक ने राष्ट्रीय कृषि उधार (स्थायीकरण) निधि में से अब तक ऋण की मांग की है और, यदि हां, तो इस निधि में राज्य सहकारी बैंकों को जिन निबन्धन और शर्तों के अधीन ऋण दिये जाते हैं, वे क्या हैं ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही के रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक में इस निधि को जो राशि बंटित की गई है, उस में से अब तक स्थानीय निधियों को कितनी रकम बंटित की गई है ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : मुझे प्रश्न के संबंध में पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या निम्न स्तर पर सरकारी समितियों को या उच्चतर स्तर पर किसी अन्य संस्था को भी इस प्रकार की निधि गठित करने के लिये कहा गया है ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : विशिष्ट रूप से किसी से नहीं कहा गया है, परन्तु ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन में जो सिफारिशें दी गई हैं यह उन का एक भाग है और बाद में इसे भी लागू करना इच्छित है ; परन्तु अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

†मूल अंग्रेजी में।

आसाम भत्ता

†*१३४४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री २० अप्रैल, १९५६ को पूछे ग तारांकित प्रश्न संख्या १५८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से आसाम के हवाई अड्डों पर नियुक्त असैनिक उड्डयन कर्मचारियों को आसाम भत्ता देने के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विनिश्चय कब लागू किया जायेगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). मैं एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखता हूं **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १४]**

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : विवरण में कहा गया हैं कि वे भत्ते १ जून, १९५६ से दिये जायेंगे। क्या इस संबंध में आदेश जारी हो गये हैं ?

†**श्री राजबहादुर** : जी हां। आदेश जारी हो गये हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इन कर्मचारियों को दिये गये ये भत्ते इस प्रतिवेदन के अनुकूल हैं जो वहां के जीवन यापन-व्यय की उसी स्थान पर जांच करने के लिये वहां गये आधिकारी दल ने प्रस्तुत किय था।

†**श्री राजबहादुर** : यह मामला बड़े लम्बे समय तक वित्त मंत्रालय के परीक्षाधीन व विचाराधीन था। उन्होंन समचे प्रश्न की जांच की थी, यह सारे केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है। उन्होंने एक फैसला किया था और अन्त मे आदेश जारी हुये।

श्रमजीवी पत्रकार

†*१३४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार [सेवा की शर्तें] तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ की धारा २०(१) के अधीन नियमों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). श्रमजीवी पत्रकार के मामले में मजूरी बोर्ड जिस प्रक्रिया का अनुकरण करेगा, उसका नियम करने वाले श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड नियम, १९५६, तारीख ४ अगस्त १९५६ के 'गजेट आफ इंडिया' के भाग २ धारा ३ में प्रकाशित हुये थे, तथा १६ अगस्त १९५६ को लोक सभा पटल पर रखे गये थे। श्रमजीवी पत्रकारों को उपदान भुगतान, काम के घंटे, होने वाली छुट्टियां, मिलने वाली छुट्टियां आदि संबंधी नियमों को अभी अंतिम रूप देना शेष है। वे यथासमय लोक-सभा पटल पर रख जायेंग।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन नियमों को अन्तिम रूप देने के लिये मजूरी बोर्ड की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं तथा इन मामलों पर अन्तिम विनिश्चय करने के लिये कितनी बैठकें और की जायें ी ?

†**श्री आबिद अली** : बोर्ड की दो या तीन बैठकें हुई हैं। प्रश्नावली पर अन्तिम विनिश्चय हो गया है और सम्बद्ध पक्षों को भेज दी गई हैं तथा उनके उत्तर प्राप्त हो गये हैं। अब बोर्ड दौरा करना आरम्भ करेगा। हो सकता है कि वे पहिले त्रावनकोर-कोचीन जायं। आशा है कि वे अपना कार्य तीन या चार मास में समाप्त कर देंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह प्रश्नावली किन-किन अभिकरणों को भेजी गयी थी ; क्या यह केवल समाचार पत्र-मालिकों को भेजी गयी थी या श्रमजीवी पत्रकारों को भी भेजी गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री आबिद अली :** श्रमजीवी पत्रकारों को भी भेजी गयी थी। यह इस उद्योग से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को भेजी गयी थी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इन कर्मचारियों के उपदान संबंधी नियमों के बारे में अन्तिम विनिश्चय करने में विलम्ब होने का क्या कारण है, क्योंकि इन कर्मचारियों को कितने ही समय से निर्वाह मजूरी नहीं मिल रही है ?

†**श्री आबिद अली :** उन्हें मजूरी मिलती है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** निर्वाहन मजूरी ।

†**श्री आबिद अली :** इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास यह मामला अप्रैल में आया था। हमने नियम बनाये और मई में सम्बद्ध पक्षों के पास भेज दिये। जुलाई में प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई। उनकी टिप्पणियां भी उनके विचारों के लिये पार्टियों के पास भेज दी गई हैं। उनके टिप्पण आते ही, यथा सम्भव इन्हें सम्मिलित कर दिया जायेगा और फिर गजेट में प्रकाशित कर दिया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या इन नियमों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इन नियमों को सभी भाषाओं के पत्रों पर समान रूप से लाग् किया जाय यानी हिन्दी और दूसरी भाषाओं के पत्रों में और अंग्रेजी भाषा के पत्रों में कोई डिस्क्रिमिनेशन [भेदभाव] न किया जाय।

†**श्री आबिद अली :** इस बात पर भी विचार किया जा रहा है।

†**श्री गिडवानी :** क्या यह सच है कि कुछ समाचारपत्रों में काम करने वाले कुछ श्रमजीवी पत्रकारों को न तो बोर्ड की बैठक में भाग लेने की सुविधा है और न ही उन्हें इस कार्य के लिये कोई विशेष भत्ता दिया जाता है ?

†**श्री आबिद अली :** मुझे बोर्ड के एक सदस्य की शिकायत मिली थी। संबद्ध मालिक से छुट्टी देने को कहा गया और मैं समझता हूं कि छुट्टी दे दी गई है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मंत्री महोदय ने कहा है कि बोर्ड के सदस्य कुछ दौरा करेंगे। क्या वे विभिन्न समाचार पत्रों की वित्त-व्यवस्था और भुगतान के लिये उनकी क्षमता जानने के लिये दौरा करेंगे या वे भारत के विभिन्न भागों में इन पत्रकारों की रहन सहन की हालतें देखने के लिये ऐसा करेंगे ताकि इस संबंध में निष्पक्ष न्याय किया जा सके ?

†**श्री आबिद अली :** उन्हें अधिकार है कि वे अपने मतानुसार आवश्यक बातों की जांच करें। उन्हें कुछ भी करने की मनाही नहीं है।

†**श्री गिडवानी :** प्रेस परिषद् कब बनेगी ?

†**श्री आबिद अली :** मेरा ख्याल है कि यह काम श्रम मंत्रालय नहीं करेगा। इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछा जा सकता है।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच

† *१३४६. **श्री डाभी :** क्या **रेलवे** मंत्री २४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह विशेष जांच समाप्त हो गई है जो जिला अधिकारियों की समिति ने, जिसमें निरीक्षण पदाधिकारी भी सम्मिलित था, साबरमती में और जिला यातायात अधीक्षक अहमदाबाद के कार्यालय में इस भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में की थी कि साबरमती में उपेक्षित वाहनान्तर की बजाय बड़ी लाईन पर पशुओं के लदान का बुकिंग स्थानीय रूप से ही कर दिया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** (क) जी हां।

(ख) अवैध तोषण की मांग करने या भुगतान करने के विशिष्ट उदाहरणों के रूप में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और इस प्रकार भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं माना गया।

†**श्री डाभी :** क्या मैं यह समझूं कि जांच हुई थी और किसी भ्रष्टाचार का पता न चला ?

†**श्री अलगेशन :** जी हां।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** जांच किसने की थी ?

†**श्री अलगेशन :** जिला अधिकारियों की एक समिति ने।

†**श्री पुन्नूस :** जांच करने का आदेश कब दिया गया था ?

†**श्री अलगेशन :** मुझे तारीखें मालूम नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार आयोजन

***१३४७. श्री भक्त दर्शन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार आयोजन का प्रचार करने वाली योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका ह ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की मोटी रूपरेखाओं और उसके वित्तीय पहलुओं का एक ववरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) इस योजना को कहां कहां पर और कब से चालू किया जायेगा ; और

(घ) यदि अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ तो कब तक हो जाने की आशा है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) आशा है कि अगले तीन महीनों के अन्दर इस योजना पर अन्तिम निर्णय हो जायेगा। इस बारे में अन्तर्विभागीय सलाह लेनी आवश्यक थी जिससे कुछ देर हो गयी।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि ग्रामीण जनता को उन्हीं की भाषा में और उन्हीं के ढंग पर इस विषय को समझाने की आवश्यकता है, इसलिये क्या ग्रामीण पंचायतों, कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स और नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स [राष्ट्रीय विस्तार सेवा] के अधिकारियों का इस विषय में सहयोग लेने पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मेरे ख्याल में यह काम पंचायतों के हाथ में तो देना जरा मुश्किल होगा लेकिन जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर्स गांवों में काम कर रहे हैं, वे कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स के द्वारा और नेशनल एक्सटेंशन ब्लॉक्स के द्वारा यह काम करेंगे और मोबाइल वैन्स भी इसमें इस्तेमाल की जायेंगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात पर भी विचार किया गया है कि परिवार नियोजन का काम ऐसे व्यक्तियों के हाथों में दिया जाय जिनको कि वैवाहिक जीवन का व्यावहारिक अनुभव हो और यह काम ऐसे लोगों को न दिया जाय जिन्होंने केवल पुस्तकों में कुछ पढ़ कर ज्ञान प्राप्त किया हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह काम ऐसे लोगों के हाथ में क्यों दिया गया है जिन्हें वैवाहिक जीवन का कोई अनुभव नहीं है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : यह तो मैं कहने को तैयार हूं कि ऐसे ही व्यक्ति इस काम को उठायेंगे जो जनता से संबंध रखते हैं, जो जनता को समझते हों और जो हमारे रिवाजों को भी समझते हों।

†**श्री गिडवानी** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गांवों में कितने क्लिनिकस् खोले जायेंगे और उन पर कितना धन व्यय होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग २००० क्लिनिकस् गांवों में खोले जायेंगे और केवल ग्रामीण क्लिनिकों की लागत लगभग २३० लाख रुपये होगी।

†**श्री गिडवानी** : क्या वे पृथक् इकाइयां होंगे या उनका संबंध देश भर में फैले हुए स्वास्थ्य संस्थाओं से होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : उनमें से अधिकतर मूल स्वास्थ्य इकाइयों के संबंध में होंगे तथा वे प्रसव और शिशु स्वास्थ्य योजनाओं के साथ कार्य करेंगे।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या सरकार को किन्हीं ऐसे मामलों का पता लगा है जहां गलत ढंगों के विज्ञापनों से स्त्रियों को हानि हुई है, और यदि हां तो, तो क्या ऐसे गलत ढंगों के विज्ञापनों के लिये दण्ड दिया गया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : विज्ञापन उनके दिये जाते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते। यथा सम्भव हम अपने केन्द्रों को यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि स्त्रियों से ऐसे विज्ञापनों की ओर ध्यान न देने के लिये कहा जाय। जहां कहीं हम इनके विरुद्ध नऐ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं वहां हम कार्यवाही करते हैं।

सहकारी खेती

†*१३४८. **सरदार अकरपुरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी खेती का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) सहकारी खेती को सफल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी राज्यवार पृथक आंकड़े निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में, जो पिछले मास मसूरी में हुआ था, यह विनिश्चय किया गया था कि इस वर्ष सहयोगी खेती के ५०० प्रयोग किये जायें।

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकता हूं इस के टार्गेट नियत करने का फैसला कब तक हो जायेगा ?

डा० पं० श० देशमुख : टेंटेटिव टार्गेट [अस्थायी लक्ष्य] तो फिक्स किया गया है, १२५०, मगर अभी इस के डिटेल्स वर्क आउट नहीं हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : अगले महीने में राज्य सरकारों से बात होने वाली है और उस में यह निश्चय हो जायेगा कि किस राज्य को कितने फार्म दिये जायेंगे। मैं इतना और बता दूं कि दूसरी फाइव इअर प्लैन में कहा गया है कि १२५० का टार्गेट है, लेकिन अब हमारा निश्चय यह है कि हर एक कम्यूनिटी प्राजेक्ट एरिया में और एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक [विस्तर सेवा खण्ड] के अन्दर कम से कम एक कोआपरेटिव फार्म दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में कायम किया जायेगा।

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी स्टेट में कोई कोआपरेटिव फार्म नहीं भी कामयाब हुये हैं?

श्री अ० प्र० जैन : हां, लेकिन कुछ फार्म सफल हुये हैं और अच्छे चल रहे हैं।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछली पंच-वर्षीय योजना के काल में कितने कोआपरेटिव फार्म खोले गये थे और उन में से कितने कामयाब हुये, और क्या यह हकीकत है कि यू० पी० के चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों यह बयान दिया है कि कोई कोआपरेटिव फार्म कामयाब नहीं हुआ है ?

श्री अ० प्र० जैन : पहली पंच-वर्षीय योजना में लगभग १५०० फार्म चलाये गये थे। अब, यह कहना तो मुश्किल है कि उन में से कितने कामयाब हुये हैं। लेकिन जो एक सर्वे किया गया उस से मालूम होता है कि थोड़े फार्म कामयाब हुये हैं। अब जो योजना हम बनाने जा रहे हैं, मुझ को आशा है कि यह फार्म उस में जरूर कामयाब होंगे क्योंकि वह देश के लिये बहुत आवश्यक हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस बारे में मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि कुछ गलतफहमी दिखाई देती है। आप में से जिन साहबों ने सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन को पढ़ा है वे देख सकते हैं कि उस में कोआपरेटिव फार्मिंग पर कितना जोर दिया गया है। मैं कोआपरेटिव फार्मिग कहता हूं, खाली कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नहीं। जो कोआपरेटिव फार्मिंग नाम की चीज है उस पर जोर दिया गया है, और वह जरूरी बुनियाद है हमारे सारे ऐग्रिकल्चर के काम की और सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन की। हमारी राय यह है, और अगर कोई स्टेट के मिनिस्टर इस पर शक करते हैं तो वह आकर हम से बातचीत करें क्योंकि इस के तो माने यह हैं कि जो बिल्कुल बुनियादी बात हमने समझी है, उस को वह नहीं समझे हैं।

सेठ गोविन्द दास : सरकारी कोआपरेटिव फार्मिग देश में बहुत आवश्यक है, यह तो ठीक है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि हर राज्य में सहकार पद्धति से काम चलाने के लिये अलग अलग कायदे हैं और कुछ राज्यों में वे कायदे इतने सख्त हैं और इतने मतभेद वाले हैं कि वहां पर इस प्रकार के सहकार फार्मों के चलने में यह कायदे ही सब से बड़ी दिक्कत हैं। क्या इस बात का भी विचार किया जा रहा है कि सारे देश में इस सम्बन्ध में एक से कायदे हों और जो दिक्कतें हों वे दूर की जायें ?

श्री अ० प्र० जैन : माननीय सदस्य ने जो कहा कि कुछ राज्य में ऐसे कायदे हैं जो सहकार खेतों के बढ़ने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, यह ठीक है। कुछ राज्यों के अन्दर कायदा यह है कि अगर किसान अलग अलग अपने खेत करें और उन के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन हो तो उन को ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर २०, २५ या ५० किसान मिलकर सहयोगी खेती करें, तो आमदनी बढ़ती है, इस लिये इनकम टैक्स लग जाता है। तकावी के बारे में भी ऐसा ही है। मैं यह तो नहीं कहता कि सब जगह एक से कायदे हो जायेंगे, लेकिन जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जायेगा क्योंकि हम इन फार्मों को कामयाब करना चाहते हैं।

†**श्री कामत** : क्या सरकार केवल सहकारी खेती को ही प्रोत्साहन देना चाहती है, या रूस के नमूने पर सामूहिक खेती को भी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० प्र० जैन** : अब तक हमारी योजना सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने की है। हमारा विचार सामूहिक खेती अपनाने का नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सहकारी खेती के विकास और प्रोत्साहन के लिये आदिम जातीय अर्थ व्यवस्था का ढंग अधिक सहायक है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कितने आदिम जातीय क्षेत्रों या अनुसूचित जातीय क्षेत्रों में इसका प्रयत्न किया है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं इस प्रश्न का उत्तर एकदम नहीं दे सकता। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह वचन दे सकता हूं कि मैं उन क्षेत्रों पर अत्यधिक जोर दूंगा जहां इसके सफल होने की सर्वाधिक सम्भावना है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या यह सही है कि रशिया जैसे स्थान में भी यह साबित हो चुका है कि कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत सक्सेसफुल नहीं होती है क्योंकि जो फार्मर्स हैं वे अपने छोटे बगीचों में ज्यादा मेहनत करते हैं और बड़े बगीचों में उतनी मेहनत नहीं करते ?

श्री अ० प्र० जैन : रूस के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं है, वहां क्लेक्टिव फार्मिंग है। जो हमारा कोआपरेटिव फार्मिंग का पैटर्न है वह रूस के पैटर्न से अलग है और आशा है कि वह जरूर कामयाब होगा।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या कोआपरेटिव फार्मिंग में यह नहीं हो रहा है कि जो आदमी उस का काम करता है वह दूसरों से आर्थिक भाग ले कर खुद फायदा उठाता है और उस का उन्हें कोई भाग या हिसाब नहीं देता है ?

श्री अ० प्र० जैन : किसी चीज की कामयाबी का अन्दाजा बेईमान आदमी के काम से तो नहीं लगाया जा सकता।

श्री रा० न० सिंह : क्या यह सही है कि सरकार के कुछ नियम और कानून ऐसे होते हैं जिन से सहकार कृषि फार्म असफल हो जाते हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : इस का जवाब तो मैं दे चुका हूं ।

कारखानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम

†*१३५०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कारखानों में दुर्घटनाओं के निवारण के लिये सुरक्षा-पत्रिकायें तैयार करने में कितनी प्रगति हुई ह ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : विभिन्न प्रकार की मशीनों पर सुरक्षा पत्रिकायें तैयार करने के लिये मूल जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से चार समितियां बनाई गई थीं। एक समिति अपना कार्य समाप्त कर चुकी है और आशा है कि वह शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। अन्य समितियां अभी अपना कार्य कर रही हैं।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या की गई या की जाने वाली कार्यवाही के परिणामस्वरूप आवश्यक कारखानों में दुर्घटनाओं की दर में कोई कमी हुई ?

†**श्री आबिद अली** : निश्चय ही, प्रयत्न यही है।

†**श्री बोस** : क्या सरकार को विदित है कि दुर्घटनाओं के निरोध विषयक आन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के कई अभिसमय हैं, और यदि हां, तो क्या उन्होंने उन समझौतों की सहायता की है ?

†**श्री आबिद अली** : इन समझौतों के बारे में हमने जो कार्यवाही की है या करेंगे, उसके बारे में संसद को पहिले ही बता दिया गया है। यह सभापटल पर पहिले ही रख दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विमानों का प्रतिस्थापन

†*१३५१. **श्री जयपाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए चालू वर्ष में कितने और कैसे स्थानापन्न विमानों का क्रयादेश दिया गया है ;

(ख) कितने डकोटा और हेरोन विमान अतिरिक्त घोषित होंगे ; और

(ग) अतिरिक्त विमानों का उत्सर्जन कैसे होगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) १९५५ में पांच विसकाउन्ट विमानों के लिए क्रयादेश दिया गया था, तथा इस चालू वर्ष में "इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन" ने सरकार की अनुमति से पांच और विसकाउन्ट विमानों का क्रयादेश दिया है।

(ख) कोई डकोटा या हेरोन विमान अतिरेक नहीं होगा।

(ग) कारपोरेशन का विचार दसों विसकाउन्ट विमानों के आने पर विकिंगस् विमानों को बेचने का है। साधारणतया विकिंगस् विमानों को ऐसी फर्मों द्वारा बेचा जायेगा जिन्हें ऐसे व्यापार का विशेष ज्ञान है।

†**श्री जयपाल सिंह :** जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने बताया है, भाग (क) के संबंध में दसों विसकाउन्ट विमानों के आने और प्रयोग होने पर डकोटा विमान अतिरेक नहीं होंगे, मैं जानना चाहता हूं कि जिन डकोटा विमानों के स्थान पर विसकाउन्ट विमान रखे जायेंगे, उनका क्या प्रयोग होगा ?

†**श्री राजबहादुर :** हम नये वायु मार्ग खोलने और विमान सेवाओं का विस्तार करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। हमारा विचार इन विसकाउन्ट विमानों को बड़े मार्गों पर और डकोटा विमानों को कम महत्वपूर्ण या सहायक मार्गों पर चलाने का है।

†**श्री जयपाल सिंह :** (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि विशेष योग्यता रखने वाली एजेंसियों द्वारा विक्रय किया जायेगा। स्वयं सरकार विशेष योग्यता रखने वाली एजेंसियों की बजाय ऐसा क्यों नहीं करती ?

†**श्री राजबहादुर :** हम इनके विक्रय में अधिकतम मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं तथा समस्त साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न करेंगे और वहां विक्रय करेंगे जहां हम अपनी वस्तुओं का अधिकतम मूल्य मिल सके।

†**श्री कासलीवाल :** क्या सरकार ने इस विसकाउन्ट विमानों के क्रय के बाद इल्युशिन विमानों के क्रय का विचार छोड़ दिया है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** इस प्रकार कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि विसकाउन्ट विमान इल्युशिन विमान से सर्वथा भिन्न है। इल्युशिन विमान डकोटा की किस्म के हैं।

सिंकोना की खेती

†*१३५२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊटाकुमंड में अक्तूबर, १९५५ में हुये सम्मेलन की सिंकोना की खेती सम्बन्धी सिफारिश स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां तो वह इसे कब कार्यान्वित करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां।

(ख) कुनीन सम्मेलन में पारित हुये संकल्पों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १५**]

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : विवरण से यह प्रकट होता है कि राज्य सरकारों को सिंकोना की खेती के सम्बंध में तुरन्त कार्यवाही करने के हेतु लिखा गया है। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमें उनसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मलेरिया-विरोधी प्रयोग के अतिरिक्त सिंकोना किसी और प्रयोजन से भी प्रयुक्त होता है?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी हां, इसमे कुछेक और प्रयोग भी संभव हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् को इस मामले की छानबीन करने के लिये कहा गया था तथा उनके अनुसार सिंकोना के प्रयोग को मलेरिया विरोधी प्रयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों से भी बहुत जनप्रिय बनाया जा सकता है। उनके अनुसार सिंकोना के नमक १५ वर्ष पहले शल्यक्रिया अवस्था में प्रयुक्त होते थे। इसमें पांच गुणों के होने से इसकी भावी प्रयोग से भी छानबीन हो सकती है। अतएव भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने एक अध्ययन गुट बनाया है। उन्हें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसके बाद अग्रेतर उपाय किए जायेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं जान सकता हूं कि भारतीय प्रमाप संस्था को सिंकोना के गुण-प्रकार तथा पैकिंग के प्रमापीकरण के मामले में क्यों नहीं पूछा गया है?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : प्रश्न उक्त संस्था से सहायता लेने का नहीं है। हमने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी को नियुक्त किया है जो एक परिव्यय लेखा अधिकारी ह तथा जो ऐसे दो राज्यों का दौरा कर रहे ह जिनमें सिंकोना की खेती होती है। इसके बाद एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायगा।

†**श्री बर्मन** : क्या भारत को कुनीन का आयात करना पड़ता ह तथा क्या अन्य राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल या मद्रास आदि में भी, सिंकोना की खेती का विस्तार किया जा रहा है?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम कोई कुनीन आयात नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल तथा मद्रास में वर्तमान उत्पादन पर्याप्त है तथा हम सारी उपज की खपत नहीं कर पाए हैं। अतएव हम इसके प्रयोग की कार्यवाही कर रहे हैं तथा अधिक उत्पादन का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्राणीजी को यह बात मालूम है कि मध्य प्रदेश में बस्तर एक ऐसा स्थान है जहां कि यह कहा जाता है कि वहां पर सिंकोना पैदा किया जा सकता है। क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई लिखा-पडी हुई है?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : बात यह है कि आज भी जो सिंकोना हम मद्रास और बंगाल में पैदा कर रहे हैं उसका उपयोग करना भी हमारे लिये मुश्किल है। इसका कारण यह है कि स्टेट्स अकसर जो सिंथेटिक ड्रग्ज (संश्लिष्ट औषधियां) हैं उनको ज्यादा पसन्द करती हैं। इस वास्ते सिंकोना प्लांटेशन को और भी बढ़ाना आज हमारे लिये जरा असम्भव सी बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जैसा काम वैसा दाम

*१३५५. { श्री खू० चं० सोधिया :
श्री नि० बि० चौधरी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या "जैसा काम वैसा दाम" के सिद्धान्त को देश के उद्योगों में से किसी पर लागू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : काम के अनुसार वेतन देने का तरीका किसी खास उद्योग में ही सीमित नहीं है। उद्योग के कुछ कामों के लिये काम के अनुसार वेतन निश्चित करना संभव है, परन्तु सब कामों के लिये ऐसा नहीं किया जा सकता। काम के अनुसार वेतन विभिन्न मात्रा में कई एक उद्योगों में दिया जा रहा है ; जैसे—सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, छापाखाना, कागज और चीनी आदि।

श्री खू० चं० सोधिया : क्या इस तरीके को और विस्तृत करने का सरकार इरादा रखती है ?

†**श्री वेलायुधन** : इस प्रश्न का अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले अनुपूरक का उत्तर दे लेने दीजिये।

श्री आबिद अली : जहां तक कारखानेदार और कामगार का ताल्लुक है, उसके निमित्त यह काम होता रहता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस प्रश्न का अंग्रेजी में भी उत्तर पढ़े।

[माननीय मंत्री द्वारा अंग्रेजी में उत्तर पढ़ा गया]

†**श्री बोस** : क्या सरकार को विदित है कि श्रमिक आमतौर से काम के अनुसार वेतन के पक्ष में उतना नहीं हैं जितना कि कार्य समय के अनुसार वेतन के पक्ष में हैं ?

†**श्री आबिद अली** : यह तो अपना अपना मत है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या सरकार की यह नीति है कि श्रम से अधिक काम करने के लिये वह काम के अनुसार वेतन के तरीके को प्रोत्साहन देना चाहती है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, जहां कहीं भी ऐसा करना सम्भव हो।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि विश्व में सर्वत्र सुसंस्कृत लोगों की यह राय है कि काम के अनुसार वेतन की प्रणाली केवल न्यूनतम मजूरी पर ही नहीं बल्कि सभी मजूरी पर लागू की जानी चाहिये ? चूंकि अधिकांश मजदूर अभी न्यूनतम मजूरी पाते हैं, क्या इस प्रणाली के लागू किये जाने से उन्हें हानि न होगी?

†**श्री आबिद अली** : वास्तव में यह प्रणाली बम्बई पत्तन पर शुरू की गई है और श्रमिक उसे बहुत पसन्द करते हैं। उनकी आमदनी दुगनी हो गई है और कभी कभी तो दुगनी से भी अधिक हो जाती है ?

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मैं जानना चाहती हूं कि क्या स्त्रियों और पुरुषों को बराबर बराबर वेजिज देने की बात भी सोची जा रही है या नहीं ?

श्री आबिद अली : गवर्नमेन्ट की नीति तो यही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वेलायुधन** : क्या भारत के बहुत से उद्योगों में मजूरी काम के अनुसार नहीं बल्कि प्रबन्धकों की इच्छानुसार निश्चित की जाती है ?

†**श्री आबिद अली** : यह माननीय सदस्य का मत और अनुभव हो सकता है।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के विशेषज्ञों, औद्योगिक व्यापार के परामर्शदाताओं अथवा स्वयं सरकार ने योजना आयोग के निर्देशक तत्वो के अनुसार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये गये इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या "उत्पादन के वर्तमान स्तर पर भी मजूरी बढ़ाने की कोई गुंजाइश है" ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां। हम इस समस्या के प्रति काफी जागरुक हैं और इस पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि बम्बई पत्तन पर मजदूर की औसत मजूरी दुगनी हो गई है।

क्या हम इन दोनों अवधियों में मजूरी के तुलनात्मक आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मजूरी काफी बढ़ गई है और कुछ मामलों में तो वह दुगनी हो गई है। यदि माननीय सदस्य और जानकारी चाहते हैं तो उन्हें एक प्रश्न की सूचना देनी चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या आप अभी नहीं बता सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद वे एकदम नहीं बता सकेंगे।

थाना में रेल का पुल

† *१३५७. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि कोपरी बस्ती और अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले विस्थापित लोगों की सुविधा के लिये थाना में रेलवे पुल बनाया जाये अथवा उसे और लम्बा किया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) थाना में पैदल चलने के रेलवे पुल को और लम्बा करने का कार्य १९५७-५८ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने का विचार है।

†**श्री गिडवानी** : यह कब प्रारम्भ होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : १९५७-५८ में ।

मैसूर में वन गवेषणा केन्द्र

† *१३६०. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर में एक प्रादेशिक वन गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, वहां गवेषणा के प्रमुख विषय क्या होंगे ; और

(ग) इस संस्था का आवर्तक और अनावर्तक व्यय कितना होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) इस केन्द्र में वनोत्पाद के उपयोग एवं चन्दन के 'स्पाइक' रोग के सम्बन्ध में गवेषणा की जायेगी।

(ग) आवर्तक और अनावर्तक व्यय का प्राक्कलन अभी तैयार नहीं किया गया।

†**श्री मादिया गौडा** : यह केन्द्र नगर क्षेत्र में खोला जायेगा अथवा वन क्षेत्र में ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : हम उस विद्यमान प्रयोगशाला को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं कि वह कहां स्थित है।

†**श्री मादिया गौडा** : यदि यह बंगलोर नगर में ही है तो क्या वे उसे वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रयत्न करेंग ताकि वनों के समीप ही गवेषणा की जा सके ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: वर्तमान स्थान बिल्कुल ठीक है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस का सारा व्यय केन्द्रीय सरकार करेगी या राज्य सरकार भी उसका कुछ अंश देगी ?

†**डा० पं० श० देशमुख**: शायद इस के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ उपबन्ध है। किन्तु इस बटवारे के बारे में मैं अधिक नहीं बता सकता।

भोजन व्यवस्था

*१३६१. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विभागीय कैन्टीन खुल जाने के बाद स्टेशनों पर भोजन-व्यवस्था करने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों के यहां खाद्य पदार्थ तथा सफाई का स्तर गिर गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि भोजन व्यवस्था करने वाले बहुत से व्यक्ति प्रायः अपने रसोइयों और बैरों को बदलते रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप नये, अनजान और अनुभवशून्य रसोइयों के द्वारा अच्छा भोजन या अच्छी चाय नहीं बन पाती ; और

(ग) क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी नहीं, बल्कि जब से सभी रेलों में रेलवे की तरफ से खान-पान की व्यवस्था शुरू की गयी है, प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा बेची जाने वाली खाने-पीने की चीजों के स्तर में आम तौर पर सुधार दिखायी पड़ रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

†**सरदार अ० सिं० सहगल**: क्या सरकार कुछ सदस्यों को रेलवे में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिये भेजेगी और उन से कहेगी कि वे विभागीय भोजन-व्यवस्था के बारे में अपनी राय दें ?

†**श्री अलगेशन** : बहुत से सदस्यों ने इस बारे में अपनी राय मुझे दी है। वे आम तौर से इससे संतुष्ट हैं। कुछ प्रादेशकि समितियां भी हैं। जिन में संसद् सदस्य भी हैं। वे ऐसे भोजनालयों का निरीक्षण करते हैं और अपनी राय देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्** : क्या माननीय मंत्री ने हाल में ग्रान्ड ट्रंक एक्सप्रेस में खाना खाया है जो मद्रास और दिल्ली के बीच चलती है और क्या उन्होंने यह नहीं देखा है कि उस गाड़ी में बहुत खराब भोजन मिलने लगा है ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्या अपने स्वभाव में दिन प्रति दिन कोमल होती जा रही हैं और वह अतिशयोक्ति भी कर रही हैं।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्** : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री इस प्रकार का उत्तर देते हैं। अच्छा तो यह होगा कि माननीय मंत्री ऐसे किसी अन्य सदस्य से पूछें जो मेरी भांति कोमल नहीं हैं और जो इस गाड़ी से मद्रास से दिल्ली या दिल्ली से मद्रास तक यात्रा करता है और यह पता लगायें कि उस गाड़ी में किस प्रकार का भोजन मिलता है।

†**श्री अलगेशन** : मैं नें स्वयं उस गाड़ी में खाना खाया है।

†**श्री वेलायुधन** : हम उस को उदाहरण के रूप में नहीं मान सकते।

†**श्री अलगेशन** : प्रश्न यह था कि मैंने उस में भोजन किया है या नहीं ? उत्तर यह है कि मैंने भोजन किया है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या आप ने उस गाड़ी में भोजन किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उन्होंने मंत्री की हैसियत से उस का स्वाद न लिया होता तो वे इस का उत्तर देने न आते।

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य ने विदेशों की रेलों में भोजन किया है या नहीं। मैं यहां के और वहां के भोजन की तुलना करने के लिये उनसे कहता हूं। ग्रान्ड ट्रंक एक्सप्रेस से जाने के अवसर मुझे भी प्राप्त हुये हैं और मैं कह सकता हूं कि विभागीय भोजन व्यवस्था शुरू होने के बाद पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा भोजन मिलने लगा है। यह एक आम राय है जो मुझे बताई गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब एक उत्तरदायी सदस्य ने यह कहा है कि भोजन खराब मिलने लगा है तो माननीय मंत्री को इस की जांच करनी चाहिये।

†**श्री अलगेशन** : मैं उस की जांच करने के लिये तैयार हूं किन्तु मेरा कर्तव्य यह भी है कि मैं इस विषय का दूसरा पहलू भी सभा के सामने रखूं, जो मैंने रखा है।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री किसी माननीय सदस्य की आयु के सम्बन्ध में क्यों आलोचना करते हैं। इसका रेलगाड़ी में भोजन व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : रेलवे द्वारा भोजन व्यवस्था अपने हाथ में लिये जाने से पहले जो प्रबन्धकीय कर्मचारी थे, क्या वे अब भी हैं और यदि हां, तो माननीय मंत्री यह आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि उस गाड़ी में अच्छा भोजन मिल सकेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जब उस भोजन व्यवस्था और उसके सारे प्रबन्ध को विभागीय प्रबन्ध के अधीन लाया गया था तो उस समय यह शर्तें रखी गई थीं कि उस में ठेकेदारों द्वारा नियोजित व्यक्तियों की उपयोगिता तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये सेवाएं यथाशक्ति जारी रखी जायेंगी। अतः हमने ठेकेदारों के कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखी हैं। कुछ बैरे और कुछ प्रबन्धकों के रूप में काम करने वाले व्यक्ति भी वहां मौजूद हैं किन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि सब लोग वहां पुराने ही हैं। रसोई विभाग आदि के लिये नये कर्मचारी भी नियुक्त किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मात्तन :** मैं माननीय उपमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि भोजन में यह सुधार कब से आरम्भ हुआ है? दो महीने पहले जब मैंने यात्रा की थी तब तो यह बात नहीं थी।

†**श्री अलगेशन :** भोजन तो व्यक्तिगत पसन्द की चीज है और सब की पसन्द का भोजन तैयार करना बहुत कठिन है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि एक माननीया सदस्या ने जो आम-तौर पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहती और उसी क्षेत्र के एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि भोजन खराब मिलने लगा है तो मैं दोनों मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि इस की जांच की जाये क्योंकि माननीय मंत्री को लोग जानते हैं अतः संभव है कि उन्हें अच्छा खाना दिया गया हो।

श्री अलगेशन : मैं इसकी अवश्य जांच करूंगा।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह तो मैं भी समझ सकता हूं कि मंत्री जब यात्रा करते हैं तो उन्हें सामान्यतया अच्छा भोजन दिया जायेगा किन्तु म यह बताना चाहता हूं कि मैं भी जलपान गृहों तथा भोजनालयों में गया हूं और कभी कभी तो मैंने अकस्मात् पहुंच कर वहां भोजन किया है और मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूं कि भोजन पहले से अच्छा है। मैं ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि कुछ समय से मैंने उस में यात्रा नहीं की, किन्तु यह तो निश्चित है कि विभागीय भोजन व्यवस्था के बाद भोजन काफी अच्छा हो गया है।

लाम्फेल में गव्य शाला

†***१३६४. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार का लाम्फेल में एक कृषि व पशु फार्म शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कितनी रकम का उपबन्ध किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों नें लाम्फेल में ऐसी फार्म खोलने के विपक्ष में राय दी है।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) :** (क) जी हां।

(ख) पचास हजार रुपये।

(ग) जी नहीं।

†**श्री रिशांग किशिंग :** क्या सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है और यदि हां, तो व्यय की मुख्य मदें क्या हैं?

†**डा० पं० श० देशमुख :** पूरी योजना तैयार कर ली गई है। हम लगभग १२०गायें खरीदेंगे। कार्यालयों और प्रयोगशालाओं के लिये इमारतें तैयार की जायेंगी और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाये जायेंगे। मुर्गियां भी खरीदी जायेंगी। १५०–४५० रुपये के वेतन-क्रम में एक फार्म अधीक्षक रखा जायेगा और अन्य कर्मचारी भी होंगे। पशुओं तथा मुर्गियों के चारे पर भी व्यय किया जायेगा।

†**श्री रिशांग किशिंग :** इस फार्म के अधीन लाम्फेल का कौन सा क्षेत्र रहेगा?

†**डा० पं० श० देशमुख :** मैं उस क्षेत्र को तो नहीं बता सकता। बताया जाता है कि कुल क्षेत्र ३००० एकड़ है जिस में से ३०० एकड़ में खेती की जाती है। मैं नहीं कह सकता कि कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रिशांग किशिंग:** इस फार्म को शुरू करने से पहले क्या विशेषज्ञों की राय ली गई थी और यदि हां तो उनकी क्या राय थी ?

†**डा० पं० श० देशमुख :** जी हां। भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के पशुपालन विशेषज्ञों से इस योजना के पशुपालन भाग के लिये राय ली गई थी।

†**श्री रिशांग किशिंग :** इस कृषि व पशु फार्म को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

†**डा० पं० श० देशमुख :** प्रथम तो यह है कि इस क्षेत्र के पशुओं की नसल में सुधार किया जाये। दूसरा यह कि धान के अच्छे बीज दिये जायें। जैसा कि सब को विदित है, यह राज्य धान की खेती पर निर्भर करता है और वहां ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां धान जो इस क्षेत्र की बहुत अच्छी फसल हो सकती है पैदा किया जाता हो। अतः इसी विचार से यह फार्म खोला गया है।

दक्षिण रेलवे की बहुत सी मंजिलों वाली इमारत

† *१३६५. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ के बजट में उपबन्धित दक्षिण रेलवे की बहुत सी मंजिलों वाली शीतोष्ण-नियंत्रित इमारत के स्थान का अंतिम निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां तो वह स्थान कौनसा है ; और

(ग) कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां।

(ख) यह इमारत पार्क टाउन, मद्रास के वर्तमान जनरल आफिसेज के अहाते में बनेगी।

(ग) डिजाइन को अंतिम रूप देने और प्राक्कलन की मंजूरी के बाद कार्य तुरन्त आरम्भ हो जायेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** इस का अंतिम प्राक्कलन क्या है ?

†**श्री अलगेशन :** लगभग ४८ लाख रुपये।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मद्रास और त्रिचनापल्ली में पहले ही मुख्यालय की दो इमारतें हैं जिन में दक्षिण रेलवे के बहुत से कर्मचारी काम कर सकते हैं, क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि एक और बड़ी शीतोष्ण-नियन्त्रित इमारत भी मद्रास ही में बनाई जाये ?

†**श्री अलगेशन :** जब तक नितान्त आवश्यक न हो तब तक हम कार्यालय के लिये इमारत नहीं बनवायेंगे। वर्तमान कर्मचारियों के लिये स्थान की कमी है और यह हिसाब लगाया गया है कि लगभग १,३८,००० वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या वर्तमान इमारतें शीतोष्ण-नियंत्रित नहीं की जा सकतीं ?

†**श्री अलगेशन :** मुझे ज्ञात नहीं है कि नई इमारतें शीतोष्ण-नियंत्रित होंगी या नहीं और मुझे यह भी पता नहीं कि वर्तमान इमारतों को भी ऐसा बनाने का कोई विचार है या नहीं। संभवतः इसे शीतोष्ण-नियंत्रित किया जा सकता है, किन्तु मैं कह नहीं सकता।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कार्यालय के वर्तमान क्षेत्र बहुत तंग हैं, क्या नई इमारतें बनाने के लिये पुरानी इमारत गिरा दी जायेगी ?

†**श्री अलगेशन :** उसी अहाते में वर्तमान कार्यालय की इमारत के पीछे काफी जगह है। वर्तमान इमारत को गिराने की कोई जरूरत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने वह इमारत देखी हुई है, क्योंकि वे उसे गिराने का सुझाव दे रहे हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : जी हां, तभी तो मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो पहाड़ के बराबर है।

सेठ गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में मैं एक उत्तर नीति के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। इस गरीब देश में इस प्रकार की एअरकंडीशन्ड [शीतोष्ण-नियंत्रित] और इतनी इतनी बड़ी इमारतों की क्या आवश्यकता है, और क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता ?

†**श्री अलगशन** : यह एक सामान्य प्रश्न है और माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि किसी दिन शाम के समय वह दिल्ली की सड़कों पर घूमें तो वह देखेंगे कि कोने-कोने में बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं।

सेठ गोविन्द दास : मेरे सामने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं यह जानना चाहता था कि एक गरीब देश में इस प्रकार की एअरकंडीशन्ड इमारतों की कौनसी जरूरत है और क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): सब देखते हुये एअरकंडीशनिंग की जरूरत तो शायद बहुत नहीं है। मगर मेरा यह कहना गुस्ताखी होगी और शायद स्पीकर साहब भी इससे नाराज हो जायें, कि इस समय हम इत्तिफाक से एअरकंडीशन्ड हाल में बैठे हुये हैं। आप आजकल मद्रास की हालत को जाकर देखें। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि हमारे कुछ अफसर तो एअरकंडीशन्ड कमरों में बैठें और जो क्लार्क आदि हैं उनको हम नानएअरकंडीशन्ड [अशीतोष्ण-नियंत्रित] रूम्स में रखें या बड़े बड़े हाल में रखें। यह बात मुझे नहीं जंचती, इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि किसी इमारत को एअरकंडीशन्ड न किया जाये। लेकिन तब भी हम अफसरों के लिये ठंडक का कोई इन्तिजाम करते हैं। मैं चाहता हूं कि यह डिस्टिंक्शन [अन्तर] जहां तक कम किया जा सके अच्छा है। इस डिस्टिंक्शन को सही नहीं कहा जा सकता। वैस्टर्न रेलवे में जो नयी इमारत का काम हो रहा था वह तो जारी है लेकिन जो एअरकंडीशनिंग का काम हो रहा था उसको अभी हमने रोक दिया है। जहां तक बड़ी इमारतों के बनाने का सवाल है वे तो हमको बनानी पड़ती हैं क्योंकि दफ्तर बहुत बड़े हो गये हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : इस बात को देखते हुये कि विजयवाड़ा में अत्यधिक धूप पड़ती है, क्या वहां रेलवे कर्मचारियों के लिये शीतोष्ण-नियंत्रित कार्यालयों की व्यवस्था की जायेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : प्रश्न क्वार्टरों के निर्माण के बारे में नहीं किन्तु कार्यालयों के बारे में हैं और यह मद्रास में मुख्यालय--क्षेत्रीय मुख्यालय के बारे में है। विजयवाड़ा में निश्चय ही विभागीय अथवा प्रादेशिक कार्यालय हो सकता है और इस समय वहां विभागीय कार्यालय है। हमें निश्चय ही कोई आपत्ति नहीं है और हम इस नीति के अनुसार कार्य करेंगे परन्तु इस शर्त पर कि धन उपलब्ध हो। किन्तु विभागीय मुख्यालयों में भी ऐसे कार्यालय और कमरे हैं जोकि शीतोष्ण-नियंत्रित हैं। मैं स्वयं चाहता हूं कि पूरा भवन शीतोष्ण-नियंत्रित हो।

डिब्रूगढ़ वर्कशाप

***१३६८. श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी रेलवे की डिब्रुगढ़ वर्कशाप को बढ़ाने के लिये कोई निश्चित योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख), यह मामला रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यरूप में परिणत हो जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : इरादा तो यही है।

पहाड़ी भत्ता

†*१३६९. **श्री ब० द० पांडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी स्थानों में और विशेषकर सीमान्त क्षेत्र में प्रायः सभी विभागों के कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग के कर्मचारियों को इस भत्ते से क्यों वंचित रखा जाता है?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) प्रतिकरात्मक (पहाड़ी) भत्ते, केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ सिद्धान्तों के आधार पर और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए मंजूर किये जाते हैं किन्तु इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि पहाड़ी स्थान देश के आन्तरिक क्षेत्रों में या सीमान्त क्षेत्रों में स्थित हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये जिन स्थानों पर ये भत्ते मंजूर किये हैं वहां डाक और तार विभाग के कर्मचारी भी इस के अधिकारी हैं।

†**श्री ब० द० पांडे** : इस बात को देखते हुए कि पहाड़ी स्थानों में और विशेषकर सीमान्त क्षेत्रों में जीवन निर्वाह देशनांक काफी ऊंचा है क्या सरकार इस भत्ते को शीघ्र मंजूर करने की व्यवस्था करेगी ?

†**श्री राजबहादुर** : ऐसे क्षेत्रों में स्थिति की जांच करने के बाद जो सिद्धांत निर्धारित होत हैं उनका अनुसरण हमें करना पड़ता है। वेतन आयोग ने इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है --पहाड़ी स्थान, दूर दूर के स्थान और खराब जलवायु वाले स्थान। इस वर्गीकरण के अनुसार हम भत्ते देते हैं।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि जब और विभागों में एलाउन्स [भत्ता] दिया जाता है तो उन स्त्रियों को क्यों एलांउन्स नहीं दिया जाता जो की मैटरनिटी सेंटर्स [प्रसूति गृह] में और चाइल्ड वेलफेअर सेंटर्स [शिशु कल्याण केन्द्र] में काम करती हैं ?

श्री राजबहादुर : मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेअर सेंटर्स राज्य सरकारों के अधीन हैं।

श्री हेम राज : इस वक्त जोगेन्द्र नगर और पालमपुर व अलहल में कंपेनसेटरी एलाउन्स [प्रतिकरात्मक भत्ता] दिया जाता है, तो क्या वजह है कि उनके दरम्यान में बैजनाथ और पपरोला में नहीं दिया जाता ?

श्री राजबहादुर : मेरा अनुमान ऐसा है कि वहां पर राज्य सरकार भी नहीं देती होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा भी यह निश्चय नहीं किया गया होगा कि उन स्थानों पर दिया जाये, इसलिये नहीं दिया जाता।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या कालका में डाक विभाग के कर्मचारियों को यह भत्ता प्राप्त होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री राजबहादुर** : मैं बिना देखे नहीं बता सकता किन्तु ऐसे स्थानों की एक पूर्ण सूची है, जिसे में सभा पटल पर रख सकता हूं।

†**श्री ब० द० पांडे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डाक विभाग के कर्मचारियों को अत्यधिक काम करना पड़ता है और वे इमानदारी से काम करते हैं तथा निश्चित समय के बाद भी काम करते रहते हैं, क्या सरकार उन्हें पहाड़ी भत्ता देने के प्रश्न पर सहानुभूति से विचार करेगी ?

†**श्री राजबहादुर** : जिन स्थानों पर वे पहाड़ी भत्ते के अधिकारी हैं, वहां उन्हें मिल रहा है। उनके वेतन क्रम भी उनके कार्य के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और यदि वे अधिक समय तक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन प्राप्त होता है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति**: चूंकि वे अधिक इमानदार हैं इसलिये उन्हें अधिक भत्ता दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई विशिष्ट कर्मचारी अधिक काम करता है तो यह बात उसे अधिक मांग करने के लिये प्रेरित करेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से विवरण मांगने से क्या लाभ है ?

रेलवे राष्ट्रीय प्रयोक्ता समिति

† *१३७०. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे राष्ट्रीय प्रयोक्ता समिति के वे निर्णय क्या हैं जिन्हें सरकार ने १९५५–५६ में क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १६**]

†**श्री हेम राज**: विवरण से मुझे यह ज्ञात होता है कि पहले दर्जे के लिये भी शीतोष्ण-नियंत्रित डिब्बों की व्यवस्था की जायेगी। क्या उन गाड़ियों में जिन में पहला और दूसरा दर्जा हटा दिया गया है तीसरे दर्जे के डिब्बों में भी शीतोष्ण-नियंत्रण व्यवस्था की जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : सभा को यह बताया जा चुका है कि हमारा तीन रेलगाड़ियां चलाने का विचार है जो नवम्बर या अक्टूबर में शुरू कर दी जायेंगी किन्तु कुछ अब विलम्भ होने की संभावना है....

† **अध्यक्ष महोदय** : हम इस विषय से दूर जा रहे हैं।

†**श्री अलगेशन** : वे पूर्णतः शीतोष्ण-नियंत्रित होंगी और तीसरा दर्जा भी शीतोष्ण-नियंत्रित होगा।

छटीकरा स्टेशन

† *१३७१. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के छटीकरा स्टेशन का नाम बदल कर उसका नया नाम वृन्दावन रोड रखने के लिये जनता द्वारा किये गये अनुरोधों को स्वीकार करने के लिये और इस बात के लिये कि वृन्दावन के प्रसिद्ध तीर्थस्थान की यात्रा करने वाले बहुत से लोगों की आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति की जा सके, सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना अनुमोदित की है, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १७**]

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस स्टेशन से टिकट जारी करने के लिये व्यवस्था की गई है? यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो वहां से टिकट जारी करने का काम कब तक प्रारम्भ होगा?

†**श्री अलगेशन** : छटीकरा स्टेशन का केवल नाम बदला गया था और अब इसे वृन्दावन रोड कहा जाता है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई महत्वपूर्ण रेलगाड़ी इस स्टेशन पर रुकती है ताकि यात्री आ जा सकें और क्या इस स्थान से टिकट जारी करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कुछ रेलगाड़ियां वहां रुकती हैं। टिकटें जारी करने के बारे में उस क्षेत्र से निर्वाचित माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया था, और मैंने उनसे कहा है कि मैं इस बात की जांच करूंगा।

तेजपुर-रांगिया रेलमार्ग

†***१३७२. श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजपुर-रांगिया रेलमार्ग पर गिट्टी डालने का कार्य बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : गिट्टी डालने का यह कार्य कब तक जारी रहेगा?

†**श्री अलगेशन** : इसमें दो तीन वर्ष लगेंगे।

सुपौल-चान्दपिपर रेलमार्ग

†***१३७४. श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उत्तर पूर्वी रेलवे में रेलवे लाइन को सुपौल से चान्दपिपर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, यह कार्य कब तक प्रारम्भ करने की आशा है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस लाइन को कब तोड़ा गया था और क्यों?

†**श्री अलगेशन** : वास्तव में इस क्षेत्र में कोसी नदी के बाढ़ आने से बहुत हानि हुई थी। कोसी में बहुत से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। जब बाढ़ का खतरा बिलकुल नहीं रहेगा, तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या यह सच है कि राज्य सरकार और इस क्षेत्र की क्षेत्रीय समितियों ने इस लाइन के निर्माण की सिफारिश की थी और क्या वह एक अर्से से सरकार के निर्णयाधीन है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन :** बिहार सरकार ने भी इस लाइन की सिफारिश की है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि इस लाइन के निर्माण की संभावना अधिक नहीं है।

नौवहन

†*१३७५. **श्री मात्तन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) देश का तेजी से राष्ट्रीयकरण होने (२) भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय करारों और (३) इस्पात, सीमेंन्ट, चावल, गेंहूं और खनिज प्रस्तरों का निर्यात होने के पश्चात् भारत के समुद्र पार व्यापार में, जिसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल है, कितना अतिरिक्त माल ले जाना पड़ेगा ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस से कितना माल भारतीय जहाज ले जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) अभी कोई ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि अगले दो या तीन वर्षों में इस्पात, सीमेंट, मशीन, खाद्यान्न आदि का कुल आयात प्रतिवर्ष ४० लाख टन से अधिक नहीं होगा।

(ख) सब उपलब्ध भारतीय जहाजों को पूरा काम मिलेगा। इस समय भारतीय जहाज समुद्र पार के कुल व्यापार का ५% माल ले जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वे इस व्यापार का १२ से १५% माल ले जायेंगे।

†**श्री मात्तन :** विदेशी नौवहन समवायों को हमें भाड़े के रूप में लगभग कितना रुपया देना होगा ?

†**श्री अलगेशन :** स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हमें विदेशी नौवहन समवायों को कुल कितना रुपया देना होगा और हम अपने जहाजों के जरिये कितना माल ले जायेंगे। यह बताना अत्यधिक कठिन है।

†**श्री मात्तन :** इस बात को देखते हुए कि अगले पांच वर्षों में हमारा विशाखापत्तनम् नावांगण केवल ७५,००० टन के जहाज बना सकेगा, क्या माननीय मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो जहाज बाहर से लिये जाने हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लिया जाये ताकि हम माल के इस यातायात का लाभ उठा सकें।

†**श्री अलगेशन :** विदेशी जहाज निर्माताओं को हमने आर्डर दिये हैं। किन्तु अगले कुछ वर्षों तक वहां से भी जहाज प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। पुराने जहाज प्राप्त करने की संभावना की भी जांच की जा रही है।

†**श्री कासलीवाल :** क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि किसी विशिष्ट प्रकार का माल केवल भारतीय जहाजों द्वारा ले जाया जाये ?

†**श्री अलगेशन :** भारतीय जहाजों से अधिक से अधिक काम लिया जाता है किन्तु इस समय माल का कोई अभाव नहीं है। वास्तव में माल उठाने के लिये जहाजों में स्थान कम है। इस देश में काफी माल लाया जाना है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या यूगोस्लाविया ने अन्य देशों से पहले जहाज बनाने का प्रस्ताव किया है और यदि हां तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव से कोई लाभ उठाया है ?

†**श्री अलगेशन :** हमने युगोस्लाव नावांगण को भी एक आर्डर दिया है। किन्तु माननीय सदस्य का यह ख्याल गलत है कि वे जहाज औरों से शीघ्र बना सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मास्तन** : माननीय मंत्री के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी नावांगणों में नये जहाज बनवाना या पुराने जहाज खरीदना कठिन है, क्या माननीय मंत्री दूसरे नावांगण को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करेंगे ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : इस विषय में शीघ्रता लाने के लिये पूरा प्रयास किया जायेगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माल को तेजी से लेजाना पत्तनों में उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करता है और इस समय मौजूदा पत्तनों में काफी भीड़ है। क्या सरकार का दूसरी पंच-वर्षीय योजना में पत्तनों की संख्या बढ़ाने का विचार है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ विदेशी सरकारों से बातचीत कर रही है ?

†**श्री अलगेशन** : क्या माननीय सदस्या का आशय पत्तनों की क्षमता को बढ़ाने से है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : पत्तनों की क्षमता और उनकी संख्या को बढ़ाना ।

†**श्री अलगेशन** : प्रत्येक बड़े पत्तन के सम्बन्ध में हमने कई निर्माण कार्यों की मंजूरी दी है। छोटे पत्तनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जब ये सब कार्य पूरे हो जायेंगे और अतिरिक्त सामग्री भी प्राप्त हो जायेगी तो पत्तनों की क्षमता काफी बढ़ जायेगी ; आनेवाले माल को उतारने के लिये यह पर्याप्त होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया जोकि अन्य देशों के साथ बातचीत के बारे में था।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का सम्बन्ध नौवहन से है। उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : नौवहन पत्तनों पर निर्भर करता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर कई बातें निर्भर करती हैं।

ऊन टेकनालाजी और भेड़ पालने का प्रशिक्षण

*१३७६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ऊन टेकनालाजी और भेड़ पालने का उच्च प्रशिक्षण देने वाला कोई कालेज नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा प्रशिक्षण देने के लिये कोई संस्था खोलने वाली है; और

(ग) यदि हां तो वह संस्था कहां खोली जायेगी और कब तक खुल जायेगी ?

कृषि मंत्री (श्री पं० श० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजादी के बाद से इस कार्य में अब तक कितनी उन्नति हुई है और उसके फलस्वरूप हम कब तक आशा कर सकते हैं कि बाहर विदेशों से आने वाला माल रुक जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डा० पं० श० देशमुख : यह सवाल तो जरा अलग है उस सवाल से जो कि माननीय सदस्य नें पूछा है। उनका सवाल तो खाली ट्रेनिंग के बारे में था, प्रशिक्षण के बारे में था मगर मैं यह कह सकता हूं कि इसमें कुछ कामयाबी हुई है और प्रोग्रेस [प्रगति] भी हुई है।

श्री बलवन्त सिंह महता : ऊन के उत्पादन के विचार से हमारे भारतवर्ष का संसार में क्या स्थान ह और हमारी जो यह शीप ब्रीडिंग [भेड़ पालन] और वूल टैकनोलाजी है उसके परिणाम-स्वरूप हमारा ऊन का व्यापार घट रहा है या बढ़ रहा है?

†**डा० पं० श० देशमुख :** मैं फिर से यह बता दूं कि माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं उससे यह प्रश्न सर्वथा भिन्न है। इसका सम्बन्ध केवल प्रशिक्षण से और किसी कालिज के होने अथवा न होने से है। माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं वह मेरे पास नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि इस सम्बन्ध में कोई कालिज स्थापित नहीं किया जा रहा है तो क्या गवर्नमेंट [सरकार] इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं करती या इस समय इसके लिये और कोई व्यवस्था मौजूद है?

डा० पं० श० देशमुख : जी हां, इसके लिये काफी व्यवस्था है। हमने हिसार के फार्म में तीन साल का एक कोर्स [पाठ्यक्रम] प्रोवाइड [उपबन्ध] किया है जहां कि १९ कैंडिडेट्स [उम्मीदवार] हमने ट्रेंड [प्रशिक्षित] किये हैं और आगे चल कर ५० सीनियर [वरिष्ठ] और ४०० जूनियर [कनिष्ठ] आफिसस [अफसर] ट्रेंड करने का इंतजाम वेटेरेनरी कालिजेज में और ब्रीडिंग फार्म्स में किया जाने वाला है।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नागरकोइल

†***१३७७. श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने नागरकोइल स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र को केरल के किसी भाग में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि नहीं तो क्या उसे त्रावनकोर-कोचीन राज्य के उद्योग निदेशक के अधीन रखा जायेगा ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन, इस प्रशिक्षण केन्द्र के पास एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं।

(ख) त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने १-८-१९५६ से राज्य के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रशासन अपने हाथ में लेकर उन्हें उस तारीख के बाद से उद्योग निदेशक के नियन्त्रण के अधीन रखा है।

(ग) जी नहीं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार के संयुक्त परामर्शदाता ने हाल में यह घोषणा की है कि मैट्रिक स्तर के उम्मीदवारों के लिये एक अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा जिसकी अवधि छः से नौ महीने तक होगी और प्रशिक्षण के बाद उन्हें औद्योगिक बस्ती में नियुक्त किया जायेगा? यदि हां तो क्या इस योजना में उस क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा जिसे मद्रास में विलीन करने की संभावना है?

†**श्री आबिद अली :** मैं प्रश्न को नहीं समझ सका।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न इतना लम्बा है कि मैं भी उसको नहीं समझ सका।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** त्रावनकोर-कोचीन सरकार के संयुक्त परामर्शदाता ने यह घोषणा की है कि विभिन्न उद्योगों का प्रशिक्षण छात्रों को देने के लिये एक अल्पकालिक योजना शुरू की जायेगी। यदि हां, तो क्या इस योजना के अनुसार, नागरकोइल केन्द्र से आने वाले छात्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा ?

†**श्री आबिद अली :** मैं यह बताना चाहूंगा कि इन केन्द्रों में हम अधिक उद्योग शुरू करना चाहते हैं। इस समय त्रावनकोर-कोचीन में तीन केन्द्र हैं और उनमें कुल ३७६ छात्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। ५३४ और स्थान बढ़ाये जायेंगे और कुछ अन्य उद्योग भी शुरू किये जायेंगे। योजना काल में लगभग ३५ लाख रुपये व्यय होगा। मैं इतनी जानकारी दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा अगला कार्य हाथ में लेगी।

†**श्री फीरोज गांधी :** अगला कार्य प्रारम्भ करने से पहले मैं आप का ध्यान एक आवश्यक विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् ने रेलवे मंत्री से ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। इसके उत्तर में माननीय रेलवे उपमंत्री ने यह कहा कि क्योंकि आप आयु के कारण अधिक नाजुक होती जा रही हैं, अतः आपको किसी भी प्रकार का भोजन अच्छा नहीं लगता है। मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय रेलवे उपमंत्री प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय इस सभा में व्यंगात्मक बातें कहते रहते हैं; जो सदस्य प्रश्न करते हैं माननीय उपमंत्री उनका मजाक उड़ाते हैं। मेरे विचार में यह बड़ी अपमानजनक बात है और मैं इससे इस सम्बन्ध में आपका संरक्षण चाहता हूं। सदस्यों को आदरपूर्वक ढंग से उत्तर दिये जाने चाहियें। मंत्रियों को हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा कि हम उनसे करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं, मगर मैं यह कहूंगा कि यदि उनको मंत्री महोदय के उत्तर देने के ढंग अथवा उनके वक्तव्यों पर कोई आपत्ति है तब भी उन्हें भूल कर भी यह नहीं कहना चाहिये कि उनका ढंग अपमानजनक था। ऐसा कहना सर्वथा गलत है।

†**श्री फीरोज गांधी :** श्रीमान्, यह पहला अवसर ही नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** चाहे यह कोई भी अवसर हो 'अपमानजनक' शब्द 'अपमानजनक ही है। हमें इस शब्द का बिलकुल प्रयोग नहीं करना चाहिये।

जहां तक यह सामान्य शिकायत है कि माननीय उपमंत्री तौहीन करते रहते हैं अथवा मजाक उड़ाते रहते है आदि हम सब यहां उपस्थित रहते है। मैं ने कभी ऐसी बात नहीं देखी है। दुर्भाग्यवश आज यह अवश्य हुआ है कि उन्होंने आज एक माननीय सदस्या की आयु के बारे में व्यक्तिगत निर्देश कर दिया है। मुझे भी इसका दुःख हुआ है मगर मैं स्वयं इस विषय को नहीं उठाना चाहता था। मुझे विश्वास है कि माननीय उपमंत्री का इससे कोई विशेष तात्पर्य नहीं था। वे दोनों एक ही स्थान के रहने वाले हैं। दोनों को एक दूसरे के प्रति आदर है। मेरे विचार में यह बात अनायास में ही निकल पड़ी है।

†**एक माननीय सदस्य :** उनको क्षमा मांगनी चाहिये।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** श्रीमान्, मुझे इस गलतफहमी के लिये बड़ा खेद है। फिर भी मैं अपने उत्तर के लिये पश्चाताप प्रकट करता हूं। बाद में जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि यह एक उपयुक्त उत्तर नहीं था। माननीया सदस्या को ऐसा उत्तर दिया जाना चाहिये था खासकर जो कि एक बड़ी, अच्छी सहयोगी एवं मित्र हैं। मेरे हृदय में कोई बात नहीं थी। मैं किसी व्यक्ति को मर्माहत नहीं करना चाहता था। किन्तु श्री फीरोज गांधी ने इस बात को और आगे बढ़ाते हुये यह कहा है कि मेरे उत्तर मानपूर्ण नहीं होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री फीरोज गांधी :** मैं ने केवल यह कहा है कि मंत्रियों को भी हमारे प्रति इतना मान दिखाना चाहिये जितना कि हम उनके प्रति दिखाते हैं।

†**श्री अलगेशन :** जैसा कि श्रीमान् ने अभी कहा है तथा जैसा कि सभी सदस्य प्रतिदिन देखते रहते ह, मैंने सभा अथवा किसी भी व्यक्तिगत सदस्य की प्रतिष्ठा के विरूद्ध कभी भी कुछ नहीं कहा है। अगर किसी प्रकार की गलतफहमी हो, तो मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदा इस सभा तथा व्यक्तिगत सदस्यों के प्रति आदर का व्यवहार करूंगा।

†**श्री सारंगधर दास :** क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? इस स्थान पर माननीया सदस्या के लिये प्रयुक्त किये गये शब्द सर्वथा उपयुक्त नहीं हैं। उनका कुछ और अर्थ निकलता है। अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें सभा की कार्रवाई से निकाल देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे निकाले बराबर ही हैं। मुझे इस में कोई अपराध नहीं दिखाई दिया मगर किसी माननीया सदस्या को उनकी आयु के सम्बन्ध में कुछ कहना निश्चय ही अनुपयुक्त था। मैं समझता हूं अब हम इस विषय को यहीं समाप्त कर दें। किन्तु मैं एक और सामान्य तथ्य निरूपित करना चाहता हूं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि श्री फीरोज गांधी के मन में, ो कि बीच में ही सहसा उठकर यह कहने लगे कि माननीय उपमंत्री सर्वदा मजाक उड़ाते रहते हैं आदि बातें कैसे घर कर रही हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी यही चाहता हूं कि यह सभा न तो अति अधिक गम्भीर ही हो और न अधिक मजाकिया ही। बीच-बीच में व्यंग होना ही चाहिये और हमें इसको वैसे ही लेना चाहिये। माननीय सदस्यों ने इस बात का ध्यान किया होगा कि म रेलवे मंत्री विशेषकर उपमंत्री महोदय को कुछ विश्राम देता रहा हूं। यहां पर अधिकतर प्रश्न रेलवे के सम्बन्ध में ही आते हैं। मैं यह ढूंढने का प्रयत्न करता रहा हूं कि उनको कैसे बांटा जाये, मगर मुझे इसका कोई हल नहीं मिल सका है।

फिर भी हमारे उपमंत्री बहुत अच्छी तरह निभाते रहे हैं। मैंने कभी भी किसी भी माननीय मंत्री के व्यवहार के बारे में जहां कहीं तनिक भी भ्रान्ति की सम्भावना हुई है कुछ कहने में कसर नहीं रखी है। मगर, जहां तक मेरा ध्यान है मुझे इन उपमंत्री महोदय के साथ कभी भी इस प्रकार का व्यवहार करने का अवसर नहीं मिला है और उनके कथन के ढंग में तो मुझे कभी भी कोई शिकायत नहीं करनी पड़ी। वह हमेशा विषय का पूर्व अध्ययन करके उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। यहां तक कि कई बार उस पर पूरक प्रश्न करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

†**श्री शं० शां० मोरे :** जहां तक अपने विभाग के कार्यों के अध्ययन का सम्बन्ध है यह तो उनका प्रथम कर्तव्य है।

†**अध्यक्ष महोदय :** दुर्भाग्य की बात तो यही है कि बहुत से लोग अपना कर्तव्य नहीं निभाते ह। मेरे विचार में इस मामले में उनका कोई भी बुरा भाव नहीं था।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् :** क्या मैं जो श्री फीरोज गांधी ने जो मेरी आयु के बारे में व्यक्तिगत निर्देश का प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध कुछ स्पष्टीकरण दे सकती हूं? मैं इसको बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं मानती हूं क्योंकि मेरी आयु परिचय पुस्तक (हू इज हू) में भी छपी है। मगर मैं सादर यह कहूंगी कि उपमंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह इस सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं था, उन्होंने कहा है कि मैं ने भोजन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात कहीं है। मैं उनको बता देना चाहती हूं कि—मैं आज भी उतना ही अच्छा भोजन पसंद करती हूं जितना कि इस से पहले करती थी। इस वर्ष जब जुलाई २१ के लगभग हम लोग मद्रास से ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रैस में आ रहे थे उस समय हमने भोजन के डिब्बे से दो बार खाना मंगवाया परन्तु दोनों बार हम ने उसको बिना छुये वापस कर दिया क्योंकि वह गंदा था। अगर मंत्री महोदय इस को अतिशयोक्ति मानते हैं तो मझे बहुत दुख है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे बड़ा खेद है कि उत्तर एक ऐसे ढंग में दिया गया है जिसकी कि मंशा नहीं थी। और क्योंकि अब इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट की गई है अतः उत्तर का यह अंश अभिलेख में नहीं रखा जायेगा। और उसे वृत्तान्त से निकाल दिया जायगा। अब इस पर और चर्चा करने की कोई अवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उपमंत्री ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा है।

†**श्री कामत :** इस चर्चा का कौन सा अंश निकाला जाएगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** आयु तथा अतिशयोक्ति सम्बन्धी अंश। मैं इस मामले में फिर देखूंगा और यदि उसे निकालना सम्भव न हुआ तो वह बना रहेगा।

†**श्री कामत :** जहां तक मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, मेरे विचार में इस प्रसंग में 'नाजुक' शब्द का भी कुछ विशेष भिन्न अर्थ है। अतः उस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य की अपनी निराली ही बातें होती हैं। अब हम अगला कार्य लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टेकनिकल समिति

†*१३४९. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम** मंत्री ६ अप्रैल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने टेक्नीकल समिति के प्रतिवेदन पर कोई अन्तिम विनिश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** टेकनीकल समिति की सिफारिशों में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, १९२३, का संशोधन करने के लिये कहा गया है। इस पर तथा इस अधिनियम के संशोधन के बारे में कई अन्य प्रस्तावों पर साथ साथ विचार किया जा रहा है।

अणुशक्ति का कृषिकार्यों में प्रयोग

†*१३५३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य** और **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत ने अणुशक्ति के कृषिकार्यों में प्रयोग के सम्बन्ध पर्याप्त प्रगति कर ली है ;

(ख) इस विषय में अभी तक कौन कौन सी मुख्य सफलताएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) क्या इन सफल परिणामों को कृषि की समस्याएं सुलझाने के लिये प्रयोग में लाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १८**]

डाक कर्मचारी

†*१३५४. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि डाकियों तथा चौथी श्रेणी के अनेक स्थानों को विभागातिरिक्त अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्थान हैं जिनके लिये १९५१ से ५६ तक विभागातिरिक्त अभिकर्ता रखे गये हैं और विशेष रूप से मद्रास सर्किल में; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें नये डाक खाने खोलने के कारण इस प्रकार के व्यक्तियों को रखना आवश्यक हो गया था?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) १९५१ से १९५६ तक ९७५ डाकियों तथा ४९२ चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के स्थान पर विभागातिरिक्त अभिकर्ता रखे गये ह। इसमें मद्रास सर्किल के २७९ डाकिये तथा ८१ चौथी श्रेणी के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

(ग) नये डाक खाने खोलने के कारण ४९६ डाकियों तथा ९३ चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के स्थान पर इन विभागातिरिक्त अभिकर्ताओं का रखना बड़ा आवश्यक हो गया था।

डमडम पर एअरफील्ड कंट्रोल राडर

† *१३५६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डमडम (कलकत्ता) हवाई अड्डे पर कंट्रोल राडर लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य हवाई अड्डों पर राडर कब लगाये जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां। लगाने का काम पूर्ण हो चुका है।

(ख) सांता क्रूज, नागपुर तथा मद्रास हवाई अड्डों पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में इसी प्रकार के यंत्र लगाने का विचार है। परन्तु अभी यह बताना संभव नहीं है कि ये सुविधायें वहां कब तक लगाई जायेंगी।

चीनी का उत्पादन

† *१३५८. **श्री तुलसीदास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के नये कारखाने खोलने और विद्यमान कारखानों को बढ़ाने के लायसेंसों की कार्यान्विति होने पर चीनी उद्योग का उत्पादन कितना बढ़ जायेगा ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में निर्धारित २२·५ लाख टन लक्ष्य तथा वास्तविक सामर्थ्य में कितना अन्तर रह जाएगा ; और

(ग) यदि अन्तर अधिक नहीं है तो क्या सरकार का नए कारखानों के लिये लाइसेंस देने पर नियंत्रण लगाने का विचार है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) २४ लाख टन ।

(ख) २२·५ लाख टन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये २५ लाख टन की सामर्थ्य रखना आवश्यक समझा गया है जिससे कम उत्पादन वाले वर्षों की कमी को पूरा किया जा सके। इसलिये और सामर्थ्य के लिये एक लाख टन के लाइसेंस दिए जायेंगे ।

(ग) जी नहीं।

गन्ना

† *१३५९. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत दो वर्षों में अच्छा गन्ना बोने तथा अच्छी खेती की दृष्टि में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गन्ने से चीनी बनाने की प्रतिशतता में कोई सुधार हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १९**]

श्रम सम्बन्ध समिति

*१३६२. **श्री सै० खां० रजमी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु निगम अधिनियम में अपेक्षित श्रम सम्बन्ध समिति की स्थापना के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित श्रम सम्बन्ध समिति में, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित १० प्रतिनिधि तथा निगम के विभिन्न विभागों के दस प्रतिनिधि, प्रबन्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम में कर्मचारियों के छः निर्वाचित प्रतिनिधि तथा इतने ही निगम के प्रतिनिधि हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बीकानेर रेलवे वर्कशाप

*१३६३. **श्री प० ल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय बिजलीघर से पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने के कारण उत्तर रेलव के बीकानेर वर्कशाप में कई मशीनें ठप पड़ी हैं जिसके कारण रेलवे विभाग को काफी हाान उठानी पड़ रही है ;

(ख) उक्त बात को ध्यान में रखते हुये क्या रेलवे ने वहां पर अपना निजी बिजली बनाने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो वह कब तक अमल में लाई जायेगी ; और

(ग) बीकानेर रेलवे वर्कशाप के विकास के लिये सरकार ने कैसी-कैसी योजनायें बनाई हैं और उनमें कितने नये कर्मचारियों की भरती की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। कुछ मशीनें हैं जो बिजली की कमी के कारण काम में नहीं लायी जा सकतीं।

(ख) जी नहीं। आशा है कि १९५८ के मध्य तक काफी बिजली मिलने लगेगी। तब तक के लिये रेलवे ने तेल से चलने वाले दो इंजनों के आर्डर दिये हैं। आशा है कि ये इंजन इस साल के अन्त तक मिल जायेंगे।

(ग) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २०**]

चावल

†*१३६६. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरताला नगर के व्यापारियों द्वारा करीमगंज से अखामा को भेजा गया १३२ मन चावल, अगरताला के सरकारी केन्द्रीय गोदाम में पाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो कैसे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) एक मजिस्ट्रेट इस मामले की जांच कर रहा है।

भारतीय रेलों के सम्बन्ध में अमेरिकी प्रोफेसर का प्रतिवेदन

†*१३६७. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री १० मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफसर जान केनेथ गलब्रेथ द्वारा रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर दिए गये प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). प्रतिवेदन में प्रोफेसर द्वारा दिये गये सुझावों की अभी जांच हो रही है।

काम दिलाऊ दफ्तर की प्रादेशिक मंत्रणा समिति

†*१३७३. **श्री भीखा भाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तरों को मंत्रणा देने वाली प्रादेशिक रोजगार मंत्रणा समितियां पुनः बना दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) आसाम, बिहार तथा उड़ीसा के लिये प्रादेशिक रोजगार मंत्रणा समितियां पुनः बनाई जा चुकी हैं। अन्य प्रदेशों के लिये समितियां बनाई जा रही हैं।

(ख) ये समितियां मालिकों, कर्मचारियों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की हैं तथा किसी विशेष जाति को कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

‡नौवाहकों का प्रशिक्षण

†*१३७८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री १९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में नौ वाहकों के वर्ग १ के प्रमाणपत्रों का प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). असैनिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद में प्रथम श्रेणी का नौ वाहक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है तथा शीघ्र ही वह इसको सरकार को प्रस्तुत करने की आशा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

‡Navigator (Glossary of Technical Terms).

छोटे बंदरगाह

†*१३७९. **श्री डाभी :** क्या **परिवहन** मंत्री २२ फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष कर्त्तव्य पदाधिकारी ने जिसको बम्बई के सभी छोटे बन्दरगाहों में जाकर देखने को नियुक्त किया गया था, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस प्रकार के हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव ओखा समेत २९ छोटे बन्दरगाहों के सम्बन्ध में हैं। जिन कार्यों की सिफारिश की गई है वह हैं माल उतारने की सुविधायें, यात्रियों को सुविधायें तथा कई बन्दरगाहों पर नौवहन सहायक युक्तियां, क्रेनों का आधुनिकीकरण तथा ओखा में अन्य सुविधायें। द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में प्राक्कलित व्यय ७८ लाख रुपये है।

इंजन व डिब्बे आदि

†*१३८०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक इंजन व डिब्बों आदि की आवश्यकताओं की आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २१]**

सोनपुर पुल

†*१३८१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार नवीन सोनपुर रेलवे पुल के बन जाने के पश्चात् वर्तमान सोनपुर रेलवे पुल को सड़क का पुल बनाने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : सोनपुर–हाजीपुर के बीच नवीन रेलवे पुल बन जाने के पश्चात् वर्तमान रेलवे पुल को सड़क का पुल बनाने के सम्बन्ध में बिहार सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

घटवारी[1] की दरें

†*१३८२. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों विशेषतया उत्तरी बिहार के दरभंगा तथा लहरिया सराय स्टेशनों पर कुछ दिन पूर्व से घटवारी की दरें बढ़ादी गई हैं तथा वस्तुओं के छटाने की निःशुल्क अवधि अड़तालीस घंटे से घटा कर चौबीस घंटे कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Wharfage.

(ग) क्या जनता की अनावश्यक रूप से होने वाली असुविधाओं को बतानेवाला कोई प्रतिनिधान रेलवे प्राधिकारियों को मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) गुड्स शैडों, पार्सल तथा माल कार्यालयों में, वस्तुओं को इकट्ठा न होने देन के लिये, क्योंकि व्यापारी लोग वस्तुओं को धीरे-धीरे ले जाते थे।

(ग) जी हां।

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे ने परिवर्तन के कारण स्पष्ट करते हुये प्रतिनिधान का उत्तर दे दिया है।

पहाड़ी भत्ता

†*१३८३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीलगिरी में काम करने वाले गार्डों तथा अन्य रेलवे कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन थोड़े से कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता मिल रहा है उनको अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किया जा रहा है तथा वहां नियुक्त नवीन कर्मचारियों के लिये वह भत्ता स्वीकार नहीं किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). १–३–५० से नीलगिरी पर्वत रेलवे सेक्शन पर नियुक्त गार्डों तथा अन्य कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसी तिथि से उनको मकान का किराया तथा प्रतिकरात्मक[1] भत्ता दिया जा रहा है।

(ग) जी नहीं, सेवा की आवश्यकता पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश दिये जाते हैं। कर्मचारियों को निर्धारित भत्ते दिये जा रहे हैं।

कृषक बैंक

†*१३८४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कृषक बैंक की स्थापना के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : प्रस्ताव त्याग दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन

†*१३८५. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वेनेजुला, काराकास में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के कुछ दिन पूर्व हुये सत्र में किन मुख्य समस्याओं पर चर्चा हुई थी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २२**]

---

†मूल अंग्रेजी मे।

[1]Compensatory.

पाकिस्तान को नौवहन सुविधायें

† *१३८६. श्री गिडवानी :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को नौवहन तथा बन्दरगाह की सुविधायें देने का प्रस्ताव किया था जिससे पूर्व-पाकिस्तान में वर्तमान खाद्य संकट को रोकने में सहायता मिल सके ; और

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने यह सुविधायें मांगी थीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मंशा यह थी कि यदि पूर्वी पाकिस्तान में दुखी व्यक्तियों की सहायता करने के मामले में पाकिस्तान सरकार ने सहायता मांगी तो भारत सरकार उनको सीमित अवधि के लिये खाद्य आयातों के सम्बन्ध में कलकत्ता बन्दरगाह पर कुछ सुविधायें देने का प्रयत्न करेगी।

(ख) जी नहीं।

भोजन-व्यवस्था

***१३८७. श्री म० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि भोजन-व्यवस्था करने वाले कुछ व्यक्ति, जिनके होटल स्टेशनों के नजदीक होते हैं, अपनी कैन्टीनों को इसलिये बुरी हालत में रखते हैं कि यात्री बाहर स्थित उनके होटलों की ओर आकर्षित हों ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भोजन-व्यवस्था करने वाले ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस तरह के कोई मामले नोटिस में नहीं आये हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन

†***१३८८. श्री सै० खां० रजमी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन के दिल्ली केन्द्र में केवल पांच वाइकिंग वायुयानों को ही उड़ने की दशा में रखने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या अब यह विचार है कि दिल्ली केन्द्र पर उसी उपकरण से बारह और वाइकिंग जहाजों का ओवरहाल किया जाए ;

(ग) क्या पुर्जों की कमी तथा प्रविधिक कर्मचारियों की कमी के कारण इन में से कई विमान भूमि पर खड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या उपचार करने का विचार है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली केन्द्र पर, सभी वाइकिंग विमानों का ओवरहाल किया जाता है क्योंकि वहां पर्याप्त कर्मचारी हैं तथा इस कार्य के लिये वर्कशाप में यन्त्र मौजूद हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) केवल एक वाइकिंग विमान बड़े पुर्जों, जिनका आर्डर दे दिया है, की कमी के कारण खड़ा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे का फाटक

***१३८९. श्री प० ल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर स्टेशन और लालगढ़ जंक्शन के बीच रेलवे लाइन के पास एक दीवार बनाई जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त दीवार के दोनों तरफ हजारों लोग रहते हैं और मुख्य रास्ते पर भी कोई क्रासिंग या फाटक नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुसलमानों के ताजिया ले जाने का एक मुख्य रास्ता सरकार द्वारा निश्चित कर दिया गया है और दीवार बन जाने के कारण उस रास्ते को बदलना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार ताजिया ले जाने के लिये उपरोक्त दीवार में कोई फाटक बनवाना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। वहां चार सम-पार[1] हैं जो उस क्षेत्र के लिये काफी हैं।

(ग) और (घ). जी नहीं। चहारदीवारी बन जाने के कारण ताजियों के जलूस का रास्ता नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे लाइन पार करने के लिये किसी एक सम-पार से होकर जाना जरूरी है।

उडीसा में चावल के गोदाम

***१३९०. श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री उड़ीसा में केन्द्रीय चावल गोदामों के सम्बन्ध में ८ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि गोदामों के निर्माण कार्य की नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उड़ीसा में केन्द्रीय गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :

खुर्दा रोड तथा खरियार रोड में गोदामों के निर्माण व्यय की स्वीकृति दे दी गई है तथा आशा है की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर देगा। कोरापुर, चन्दवली, तथा बरदामरपु में प्रत्येक केन्द्र पर २०,००० टन की सामर्थ्य वाले गोदामों के निर्माण की योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं। इन तीनों स्थानों पर निर्माण के व्यय के प्राक्कलन शीघ्र तैयार हो जाने की आशा है।

बालासोर में ४०,००० टन की सामर्थ्य के गोदामों का निर्माण करने के लिये २२ एकड़ भूमि की उपयुक्तता की जांच हो रही है।

जल संभरण योजना, गोहाटी

†***१३९१. श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगी कि क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गोहाटी तथा आसाम के अन्य नगरों की जल संभरण पद्धति के सुधार के लिये ऋण अथवा अनुदान की प्रार्थना की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Level crossings.

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में आसाम सरकार से नगरीय योजनाओं के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुयी थी। परन्तु राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष में ३ योजनायें लागू करने का विचार है।

चिलूवूर रेलवे स्टेशन

†*१३९२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिलूवूर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर जनता एक्सप्रेस को आधा घंटा खड़ी करने के लिये समय सारणी में व्यवस्था करने के सम्बन्ध में जनता ने कोई अभ्यावेदन किया था अथवा प्रादेशिक रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति ने इस बारे में सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या सिफारिश की गई थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) इस विषय में जांच की गई है किन्तु यातायात को देखते हुये ऐसा करना उचित नहीं जान पड़ता।

सरकारी फार्म

†*१३९३. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सौराष्ट्र के सरकारी फार्म में कितने रूसी लोग काम करेंगे और कितने समय तक ;

(ग़) संचालन कार्य के लिये अभी तक कितने भारतीय भर्ती किये गये हैं ; और

(ग) इस फार्म के पूरी रफतार से काम करने पर कितने लोगों को खपाया जा सकेगा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इस समय सूरतगढ़ में तीन रूसी विशेषज्ञ हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे कितने समय तक ठहरेंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी शीघ्र हमारे लोग प्रशिक्षित होते हैं।

(ख) अब तक ८० व्यक्ति भर्ती किये गये हैं।

(ग) विभिन्न वेतनक्रमों में लगभग ६०० व्यक्ति।

डाकघर का खोला जाना

†*१३९४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को बम्बई के कल्याणपुर कैम्प के निवासियों द्वारा बस्ती संख्या २ में एक डाकघर खोलने की अनुमति देने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) इस बस्ती के लिये डाकघर खोलने में विलम्ब का क्या कारण है, जबकि वहां की जनसंख्या लगभग २०,००० है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां :

(ख) यद्यपि डाकघर खोलने के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं, तथापि उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण डाकघर नहीं खोला जा सका। स्थान की खोज की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारतीय केन्द्रीय कपास समिति

†*१३९५ { सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की बैठक फरवरी, १९५६ में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो देश में कपास उत्पादन के विकास के लिये क्या निर्णय किए गये ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) जैसी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है, समिति ने ५५ लाख गांठों के लक्ष्य को स्वीकार कर लिया है।

सिन्धु पुनर्वास निगम

†*१३९६. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधीधाम बस्ती में सिन्धु पुनर्वास निगम को उनके अंशधारियों को विकास और आवंटन करने के लिये कितना क्षेत्र दिया गया है ;

(ख) क्या सिन्धु पुनर्वास निगम द्वारा क्षेत्र के विकास और उसके अंशधारियों को आवंटन करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २,६०० एकड़।

(ख) तथा (ग). ५५४ एकड़ क्षेत्र के विकास के लिये निगम ने प्रारम्भिक योजनाय प्रस्तुत की हैं। ये सरकार के विचाराधीन हैं।

बिहार में हैजा

†*१३९७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बिहार सरकार ने वहां हैजा रोकने के लिये केन्द्र से कुछ सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकारकी सहायता मांगी गई है और अब तक क्या सहायता की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्यानिक गवेषणा केन्द्र

†८८५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों की फसलों के सुधार के लिये प्रादेशिक आधार पर औद्यानिक गवेषणा केन्द्रों की स्थापना करने की योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां ये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कृषि तथा पशुपालन संबन्धी बोर्ड

†८८६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी बोर्ड के फसल और भूमि विभाग की ११वीं बैठक का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : प्रतिवेदन की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नई वेधशालायें

†८८७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में दो नई वेधशालाओं की स्थापना करने सम्बन्धी योजना पर अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो चुने गये स्थानों के नाम और योजना की अन्य विशेषतायें क्या हैं?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) तथा (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २३**]

रेलवे प्रिन्टिग प्रेस, कलकत्ता

†८८८. {**श्री रामानन्द दास** :
श्री बाल्मीकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में पूर्वी रेलवे के प्रिंटिंग सुपरिटेंडेंट ने जून–जुलाई १९५६ में प्रिंटिंग विभाग में लगभग २०० खलासियों की भर्ती करने के आदेश दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार से स्वीकृत और मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति के संगठनों अथवा काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित कोटे की पूर्ति करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था ;

(ग) अनुसूचित जातियों के कितने लोग चुने गये ;

(घ) क्या वहां अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित कोटे की पूर्ति की जा रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

दावे

†८८९. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर विशेषकर बीकानेर दावा कार्यालय के १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में कितने दावों का पंजीयन* हुआ और कितने निबटाये गये ;

(ख) इन वर्षों में कूल कितनी राशि के दावे किये गये और भुगतान किया गया ; और

(ग) दावों के निबटारे में अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण थे ?

†**रेलवें तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २४**]

त्रावणकोर-कोचीन में बाढ़

†८९१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर–कोचीन में हाल की बाढ़ों से अनुमानत: कितने क्षेत्र पर उगी हुई फसल नष्ट हुई हैं ; और

(ख) उससे कितनी हानि का अनुमान लगाया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री० अ० प्र० जैन)** : (क) ३२११ एकड़।

(ख) अनुमानित हानि :

(१) अनाज के रूप में ४५,००० मन (लगभग)

(२) मूल्य के रूप में ४·६ लाख रुपये (लगभग)

खड्गपुर की हड़ताल

८९२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे की खड्गपुर वर्कशाप में हुई हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे को कुल कितनी हानि हुई हैं ;

(ख) मजदूरों तथा जन साधारण के कितने व्यक्तियों को सख्त चोटें लगी थीं ; और

(ग) क्या कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का वेतन दे दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हड़ताल के कारण कारखाने को जो नुकसान पहुंचा उसे रुपये पैसों में आंक कर बताना बहुत मुश्किल है। लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख जन-दिन का नुकसान हुआ जिसकी वजह से कारखाने के उत्पादन को भारी धक्का लगा। इसके अलावा लगभग १६,१०० रुपये की रेल-सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(ख) २१ कर्मचारियों और ५ बाहरी लोगों को सख्त चोटें आयीं।

(ग) जी नहीं।

बैलों के गवेषणा व परीक्षण केन्द्र

†८९३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि शास्त्र सम्बन्धी प्रयोगों के लिये १६ केन्द्र और बैलों के लिये चार गवेषणा व परीक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना पर अन्तिम निर्णय हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

---

*Registration

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कृषिशास्त्र सम्बन्धी विशेषज्ञों की योजना पर अंतिम निर्णय हो गया है, किन्तु बैलों द्वारा चलाई जाने वाली मशीनों के लिये गवेषणा व परीक्षण केन्द्र की योजना अभी विचाराधीन है।

(ख) कृषि सम्बन्धी प्रयोगों की योजना में यह महत्वपूर्ण फसलों जैसे गेंहू, धान, जवार, बाजरा, मक्का और कपास की विभिन्न कृषि सम्बन्धी क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की खाद और भूमि के लिये सिंचाई की आवश्यकताओं का विशद अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केन्द्र में यह योजना १५ एकड़ भूमि पर चलाई जा रही है जो पट्टे पर ली गई है तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारियों की देख-रेख में कार्य किया जा रहा है। योजना का वित्तीय व्यय भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा वहन किया जा रहा है।

बैलों द्वारा चलाई जाने वाली मशीनों के लिये गवेषणा व परीक्षण केन्द्र सम्बन्धी योजना के बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काम दिलाऊ दफ्तर, बिहार

†८९४. **श्री झलन सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में बिहार में काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : १२,२२९।

उत्तर रेलवे के कर्मचारी

†८९५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में यातायात में वृद्धि के अनुमान से ही कर्मचारियों की वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां। कर्मचारियों की वृद्धि जो अनेक बातों पर निर्भर है, यातायात में हुई वृद्धि के बिलकुल उतने ही अनुपात में नहीं की गई है।

(ख) ७·५ प्रतिशत।

छपरा स्टेशन

†८९६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा स्टेशन (उत्तर-पूर्व रेलवे) के प्लेटफार्म को बढ़ाने और उसे नये स्वरूप का बनवाने का कोई विचार है ;

(ख) क्या चुपरा और सारन (उत्तर-पूर्व रेलवे) स्टेशनों के बीच नए स्टेशन खोलने का भी कोई विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्य कब से आरम्भ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन)** : (क) छपरा स्टेशन पर किसी यात्री प्लेटफार्म को बढ़ाने अथवा स्टेशन की नयी स्वरूप की इमारत बनवाने का कोई विचार नहीं है। इस स्टेशन पर यार्ड को नये नमूने का बनवाने तथा संचालन और वाणिज्यिक सुविधाओं में सुधार करने का अवश्य विचार है जिसमें माल रखने के शैड और माल के प्लेटफार्म का विस्तार करना सम्मिलित है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस समय एक भी नहीं।

(ग) छपरा यार्ड को नये स्वरूप का बनवाने का कार्य १९५७–५८ में आरम्भ करने की योजना है।

डाक तथा तार विभाग की महिला कर्मचारी

†८९७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग में मार्च, १९५६ में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : ४,९८०।

अमृतसर रेलवे स्टेशन

†८९८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अमृतसर रेलवे स्टेशन, यार्ड और वर्कशाप के विकास के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) कार्यक्रम के विभिन्न प्रक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :**

(क) रेलवे स्टेशन . . . . ५८ हजार रुपये।

यार्ड . ५७५ हजार रुपये।

वर्कशाप . . ३,४५,०० हजार रुपये।

(ख)

	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६० और १९६०–६१
रेलवे स्टेशन	–	४१	१७	–
यार्ड	४९	१९५		३३१
वर्कशाप	२,१००	१,२५,००	१,२५,००	(७४,००)

टिप्पण :—इस समय यह केवल अस्थायी कार्यक्रम है।

यात्री सहायक

†८९९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर रेलवे के सहारनपुर-अमृतसर सेक्शन के स्टेशनों पर यात्री सहायक नियुक्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों पर ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). सहारनपूर–अमृतसर सेक्शन के सहारनपुर, अम्बाला कैण्ट, लुधियाना, जालन्धर सिटी और अमृतसर में पहले से ही सभी सहायकों की व्यवस्था है।

सम्पूर्ण रेलवे पर अतिरिक्त यात्री सहायक नियुक्त करने की व्यवस्था का प्रश्न उत्तर रेलवे के विचाराधीन है।

स्वास्थ्य मंत्री की कल्याण निधि

†९००. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार १९५६ में स्वास्थ्य मंत्री कल्याण निधि के लिये अबतक कुल कितनी राशि एकत्रित की जा चुकी है ; और

(ख) उक्त काल में कल्याण कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) १ जनवरी, १९५६ से ३१ जुलाई, १९५६ तक २०,३५९ रु. ११ आ. ३ पा.।

(ख) १,२४,४५२ रु. ६ आ.।

पशुधन

९०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बधिया करने से बछड़ों की ताक़त बहुत कम हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को रोकने की कोई प्रभावपूर्ण योजना बना रही है।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं कि बधिया करने से बछड़ों की ताकत कम हो जाती है। लेकिन कटड़ों के विषय में ऐसा माना जाता है कि बधिया करने से वे अधिक फलते-फूलते नहीं हैं।

(ख) बधिया के ठीक ठीक असर जानने के लिये भारतीय कृषि गवेषणा परिषद ने खोज करने की एक योजना बनाई है।

करेह नदी का पुल

९०२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री २ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-नरकटियागंज शाखा में लहरिया सराय और हयाघाट स्टेशनों के बीच करेह नदी के पुल की जल-प्रवाह शक्ति बढ़ाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस काम में होने वाले कुल खर्च का भार राज्य-सरकार को ही उठाना होगा और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पुल ऊंचा करने के काम में कोई प्रगति नहीं हुई है। उत्तर बिहार के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को इसकी अनुमानित लागत बता दी गयी है। प्रदेश सरकार नें इस काम के लिये अभी तक न कोई निश्चित मांग की है और न लागत के लिये अपनी मंजूरी दी है।

(ख) जी हां।

(ग) सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भाड़े और यात्रियों से आय

†९०३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तटीय व्यापार करने वाले भारतीय नौवहन समवायों को १९५४–५५ में भाड़े और यात्रियों से कितनी आय हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : भारतीय नौवहन समवायों को तटीय और समीपवर्ती व्यापारोंसे १९५४–५५ में भाड़े और यात्रियोंसे क्रमशः ९,९०,४०,०८६ रुपये और १,१६,१५,५२७ रुपये आय हुई। केवल तटीय व्यापार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चित्तरंजन लोको वर्क्स

†९०४. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार का विचार चित्तरंजन के इंजन बनाने के कारखाने की क्षमता में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब लागू किया जाएगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अब परिचालित इंजनों के निर्माण में वृद्धि करने का प्रश्न इस बात पर निर्भर होगा कि रेलों में डीजल तथा विद्युत परिचालित इंजनों के प्रयोग में किस सीमा तक वृद्धि होगी।

(ग) अंतिम निर्णय हो जाने पर।

उत्तर रेलवे

†९०५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर रेलवे के संकरी लाइन वाले और चौड़ी लाइन वाले खन्डों पर माल के यातायात में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ; और

(ख) माल के यातायात में जो वृद्धि होगी उसके लिये सुविधायें देने के हित क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २५**]

राजकुमारी खेलकूद प्रशिक्षण योजना

९०६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजकुमारी खेलकूद प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत १९५५–५६ में पंजाब और पेप्सू को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई ; और

(ख) १९५६–५७ के लिये कितनी सहायता देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २६**]

चीनी की मिलें

†९०७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १६ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ये चीनी की मिलें कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) प्रत्येक चीनी की मिल में कितना-कितना गन्ना पेरा जा सकता है।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). १६० चीनी की मिलों में १४७ मिलें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१*,के अधीन पंजीबद्ध हैं । शेष १३ मिलें पंजीबद्ध नहीं हुई हैं और उनमें काम नहीं हो रहा है। अपेक्षित जानकारी के दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २७**]

अमोनियम सल्फेट

†९०८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमोनियम सल्फेट तथा अन्य उर्वरकों[1] को खरीदने के लिये १९५५–५६ में पंजाब और पेप्सू को अलग-अलग कितने कितने अल्पकालीन ऋण [2] दिये गये और यातायात के खर्चे अधिक होने के कारण जो नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति के लिये यदि कोई सहायता दी गई हो, तो वह कितनी है ;

(ख) १९५३–५४ और १९५४–५५ के मुकाबले में उपर्युक्त अवधि में इन राज्यों में अमोनियम सल्फेट, फासफेट युक्त खादों तथा उर्वरकों की कुल कितनी खपत हुई ;

(ग) १९५५–५६ के लिये इन राज्यों में कितना अमोनियम सल्फेट मांगा था और वास्तव में कितना दिया गया ; और

(घ) १९५६–५७ के लिये उपर्युक्त में इन राज्यों को कितने-कितने अल्पकालीन ऋण देने का विचार है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क)

१९५५–५६ में दिये गये अल्पकालीन ऋण:

	अमोनियम-सल्फेट	सुपर-फासफेट
पंजाब	६०·७५ लाख रुपये	८·१९ लाख रुपये
पेप्सू	२० लाख रुपये	..

यातायात के अधिक खर्चों के कारण हुये नुकसान की पूर्ति के लिये राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी गई।

†मूल अंग्रेजी में ।

* Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[1]Fertilizers.

[2]Short term loans.

(ख) (१) अमोनियम सल्फेट की खपत

	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६
पंजाब . .	१५,२९५ टन	२२,११२ टन	१४,२९६ टन
पेप्सू . .	३,३९९ टन	३,९२९ टन	३,३१८ टन

(२) सुपर फास्फेट की खपत

	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६
पंजाब .	३९६ टन	४७३ टन	२५५ टन
पेप्सू . .	२३*	१४*	इस वर्ष राज्य-सरकार ने वितरण नहीं किया।

*यह जानकारी वर्ष १९५३ और १९५४ के संबन्ध में हैं।

(ग)	वर्ष १९५५ में मांगी गई अमोनियम सल्फेट की मात्रा	वर्ष १९५५ में दी गई अमोनियम सल्फेट की मात्रा
पंजाब . .	१८,७२० टन	१८,७२० टन
पेप्सू	५,५०० टन	५,५०० टन

(घ) १९५६–५७ में दिये जाने वाल अल्पकालीन ऋण

	अमोनियम सल्फेट	सुपर फॉस्फेट
पंजाब	११.१३ लाख रुपये	अभी तक कोई प्रस्थापना नहीं मिली है।
पेप्सू .	अभी तक कोई प्रस्थापना नहीं मिली है।	,,

पटसन की मिलों के लिये माल के डिब्बे

†९०९. **श्री झूलन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पूर्निया जिलें में कटिहार में पटसन की कुछ मिलें और फारबेसागंज में चावल और तेल की मिलें इसलिये बंद होने वाली हैं क्योंकि उन्हें अपने गोदामों से माल भेजने के लिये माल के डिब्बे नहीं मिलते; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्राथमिकता यायायात अनुसूची[1] के अनुसार माल अधिक से अधिक मात्रा में भेजा जाता है। २८–७–५६ को कटिहार की पटसन मिल का कुछ भी माल लाने ले जाने के लिये शेष नहीं था। फरबेसागंज की चावल और तेल की मिलों का कुछ माल भेजने के लिये था, किन्तु वह अधिक नहीं था और न बहुत दिनों से पड़ा हुआ था।

हिन्दी समय-सारणियां

९१०. **श्री म० ना० सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रैडशा के अतिरिक्त हिंदी और अंग्रेजी में भी अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी के प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह हिन्दी अथवा अंग्रेजी या दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित की जाती है ;

(ग) यह रेलवे के बुक-स्टालों पर क्यों नहीं मिलती ;

(घ) क्या सरकार अगली बार अखिल भारतीय समय-सारणी को एक ही पुस्तक के रूप में और प्रत्येक जोन (महाखण्ड) के लिये अलग-अलग प्रकाशित करा कर उसको प्रत्येक बुक-स्टाल पर सुलभ करेगी ; और

(ङ) क्या सरकार ऐसा कोई सस्ता संस्करण भी प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगी जिसमें केवल समय-सारणियां और तदनुसार किराया-सारणियां ही हों ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) . अंग्रेजी और हिन्दी में रेलवे की अखिल भारतीय समय-सारणियां हर साल अप्रैल और अक्टूबर में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। 'ब्राडशा' सरकारी प्रकाशन नहीं है। हिन्दी में अखिल भारतीय समय सारणी का प्रकाशन बन्द करने का विचार है। लेकिन बनारस की एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा प्रकाशित हिन्दी की अखिल भारतीय समय-सारणी रेलवे के टिकटघरों और बुकस्टालों पर विक्री के लिये रक्खी जायेंगी।

(ग) रेलवे के बुकस्टालों पर समय-सारणियां मिलती हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब स्टाक खत्म हो जाने पर दूसरी प्रतियां ठीक समय पर नहीं पहुंच पातीं।

(घ) अंग्रेजी की अखिल भारतीय समय-सारणी एक भाग (खण्ड) में निकाली जाती है। लेकिन अखिल भारतीय हिन्दी समय-सारणी दो भागों में छापी जाती है ताकि यह बहुत मोटी न हो जाय। सभी रेलें अपनी समय सारणी अलग-अलग छापती हैं।

ये सभी समय-सारणियाँ बुक स्टालों और टिकटघरों में बिक्री के लिये रखी जाती हैं।

(ङ) अखिल भारतीय समय-सारणी के बारे में इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Preferential Traffic Schedule.

भोजन व्यवस्था

६११. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कैन्टीनों की, विशेष रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी, सोनपुर, छपरा औनरिहार, भटनी, बाराबंकी आदि जैसे छोटे-छोटे स्टेशनों की कैन्टीनों की दशा बड़ी खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इनकी दशा सुधारने के लिये कुछ ठोस कार्यवाही करने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन :) (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती

†६१२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष भर्ती के लिये रेलवे पदाधिकारी प्रार्थनापत्र न दें; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) रेलों की अलग-अलग श्रेणियों के कारण उत्पन्न हुई कठिन स्थिति को और रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुये परिपत्र का जारी करना आवश्यक हो गया।

खाद्यान्न

†६१३. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भटिंडा में हजारों मन अनाज, जो कि खुले में रखा गया था, बिजली के गिरने से नष्ट हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो वह अनाज अनुमानतः कुल कितनी कीमत का था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन)** : (क) और (ख) भटिंडा में खुले में रखे गये अनाज को बिजली के गिरने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर रेलवे के संकरी लाइन वाले स्टेशनों से दक्षिण रेलवे के स्टेशनों को भेजे गये अनाज के ३१ माल गाड़ी के डिब्बों का माल भटिंडा स्टेशन पर रखा गया था और उसे ६ जुलाई से १४ जुलाई, १९५६ के बीच भिन्न-भिन्न तारीखों को थोड़ा-थोड़ा करके भेज दिया गया। कुछ माल अन्दर रखा गया और कुछ माल जगह के अभाव में खुले में रखा गया। खुले में रखे गये अनाज को हमेशा की तरह तिरपालों से ढक दिया गया था। अभाग्य से इस बीच भारी वर्षा हुई और आंधी चली। वर्षा से माल को थोड़ी क्षति अवश्य हुई होगी, क्योंकि यह माल दक्षिण में कई स्थानों को भेजा जाने वाला था, इसलिये ठीक-ठीक कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सियालदह स्टेशन

†६१४. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्थापना पर विचार कर रही है कि यात्रियों की असुविधा दूर करने के लिये सियालदह स्टेशन को वर्तमान जगह से हटा कर कहीं और बना दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में राशन की दुकानें

†९१५. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के राशन के दुकानदारों को यह आश्वासन किया गया था कि जब तक बाढ़ के कारण स्थिति खराब रहेगी, तब तक अगरतला के सरकारी गोदामों से ग्रामीण क्षेणों की राशन की दूकानों तक चावल ले जाने का खर्च सरकार स्वयं ही वहन करेगी ;

(ख) क्या दुकानदारों को अब तक ले जाने का खर्चा दे दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो किस दर से ;

(घ) क्या यह सच है सरकार इस समय दुकानदारों को जिस दर से भाड़ा देना चाहती है, वह उससे कहीं कम है जो कि सरकार ने सहकारी परिवहन संस्था जैसे परिवहन अधिकरणों के लिये स्वीकार किया था और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान।

(ग) भाड़ा ६ पाई प्रति मन प्रति मील के हिसाब से दिया जाता है और हरेक स्थान पर उतारन चढ़ाने के लिये १ आना प्रति मन के हिसाब से और दिया जाता है।

(घ) नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

झांसी की रानी स्मारक समिति

†९१६. **श्री संगण्णा**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी की रानी स्मारक समिति, ग्वालियर नें भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि वह १८ जून, १९५७ को झांसी की महाराणी लक्ष्मीबाई शताब्दी समारोह के अवसर पर उसके चित्र वाले डाक-टिकट जारी करे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में विचार किया जा रहा है।

यात्री पथ-प्रदर्शक[1]

†९१७. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में नियुक्त यात्री पथ-प्रदर्शकों की तरक्की के लिये कौन-कौन से रास्ते हैं और उनका वेतनक्रम क्या है ; और

(ख) क्या ये लोग यात्रियों की सुविधाओं के विषय में रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों की अनियमिताओं के बारे मेंउच्च आधिकारियों को सीधे लिख सकते हैं और क्या उन्हें यात्रियों की शिकायतों को सुनाने के लिये डी. टी. एस. तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से समय-समय पर मिलने का अवसर दिया जाता है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Passenger Guides.

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क)

(१) ६०—१५० रुपये
(२) १००—१८५ रुपये
(३) १५०—२२५ रुपये

उन समाज पथ प्रदर्शकों को जो आरम्भ में इन्हीं वेतनक्रमों पर भर्ती हुये थे।

उनके लिये तरक्की का रास्ता वही है जो कि टिकट कलेक्टरों के लिये है, परन्तु टिकट कलेक्टरों के निम्नतम वेतनक्रम की वरिष्ठता सूची [1] में उनके काम अवश्य होने चाहियें।

(ख) दक्षिण पूर्वी रेलवे को छोड़कर और कहीं भी उच्च नहीं वे पदाधिकारियों से समय-समय पर नहीं मिलते हैं। फिर भी, जब पदाधिकारी स्टेशनों का निरीक्षण करें, तो वे उनसे मिल सकते हैं और सारी बातें बता सकते हैं।

पागल कुत्ते के काटे के इलाज का टीका

†९१८. **श्री रिशंग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों के कारण हाल ही में दिल्ली में इलाज के लिये पागल कुत्ते के काटने के इलाज का टीका कहीं भी उपलब्ध नहीं था ; और

(ख) सरकार ने कौन-कौन से प्रतिबन्ध लगाये थे जिनके कारण कुत्ते काटे का टीका नहीं मिल सका और दिल्ली में उसे हर समय उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) यह सच नहीं है। नई दिल्ली के विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों और दिल्ली के हिन्दू राव अस्पताल और जामा मस्जिद के औषधालय में कुत्ते काटे का टीका हर समय मिल सकता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†९१९. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों के बारे में १८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष राज्यों के बारे में मांगी गई जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की क्या स्थिति है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां, जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २८**]

रेलवे रियायत

†९२०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अभी तक शिक्षा संबंधी, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की कितनी और कौन-कौन सी संस्थाओं नें उन संस्थाओं और संगठनों की सूची में अपने नाम सम्मिलित करने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं जिनके प्रतिनिधियों को भारत में होने वाले उनके वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिये रेलवे रियायतें मिलती हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।
[1]Seniority list.

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके नाम उस सूची में दर्ज कर लिए गये हैं ;

(ग) किन-किन संस्थाओं के आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं ; और

(घ) उनको अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९५६ में, १५ संस्थाओं ने उन अखिल भारतीय संस्थाओं की सूची में अपने नाम सम्मिलित कराने के लिए आवेदन पत्र दिये जिनको रेलवे रियायत मिलती है। इन संस्थाओं की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २९**]

(ख) और (ग). इनमें से किसी संस्था को उस सूची में सम्मलित नहीं किया गया।

(घ) विद्यमान सूची में शिक्षा-संबंधी, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की कुछ ऐसी मान्य संस्थाओं के नाम है जिनकी वार्षिक बैठकों में सारे भारतवर्ष से काफी संख्या में लोग आते हैं या जिनकी गतिविधियां शिक्षा संबंधी सांस्कृति या वैज्ञानिक उन्नति के लिये बड़े महत्व की मानी जाती हैं। यह सूची सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण करने के बाद १९५५ में तैयार की गयी थी। इस सूची का पुनरीक्षण दोबारा १९५८ में किया जायेगा। उस समय इन संस्थाओं के मामलों पर उनके गुणावगुण के अनुसार नियम पूर्वक विचार किया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल में बाढ़ें

†१२१. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २५ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मिदनापुर में हुई अनुमानित क्षति का हिसाब किसानों द्वारा खेती पर किये गये व्यय के आधार पर या उनकी संभाव्य फसल के मूल्य के आधार पर लगाया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उनकी नष्ट हो गयी संभाव्य फसल के मूल्य के आधार पर।

क्षयरोग अस्पताल, इम्फाल

†१२२. **श्री रिशंग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के क्षय-रोग अस्पताल में इस समय जितने रोगियों के रहने की जगह है उससे अधिक रोगी दाखिल किये जाते हैं ;

(ख) क्या अस्पताल में भरती होने के लिये बहुत से रोगियों के नाम प्रतीक्षी-सूची* में दर्ज ह ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षयरोग अस्पताल में रोगियों की शय्याओं की संख्या बढ़ाना चाहती है ; और

(घ) राज्य में क्षयरोग की बढ़ोत्तरी का सामना करने के लिये मनीपुर के अन्य भागों में अतिरिक्त क्षयरोग अस्पताल खोलने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) जी हां, अस्पताल में क्षयरोग के ४७ रोगी हैं जब कि उसमें क्षयरोग के २० रोगियों के लिये ही स्थान है।

(ख) जी हां। क्षयरोग के १०७ रोगी बाहर रह कर चिकित्सा कराने@के लिये अस्पताल आते हैं।

(ग) जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९५७–५८ में १०० शैय्याओंवाला एक वार्ड बनवाने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।
* Waiting List
@ Out Patients.

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिये :–

१. एक केन्द्रीय क्षयरोग चिकित्सालय[1]

२. दो उप-चिकित्सालय[2]

(३) एक चलता-फिरता क्षय रोग चिकित्सालय और १०० शय्याओं वाला क्षय रोग अस्पताल बनवाने के लिये ५·४७२ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

क्षयरोग[3] अस्पताल, इम्फाल

†९२३. **श्री रिशंग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मनीपुर में इम्फाल के क्षय रोग अस्पताल की महिला रोगियों को अलग रखने का कोई प्रबन्ध है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में क्षयरोग के इस अस्पताल में एक अलग महिला वार्ड की व्यवस्था करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारी

९२४. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों को मुफ्त मकान की सुविधा दी गयी थी परन्तु रेलवे का एकीकरण किये जाने के बाद उनकी पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण होने पर वह इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि जिन कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९५० को रेलवे के क्वार्टर दिये गये थे उनका अपने पूरे सेवा काल में उन क्वार्टरों पर अधिकार रहेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के जिन कर्मचारियों को बिना किराया लिये मकान दिये जाते थे, उन्हें [4]यह रियायत तब तक दी जायेगी जब तक वे उस वर्ग में काम करते हैं जिसमें संघ-वित्तीय एकीकरण से पहले यह रियायत दी जाती थी।

(ख) १ अप्रैल, १९५० को जिन कर्मचारियों के पास क्वार्टर थे उनमें उन्हें उस समय तक रहने का अधिकार है जब तक वे किसी दूसरे स्टेशन पर बदल न जायें जहां यदि क्वार्टर हों, तो उन्हें दिये जा सकें।

ट्रेन एग्जामिनर

†९२५. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अपरेन्टिस ट्रेन एग्जामिनरों का वेतन-क्रम पूर्वी रेलवे के अपरेन्टिस ट्रेन एग्जामिनरों के वेतन-क्रम से भिन्न है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भिन्नता है और इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में ।
[1]Clinic.
[2]Sub Clinic.
[3]T. B.
[4]Categary.
[5]Federal Finanical Integration.

बामन्या स्टेशन

९२६. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बामन्या स्टेशन पर ऊंचा प्लेटफार्म होते हुये भी रेलवे बोर्ड नें वहां ऐक्सप्रैस और लोकल गाड़ियों की क्रासिंग न करने का कोई आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के गार्ड

†९२७. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के अलग-अलग डिवीजनों में क, ख और ग श्रेणियों के गार्डों की संख्या कितनी कितनी है,

(ख) क्या यह सच है कि कन्डक्टर गार्डों की जगहें खत्म करने से (क) श्रेणी के गार्डों की संख्या कम हो गयी है और यदि हां, तो उन गार्डों की जिनका स्तर घटा दिया गया है क्षतिपूर्ति किस प्रकार की गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से गार्डों को स्थायी नहीं बनाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ३०]**

(ख) जी हां; परन्तु उनके वेतन-क्रम में कोई कमी नहीं की गयी है, क्योंकि उनको उसी वेतन-क्रम में 'क' श्रेणी का गार्ड बना दिया गया है।

(ग) और (घ). भूतपूर्व ईस्ट इण्डियन और ईस्ट पंजाब रेलवे यूनिटों के बारे में यह बात ठीक है। इसका कारण अंशत: रेलवे के पुनर्वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाली असाधारण परिस्थितियां हैं और अंशत: यह है कि गार्डों की सम्मिलित वरिष्ठता* निश्चित करने के सिद्धान्त पहले से तय नहीं हैं।

परलाकीमिदि लाईट रेलवे

†९२८. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के जिला कोरापत की वंशधारा नदी पर उड़ीसा सरकार और आन्ध्र राज्य द्वारा एक जलाशय बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस जलाशय के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे महाखण्ड की परलाकी-मिदि लाइट रेलवे को कोई अड़चन तो नहीं होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो किस हदतक ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ऐसा विचार है कि प्रस्थापना की जांच हो रही है।

(ख) और (ग). अभी बताना संभव नहीं है।

रेलवे मार्ग का ठीक किया जाना

†९२९. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित उत्तर-पूर्वी रेलवे के धमहराघाट और कोपरिया स्टेशनों के बीच के वर्तमान रेलवे मार्ग में सुधार करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

* Seniority

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). १९३८ में जब कोसी नदी ने अपना मार्ग बदला था, तो उस समय दो पुल टूट कर बह गये थे और अब वर्षा के दिनों में पानी उनमें से होकर बहुत तेजी से बहता है। बिहार सरकार ने नदी के किनारों पर बाढ़ रोकने के बांध बनवाने का कार्य शुरू कर दिया है। पुल बनवाने और धमहराघाट और कोपरिया स्टेशनों के बीच अच्छे मौसम में चलने वाली नीचे तल वाली लाइन के बजाय सभी मौसमों में चलने वाली लाइन की व्यवस्था करने की प्रस्थापनाओं पर तब विचार किया जायेगा जब बिहार सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों के स्थायी प्रभावों का पता लग जायेगा।

प्लेट फार्मों पर शेड

†९३०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे के प्लेटफार्मों पर किन सिद्धान्तों और आधारों पर शेड लगाये गये हैं और लगाये जा रहे हैं ;

(ख) कितने मामलों में निश्चित किये गये सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया ;

(ग) विभिन्न रेलवे के कितने स्टेशनों पर शेड लगाने की स्वीकृति दे दी गयी है और

(घ) प्रत्येक रेलवे के कितने-कितने स्टेशनों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शेड लगाये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वर्तमान आदेशों के आधार पर किसी विशेष स्टेशन पर शेड लगाने के लिये वहां भी जलवायु, यात्रियों की संख्या और यातायात की विशेषता को ध्यान में रखा जाता है। सामान्य तथा ६ वर्गफीट प्रति यात्री के हिसाब से उस स्टेशन पर उतरने या चढ़ने वाले अधिकतम यात्रियों की आधी संख्या के लिये शेड बनाये जाते हैं। मुख्य मुख्य स्टेशनों पर समूचे प्लेटफार्मों के ऊपर शेड लगाये जाते हैं। स्टेशन के महत्व, धन की उपलब्धता और यात्री सुविधा समिति द्वारा मांग को स्वीकार करने पर कार्यक्रम बनाया जाता है जिसके आधार पर वास्तविक प्रबन्ध किया जाता है।

(ख) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयुर्वेद सम्बन्धी गवेषणा (मध्य प्रदेश)

९३१. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तब से वह विस्तृत प्रस्थापनायें मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गयी हैं और क्या रायपुर जिले में उस आयुर्वेद-गवेषणा केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस केन्द्र को कब तक स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत सुझाव मिल गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विभागातिरिक्त डाक कर्मचारी

†९३२. **श्री केलप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न श्रेणियों के विभागातिरिक्त डाक कर्मचारियों के वेतन-क्रम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : विभागातिरिक्त कर्मचारियों की श्रेणियां और उनके वेतन-क्रम नीचे दिये गये हैं :—

श्रेणी	मूल भत्ता	महंगाई भत्ता
१. विभागातिरिक्त सब-पोस्ट मास्टर .**	३० से ४० रुपये	२५ रुपये
२. विभागातिरिक्त ब्रांच पोस्ट मास्टर**	१० से २५ रुपये	१० रुपये
३. विभागातिरिक्त डेलिवरी एजेन्ट **	१० से २५ रुपये	१० रुपये
४. विभागातिरिक्त मेल कैरियर . **	१० से ३० रुपये	१० रुपये
५. विभागातिरिक्त स्टैम्प वेण्डर . **	१० से ३५ रुपये	१० रुपये

**जिन विभागातिरिक्त सब-पोस्टमास्टरों या विभागातिरिक्त ब्रांच पोस्ट मास्टरों को डाक भेजने या डाक बांटने का काम करना पड़ता है उन्हें १० रुपये का निश्चित भत्ता अन्य भत्तों के अलावा दिया जाता है। डाक भेजने और चीजों के वितरण का काम करने वालों को भी इसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता दिया जा सकता है।

डाकघर भवन (बड़नगर)

९३३. **श्री राधलाल व्यास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़नगर (जिला उज्जैन) में एक डाकघर भवन का निर्माण करने की योजना मंजूर की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

†मूल अंग्रेज़ी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	१२५३–७७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३४३	कृषि उधार (स्थायीकरण) निधि .	१२५३
१३४४	आसाम भत्ता	१२५४
१३४५	श्रमजीवी पत्रकार	१२५४–५५
१३४६	रेलवे भ्रष्टाचार जांच .	१२५५–५६
१३४७	ग्रामीणक्षेत्रों में परिवार आयोजन .	१२५६–७५
१३४८	सहकारी खेती .	१२५७–५९
१३५०	कारखानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम	१२५९
१३५१	विमानों का प्रतिस्थापन	१२६०
१३५२	सिंकोना की खेती	१२६०–६१
१३५५	जैसा काम वैसा दाम	१२६२–६३
१३५७	थाना में रेल का पुल .	१२६३
१३६०	मैसूर में वन गवेषणा केन्द्र	१२६३–६४
१३६१	भोजन व्यवस्था .	१२६४–६६
१३६४	लाम्फेल में गव्यशाला .	१२६६–६७
१३६५	दक्षिण रेलवे की बहुत सी मंजिलों वाली इमारत .	१२६७–६८
१३६८	डिब्रुगढ़ वर्कशाप	१२६८–६९
१३६९	पहाड़ी भत्ता . .	१२६९–७०
१३७०	रेलवे राष्ट्रीय प्रयोक्ता समिति	१२७०
१३७१	छटीकरा स्टेशन .	१२७०–७१
१३७२	तेजपुर-रंगिया रेल मार्ग .	१२७१
१३७४	सुपौल-चांदपिपर रेलमार्ग	१२७१–७२
१३७५	नौवहन . . .	१२७२–७३
१३७६	ऊन टेकनालाजी तथा भेड़ पालने का प्रशिक्षण	१२७३–७४
१३७७	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नगरकोइल .	१२७४–७५
कुछ आपत्तिजनक वाक्यांशों के बारे में अध्यक्ष के विचार		१२७५–७७

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१२७७–१३०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३४९	टेकनिकल समिति	१२७७
१३५३	अणुशक्ति का कृषि फार्मों में प्रयोग	१२७७
१३५४	डाक कर्मचारी	१२७७–७८
१३५६	दमदम पर एयरफील्ड कंट्रोल रेडार	१२७८
१३५८	चीनी का उत्पादन	१२७८
१३५९	गन्ना	१२७८–७९
१३६२	श्रम संबंध समिति	१२७९
१३६३	बीकानेर रेलवे वर्कशाप	१२७९
१३६६	चावल	१२७९–८०
१३६७	भारतीय रेलों के सम्बन्ध में अमरिकी प्रोफेसर का प्रतिवेदन	१२८०
१३७३	काम दिलाऊ दफ्तर की प्रादेशिक मंत्रणा समिति	१२८०
१३७८	नौवहनों का प्रशिक्षण	१२८०
१३७९	छोटे बन्दरगाह	१२८१
१३८०	इंजन डिब्बे आदि	१२८१
१३८१	सोनपुर का पुल	१२८१
१३८२	घटवारी की दरें	१२८१–८२
१३८३	पहाड़ी भत्ता	१२८२
१३८४	कृषक बैंक	१२८२
१३८५	अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन	१२८२
१३८६	पाकिस्तान को नौवहन सुविधायें	१२८३
१३८७	भोजन व्यवस्था	१२८३
१३८८	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	१२८३–८४
१३८९	रेलवे के फाटक	१२८४
१३९०	उड़ीसा में चावल के गोदाम	१२८४
१३९१	जल संभरण योजना, गोहाटी	१२८४–८५
१३९२	त्रिचूर रेलवे स्टेशन	१२८५
१३९३	सरकारी फार्म	१२८५
१३९४	डाकघरों का खोला जाना	१२८५
१३९५	भारतीय केन्द्रीय कपास समिति	१२८६
१३९६	सिन्धु पुनर्वास निगम	१२८६
१३९७	बिहार में हैजा	१२८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८८५	औद्यानिक गवेषणा केन्द्र .	१२८६–८७
८८६	कृषि तथा पशुपालन संबंधी बोर्ड .	१२८७
८८७	नयी वेधशालायें . .	१२८७
८८८	रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, कलकत्ता	१२८७
८८९	दावे . . .	१२८८
८९१	त्रावणकोर-कोचीन में बाढ़ .	१२८८
८९२	खड़गपुर की हड़ताल .	१२८८
८९३	बैलों के गवेषणा व परीक्षण केन्द्र	१२८८–८९
८९४	कामदिलाऊ दफ्तर, बिहार	१२८९
८९५	उत्तर रेलवे के कर्मचारी	१२८९
८९६	छपरा स्टेशन	१२८९–९०
८९७	डाक तथा तार विभाग के महिला कर्मचारी	१२९०
८९८	अमृतसर रेलवे स्टेशन .	१२९०
८९९	यात्री सहायक . .	१२९०–९१
९००	स्वास्थ्य मंत्री की कल्याण निधि .	१२९१
९०१	पशुधन . .	१२९१
९०२	करहे नदी का पुल	१२९१
९०३	भाड़े और यात्रियों से आय .	१२९२
९०४	चितरंजन लोको वर्कस्	१२९२
९०५	उत्तर रेलवे . . .	१२९२
९०६	राजकुमारी खेल कूद प्रशिक्षण योजना	१२९२–९३
९०७	चीनी की मिलें .	१२९३
९०८	अमोनियम सल्फेट . .	१२९३–९४
९०९	पटसन की मिलों के लिये माल के डिब्बे	१२९५
९१०	हिन्दी समय सारणियां	१२९५
९११	भोजन व्यवस्था . . .	१२९६
९१२	भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती	१२९६
९१३	खाद्यान्न .	१२९६
९१४	सियालदाह स्टेशन . .	१२९६–९७
९१५	त्रिपुरा में राशन की दुकानें	१२९७
९१६	झांसी की रानी स्मारक समिति	१२९७
९१७	यात्री-पथ प्रदर्शक	१२९७–९८
९१८	पागल कुत्ते के काटे का इलाज	१२९८

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर ----(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९१९	सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड . .	१२९८
९२०	रेलवे रियायत .	१२९८ ९९
९२१	पश्चिमी बंगाल में बाढ़ें . . .	१२९९
९२२	क्षयरोग अस्पताल, इम्फाल .	१२९९–१३००
९२३	क्षयरोग अस्पताल, इम्फाल .	१३००
९२४	भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारी .	१३००
९२५	ट्रेन एग्जामिनर	१३००
९२६	बामन्या स्टेशन .	१३०१
९२७	उत्तर रेलवे के गार्ड .	१३०१
९२८	पारलाकीमिदि लाइट रेलवे	१३०१
९२९	रेलवे मार्ग का ठीक किया जाना	१३०१–०२
९३०	प्लैटफार्मों पर शेड .	१३०२
९३१	आयुर्वेद संबंधी गवेषणा (मध्यप्रदेश)	१३०२
९३२	विभागातिरिक्त डाक कर्मचारी	१३०२–०३
९३३	डाक-घर-भवन (बड़नगर)	१३०३

भा. स. मु. ना.—वि. ३—२२०–लोकसभा/५६—११-१०-५७—१९०

खंण्ड ६—अंक २८
२४ अगस्त, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६	पृष्ठ
स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में .	६९५–९६
स्थगन प्रस्ताव——	
त्रिपुरा में बाढ़े .	६९६–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	६९८–९९
राज्य सभा से सन्देश . . .	६९९
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक .	७००
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	७००–३९
खंड २ से १५	७००–०२
खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३	७०२–१९
खंड ५० से ७० . . .	७१९–३२
खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६	७३२–३९
दैनिक संक्षेपिका	७४०–४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६	
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५	७४३
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक	७४३
राष्ट्रीय राजपथ विधेयक	७४३
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	७४४–८६
खंड २ से १५	७४४–६३
खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . .	७६३–६६
खण्ड ११५ से १३१ . . .	७६६–८६
दैनिक संक्षेपिका . .	७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६	
डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन .	७८९–९०
स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . .	७९०–९५
दैनिक संक्षेपिका .	७९६

अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८

राज्य सभा से सन्देश ७९८

सभा का कार्य ७९८

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२

खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१

नदी बोंड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३

विचार करने का प्रस्ताव ८५२

दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८

कार्य-मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९

नदी बोर्ड विदेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११

बेकारी सहायता विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ९२९

सभा का कार्य ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

ल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१६०.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२.०९ म० प०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ १६४५, दिनांक २१ जुलाई, १९५६ की व्याख्यात्मक टिप्पण सहित एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस. ३४४/५६**]

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: मैं *प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लियें रखा गया और स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री म० च० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (संख्या ४) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : मैं *प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदानके लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री म० च० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा का कार्य

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : औचित्य प्रश्न के हेतु, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल की कार्य-सूची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना विधेयक रखा गया था, परन्तु आज वह उस में से हटा दिया गया है और संभवतः उसके स्थान पर राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक रख दिया गया है। इस विधेयक के लिये हम में से कुछ व्यक्ति तो बिल्कुल तैयार नहीं हैं। सभा के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार किया जा रहा है यह बहुत अनुचित है।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : सरकार इस सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना विधेयक को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। यह निर्णय बहुत बाद में किया गया था। इस लिये मुझे खेद हैं कि सभा को सूचना नहीं दी जा सकी। इस पर इस सत्र में चर्चा नहीं होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संबंध में जब भी निर्णय एक दिन पहले शाम तक कर लिया जाये तो मंत्री महोदय को सभा को इस निर्णय की सूचना दे देनी चाहिये जिससे माननीय सदस्य उस मद-विशेष को छोड़कर अगली मद के बारे में तैयार हो कर आ सकें।

†**श्री कामत** : कार्यसूची में दिये गये सभी विधेयकों के बारे में तैयारी कर के आना तो हमलोगों के लिये अत्यंत कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को यथा संभव अधिक से अधिक विधेयकों के बारे में तैयारी कर के आना चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य की आपत्ति में कुछ हद तक ठीक है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि यदि किसी विधेयक को अचानक हटा लिया जाता है तो सदस्यों को असुविधा होती है। इस बार जो ऐसा हुआ, उसके लिये मुझे खेद है। मेरे सहयोगी ने कहा है कि सरकार ने इस विधेयक को अगले सत्र में लेने का निश्चय किया ह, परन्तु यदि सभा की इच्छा यह है कि उसको इसी सत्र में लिया जाये, हम ऐसा कर सकते हैं। हम इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास कर सकते हैं।

†**श्री कामत** : माननीय प्रधान मंत्री को मैं यह स्मरण करा दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना विधेयक पिछले नवम्बर से सभा में लम्बित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि उसे इसी सत्र में लिया जाये ?

†**श्री कामत** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय प्रधान मंत्री तैयार हो तो वे इस विधेयक के लिये कोई तारीख नियत कर सकते हैं।

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा २३ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर, और आगे चर्चा आरम्भ करेगी :

> "कि सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

†**श्री क० कु० बसु** : (डायमण्ड हार्बर) : इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि यह बिल्कुल हानिरहित विधेयक है और इसमें केवल वर्त्तमान विधान में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। परन्तु यदि सावधानी पूर्वक विधेयक का अध्ययन किया जाये तो यह ज्ञात होगा कि मूल अधिनियम द्वारा जिन बातों का उपबंध किया गया है, यह संशोधन उससे कहीं आगे बढ़ जाते हैं।

कल अनेक माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यह बात कहीं कि इस विधेयक में वैसे संशोधन, जैसे किये जा रहे हैं, नहीं किये जाने चाहिये। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि दिल्ली सुधार प्रन्यास अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय को यह अधिकार दिया जाये कि वह किसी व्यक्ति को किसी सरकारी इमारत से निष्कासित कर सकें। पुराने अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार को थोड़े से अधिकार प्राप्त थे। मैं विशेष रूप से उस संशोधन के बिल्कुल विरुद्ध हूं जिसके द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह लोगों को निष्कासित कर सकते हैं। आज जब हम जन-साधारण की रहन-सहन दशा में सुधार करने की बातें करते हैं, उस समय दिल्ली सुधार प्रन्यास को हम ऐसे कुछ अधिकार दे रहे हैं जो जन-साधारण के मार्ग में बाधक होंगे। इस विधेयक का परिणाम यह होगा कि दिल्ली नगर में इस समय जो निर्धन लोग रह रहे हैं, उनको इसके बाद नगर में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यहां रहकर किसी प्रकार अपने जीवन निर्वाह के लिये उनको कोई न कोई काम मिल जाता है। परन्तु अब जो परिवर्तन किया जा रहा है, उसका प्रभाव केवल गरीबों पर ही नहीं, शरणार्थियों पर भी पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० कु० बसू]

गन्दी बस्तियों के इस प्रकार हटाये जाने का क्या आधार है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह संविधान के उपबन्धों अथवा भावना के अनुकूल हैं? हमने कल्याण-कारी राज्य को अपना लक्ष्य माना था, और उसमें परिवर्तन कर अब समाजवादी ढांचे के समाज को लक्ष्य बना दिया गया है। परन्तु फिर भी, जिन गरीब व्यक्तियों के लिये जीविका का कोई सहारा नहीं है और जो इन गन्दी बस्तियों में रहते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वे शहर से पांच-छः मील दूर जा कर रहें।

मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। गन्दी बस्तियों को हटाने का प्रश्न उत्पन्न ही कहां होता है? आपको ईमानदारी से यह घोषणा कर देनी चाहिये कि यह नगर केवल धनियों के रहने के लिये है और गन्दी बस्तियों के निवासियों को इसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस विषय के गुणावगुण में नहीं जाना चाहता, परन्तु यह कहता हूं कि हमको उस गरीब शिल्पी अथवा मजदूर की कठिनाइ को समझना चाहिये जिसको अपने रोज़गार के लिये नगर में रहना पड़ता है।

संभवतः, अधिकारियों का विचार सम्पूर्ण दिल्ली नगर को वैसा ही बनाने का है जैसी इस समय नयी दिल्ली है। जहां तक नयी दिल्ली का प्रश्न है, उसके संबंध में ब्रिटिश सरकार का विचार यह था कि उसे अंग्रेजों और सरकारी-पदाधिकारियों के लिये सुरक्षित रखा जाये। परन्तु दुर्भाग्यवश मैं देखता हूँ कि इस समय भी सरकार का ऐसा ही विचार है। हम जानते हैं कि मकानों को बनाने के संबंध में दिल्ली के नागरिकों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी समय प्रधान मंत्री का यह विचार था कि १० एकड़ के अहाते वाली इमारतों के स्थान पर कम जगह घेरने वाली मज़बूत इमारतें बनायी जायें—परन्तु यह दो या तीन वर्ष पहले की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के कितने उच्चाधिकारी अपने खर्चे से वैसे मकानों में, जिन में वे रह रहे हैं, रह सकते थे और उन सब सुख-सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं जो सरकार उनको दे रही है? भारत के जनसाधारण की तो बात ही क्या, बम्बई की मलाबार हिल और कलकत्ते के अलीपुर क्षेत्र के व्यापारी-सेठों को छोड़ कर साधारण व्यवसायी वर्ग के लिये भी इतने बड़े बड़े अहातों वाले मकानों में रहना संभव नहीं है। दिल्ली की गन्दी बस्तियों को इसी लिये हटाया जा रहा है ताकि उनके स्थान पर ऐसे प्रासादों और व्यापार गृहों का निर्माण किया जा सके जिन्हें देख कर विदेशों से आने वाले पर्यटक यह कह सकें कि "दिल्ली तो महलों का नगर है"। परन्तु उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने पीढ़ी पर पीढ़ी एक एक ईंट जोड़कर इस महान नगर का निर्माण किया है? क्या उन लोगों से इस नगर में रहने का अधिकार छीन लिया जायेगा? यदि सरकार यह कहे कि दिल्ली केवल सरकारी पदाधिकारियों और बड़े बड़े व्यापारियों के लिये ही है क्यों कि यहां का जीवन-निर्वाह व्यय बहुत ही अधिक है, तो यह बात समझ में आ सकती है। परन्तु वह यही तो नहीं कहती हैं। गन्दी बस्तियों को इस ढंग से हटाया जाना चाहिये जिससे उनमें रहने वालों को दिल्ली के निकट ही ऐसे स्थानों पर बसाया जा सके जहां वह अपना जीविकोपार्जन कर सकें। परन्तु समाचार पत्रों और अन्य प्रकाशनों से हमें पता यह चलता है कि इन गन्दी बस्तियों को नगर के बीच से हटा कर जिन स्थानों पर भेजा जा रहा है वहां फिर से गन्दी बस्तियां बस रही हैं।

हमारी स्वास्थ्य मंत्री विश्व भर में घमती रही हैं और निश्चय ही उन्होंने यह भी देखा होगा कि उन देशों में गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करने का किस हद तक प्रयास किया गया है। केवल समाजवादी देशों में ही नहीं, पूंजीवादी देशों में भी मजदूरों की बस्तियां बसाने और नगरों के निकट ही मजदूरों के लिये कई-कई मंजिली इमारतों बनाने का प्रयास किया गया है। किन्तु यहां हम यह देखते हैं कि गन्दी बस्तियों को, इनमें रहने वालों को फिर से बसाने के लिये नहीं वरन् सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के लिये शाही-इमारतों बनाने के लिये हटाया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गन्दी बस्तियों को हटाने से हमारा तात्पर्य यह है कि उनमें रहने वालों को नगर में अथवा नगर के निकट ही अधिक अच्छे ढंग से रहने के योग्य बनाया जाये; उनको नगर से मीलों दूर न भेजा जाये। गन्दी बस्तियों को इस ढंग से हटाया जाये कि नगर में ही ऐसा हलका बन जाये जिसमें साधारण लोग रह सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि दृष्टिकोण में ही परिवर्त्तन किया जाये।

मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार की इमारतें बनाने के लिये सरकार को सहायता देनी चाहिये और साथ ही इस प्रकार लगायी गयी पूंजी से जो आय हो वही भी ६ या ८ प्रतिशत तक नहीं होनी चाहिये। इस समय नयी बनी इमारतों के किराये पर कोई नियंत्रण नहीं है और उनका मन माना किराया वसूल किया जाता है। परन्तु सरकारी सहायता से बनाई गई इमारतों के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिये। हमको कल्याणकारी राज्य और समाजवादी प्रकार के समाज के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिये। और गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये भी उन्ही सुख सुविधाओं का प्रबन्ध करना चाहिये जो दिल्ली के अन्य निवासियों को प्राप्त हैं।

इसका एक दूसरा पहलू भी है। कार्यपालिका को ऐसे अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें जिनके विरुद्ध अपील करने का अधिकार न हों। पहले यह अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में था जिससे सीधा जवाब तलब किया जा सकता था। परन्तु अब एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जा रही है और उसको अधिकार सौंपे जा रहे हैं। उससे हम कोई जवाब नहीं तलब कर पायेंगे–विशेष रूप से इस कारण से कि नयी व्यवस्था में दिल्ली राज्य का कोई विधान मण्डल नहीं होगा। दिल्ली सुधार प्रन्यास के संबंध में जो कुछ सुना जाता है उसकी स्थिति कुछ ठीक तो नहीं नजर आती है। अब उसे संक्षिप्त निष्कासन के अधिकार दिये जा रहे हैं। "सरकारी भूगृहादि" शब्द की परिभाषा भी अधिक व्यापक कर दी गयी है। दिल्ली सुधार प्रन्यास को कुछ आवश्यक अधिकार दिये जाने की बात तो समझ में आ सकती है परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि एक स्वायत्त निकाय को संक्षेप्तः निष्कासन का अधिकार दिया जाये इस प्रकार आवश्यकता से अधिक प्राधिकार का प्रत्यायोजन किया जा रहा है।

इस संबंध में मंत्रणा समिति का उल्लेख किया गया है। परन्तु मैं नहीं जानता कि मंत्रणा समिति का क्या हाल होगा। आज की स्थिति में मंत्रणा समितियों से कोई लाभ नहीं होता।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जो कार्य करे, ईमानदारी से करे। मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि दिल्ली में सुधार कर उसे अधिक सुन्दर बनाया जाये। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां केवल महल ही हों ; ऐसे भी स्थान होने चाहिये जिनमें ग़रीब लोग भी रह सकें। पुरानी दिल्ली के निवासियों की दशा बहुत ख़राब है। उनके लिये भी मकानों का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

इसलिये, सरकार से मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को वापस लेकर दूसरा, अधिक अच्छा विधेयक लाया जाये। केवल जन साधारण ही नहीं बड़े व्यवसायी भी यह समझते हैं कि दिल्ली सुधार प्रन्यास का काम अच्छी तरह नहीं चल रहा है। उसको केवल महलों का ही निर्माण नहीं करना है, नगर के गरीब निवासियों की सुख-सुविधाओं का भी ध्यान रखना है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के इस उपबन्ध विशेष का विरोध करता हूं और मेरी यह इच्छा है कि सभा इस विधेयक को अस्वीकार कर देगी जिससे सरकार दूसरा और अधिक अच्छा विधेयक लाये जो दिल्ली के निवासियों की सहायता कर सके और शाही इमारतों के निर्माण द्वारा नहीं वरन् जन साधारण के लिये मकानों का निर्माण करके गन्दी बस्तियों के निवासियों का पुनर्वास कर सके।

†**श्री च० कु० नायर** (बाह्य दिल्ली) : कुछ संशोधनों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि अधिक व्यापक और उपयोगी विधान लाते समय सरकार इन बातों को ध्यान में रखेगी। ऐसी योजना के बिना दिल्ली में सुधार करना संभव नहीं है। मैं तो समझता हूं कि दिल्ली का 'मास्टर प्लान' भी सफल नहीं हो सकेगा। इसको मानवता के दृष्टिकोण से बनाया जाना चाहिये। और समस्याओं की अपेक्षा यह समस्या कहीं अधिक मानवीय है क्योंकि हमको उन व्यक्तियों को विस्थापित करने का अपराध करना पड़ेगा, जो इन गन्दी बस्तियों में कष्ट सहन कर रहे हैं। यह सही है कि इन लोगों को पांच छः मील दूर भेज दिया जायेगा। परन्तु इससे बचा नहीं जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० कु० नायर]

फिर भी, इस संबंध में दृष्टिकोण औचित्यपूर्ण होना चाहिये। हमें खुशी है कि पांच वर्षों की कोशिशों के बाद अब हमारा 'मास्टर प्लान' आने वाला है। परन्तु इसको केवल मात्र जड़-योजना ही नहीं होना चाहिये। इस योजना के साथ अधिक से अधिक अनुभवी इंजीनियरों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और समाजशास्त्रियों को सम्बन्ध करना चाहिये।

परन्तु इस समस्या के मानवीय पहलू से कैसे निबटा जाये? जैसा कि मैं बारम्बार कह चुका हूं, दिल्ली की दो लाख आबादी इन गन्दी बस्तियों में रहती है। भारत सेवक समाज ने पूर्ण निष्टा के साथ यह कार्य शुरू किया है और वह जनता तथा गन्दी बस्तियों के निवासियों को उत्साहित करने में भी सफल हो गया है। केवल यही नहीं, सरकारी अधिकारियों, यहां तक कि प्रधान मंत्री का ध्यान भी उनके कार्यों की ओर आकर्षित हुआ है। परन्तु इसका अर्थ यह है कि इसके लिये हमें एक ऐसे व्यापक विधान की आवश्यकता है जो उन समस्याओं को हल कर सके, जो गली-गली, और मुहल्ले-मुहल्ले में हमारे सामने आयेंगी।

इसलिये, मैं समझता हूं कि हमको दो बातें बहुत ही शीघ्र करनी होंगी। एक तो यह कि यहां कही गयी बातों का पूरा ध्यान रखते हुये दिल्ली के मास्टर प्लान को पूरी तरह सोचसमझ कर तैयार किया जाये। यों तो यह विशेषज्ञों का कार्य है, परन्तु उसमें मानवीय पहलू की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। कहा गया है कि उनका ध्यान ऐतिहासिक स्मारकों आदि को बनाये रखने की तरफ़ अधिक है। इसमें कोई हर्ज नहीं है और हमें तो इस कारण प्रसन्नता है क्यों कि जिस ऐतिहासिक नगरी में हम रह रहे हैं उसमें हममें इन स्मारकों के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिये।

मानवीय समस्या का भी ध्यान रखा जाना चाहिये और जीवित व्यक्तियों को अधिक आदर देते हुए उन्हें नगर में रहने की अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिये। इस लिये इस प्रश्न के इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

दूसरे, भारत सेवक समाज के कार्यकर्त्ता वहां काम कर रहे हैं। वे दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क के स्नातकों के साथ मिल कर कार्य कर रहे हैं। नयी पीढ़ी, नये उत्साह के साथ कार्य कर रही है। हम सर्वेक्षण कार्य कर रहे है और वे हमारी सहायता करना चाहते है। लगभग एक हजार से अधिक इलाकों का सर्वेक्षण हो चुका है। दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स की सहायता से यह सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। यह ठीक है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। परन्तु गन्दी बस्तियों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और परिवार की कठिनाई जाने बिना वह कैसे कुछ कर सकती है।

इस संबंध में मेरी अपील यह है कि सुधार प्रन्यास को तो समाप्त कर ही दिया जाना चाहिये क्योंकि वह बदनाम हो चुका है। एक वर्ष के लिये दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार की स्थापना की गई है। परन्तु अभी कुछ निश्चित नहीं है। शायद दिसम्बर के बाद नियन्त्रण के लिए कोई प्राधिकार न रहे। इस लिये मुझे आशा है कि इस प्रकार का विधेयक बनाया जा रहा है जिसके द्वारा एक स्थायी पूर्ण अधिकार प्राप्त प्राधिकार की स्थापना की जायेगी। इस लिये उनकी भावना, राय और हित का ध्यान रखते हुए ही हमें कोई विधि बनानी चाहिये।

†**पंडित कु० च० शर्मा :** (जिला मेरठ-दक्षिण) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं श्री नायर और श्री क० कु० बसु से सहमत हूं। किसी भी प्रकार की योजना के लिये दो बातें जरूरी है। निर्णय करने का अन्तिम अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले को ही प्राप्त होना चाहिये। कार्य क्षेत्र से दूर रहने वाले इस संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सकते। क्रियात्मक जीवन यही है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि विकास योजना में सहायता देने के इच्छुक लोगों की सहायता ली जानी चाहिये। श्री नायर का यह विचार ठीक हैं कि ऐसे लोगों की सहायता और विश्वास का लाभ उठाया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन दोनों बातों को सामने रखते हुए, मेरी समझ में नहीं आता कि जिन बातों का श्री क० कु० बसु उल्लेख कर रहे हैं, वह कैसे उत्पन्न होती है। यह बड़ा सरल विधेयक है। सार्वजनिक स्थान की परिभाषा करने के अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं जोड़ा गया है। योजना के विकास की व्यवहारिक कठिनाइया को ही दूर किया गया है।

'अनाधिकृत कब्जा' और 'अनुमति देने में सक्षम प्राधिकार', यह बड़ी सीधी सी बातें हैं और इनके लिये इस विधेयक की कड़ी आलोचना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

इस लिए मेरी प्रार्थना है कि यदि आप गंदी बस्तियों को साफ करना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। प्रत्येक सुन्दर वस्तु सरल नहीं होती है। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि इन कठिनाइयों को जितना हो सके, कम करने का प्रयत्न करें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय.....

†**श्री कामत** :(होशंगाबाद) : श्रीमान, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सदन में गणपूर्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : गणपूर्ति है हम कोई मतदान नहीं कर रहे । माननीय सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव अपना भाषण जारी रख सकते है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने इस बिल के बारे में कल भी लम्बी चौड़ी तकरीर की थी और मैं नहीं चाहता कि इस मौक़े पर मैं उसमें से किसी हिस्से को दुहराऊं लेकिन मैं जनाब की ख़िदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं और उसकी खास वजह यह है कि मैं हाउस में यह पाता हूं कि जितनी बातें मैंने अपनी तक़रीर में कहीं, उनमें से किसी का भी जवाब ग़लत या दुरुस्त हाउस के अंदर नहीं दिया गया। शायद यह मुमकिन है कि उनका जवाब दिया ही न जा सकता हो और वे बातें इतनी दुरुस्त हों कि उनका जवाब दिया ही न जा सकता हो और अगर ऐसा हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन अगर वह बातें ऐसी नहीं हैं जिनको कि आनरेबुल मिनिस्टर साहबान तसलीस करें तो यह वाजिब है कि इस हाउस के अंदर डिबेट (वाद-विवाद) को कम से कम पुरमानी बनाने के वास्ते उन औबजेक्शंन्स (आक्षेप) को मीट (उत्तर देना) किया जाना चाहिये था।

मैंने शिकायत की थी कि किस तरीक़े से कई हज़ार मकान बावजूद इसके कि उनको ऐश्योरेंस (आश्वासन) दिये गये, उन ऐश्योरेंसेंस के बरख़िलाफ़ उन मकानों को गिराया गया। ४० हज़ार, १५ हजार, १०हज़ार और ८ हज़ार की लागत के कितने ही पक्के मकान गिराये गये और कच्चे मकान तो बेशुमार गिराये गये। इन बातों का जवाब देते समय हमको उम्मीद यह थी कि कम से कम आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा कुछ लफ्ज सिम्पैथी (सहानुभूति) के कहेंगीं कि यह सब हुआ तो सही लेकिन हमें उसका अफ़सोस है । कल हमारे पंडितजी ने नागों के बारे में बतलाया और साथ ही यह फ़रमा दिया कि हमसे नागा विद्रोह दबाने के सिलसिले में मुमकिन है कुछ ग़लतियां भी हो गई हों। अगर इस तरह से कुछ हमारी मिनिस्टर साहिबा ने फ़रमाया होता तो जिन लोगों के मकान आपके महकमे ने गिरवाये थे उनको कुछ तसल्ल होती कि चलो मिनिस्टर साहिबा को हमारे साथ कुछ हमदर्दी तो हुई ! लोगों की आंखों के सामने उनका आशियाना लुट गया और मिनिस्टर सहिबा ने उनके लिए एक लफ़्ज भी हमदर्दी का नहीं कहा। ऐश्योरेंस कमेटी (आश्वासन समिति) की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) यह थी कि उन अफ़सरों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कि पार्लियामेंट के अन्दर जो कुछ ऐश्योरेंसेज दिये गये थे उनकी ख़िलाफ़वर्जी की है और उन को तोड़ां है, उन के बरख़िलाफ़ कोई ऐक्शन (कार्यवाही) लिया जाय। हमारे स्पीकर साहब ने ऐश्योरेंस कमेटी बैठाई और उसने भी यह साफ़ तौर पर कहा कि किन अफ़सरान का यह कसूर है इसका पता लगाया जाय लेकिन हमने देखा कि हमारी मिनिस्टर साहिबा ने बग़ैर उस बात को देखे हुए और बग़ैर एक लफ़्ज सिम्पैथी का कहे

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हुए उनको सार्टिफ़िकेट (प्रमाणपत्र) दे दिया और यह ऐलान कर दिया कि अफ़सरान का कोई क़सूर नहीं है और वे अफ़सरान बिलकुल मासूम हैं और उन्होंने कोई क़सूर नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम कि आया कोई तहक़ीक़ात इस ऐश्योरेंस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कराई या नहीं कराई, जहां तक मैं समझता हूं कोई माकूल स्टेप नहीं लिया गया इस क़िस्म की कोई तहकीक़ात नहीं हुई। जो शिकायतें उस ऐश्योरेंस कमेटी ने की थीं उनको दुरुस्त करने के वास्ते भी जहां तक मैं समझता हूं सन् १९५१ के बाद से आज सन् ५६ तक किसी को एक पैसा एक्स ग्रैशिया (अनुग्रह से) नहीं दिया गया है जिसका कि दिया जाना एज़ कन्डीशन प्रेसिडेंट ऐबसलूटली नैसेसरी (सर्वथा आवश्यक) था। मैंने कल अर्ज किया था कि जिनको कि मकानों से बेदख़ल करके उनके मकानों को गिराया गया ईन आदमियों को बसाने की कोशिश नहीं की यह ठीक है कि कुछ लोगों को एलिजिब्ल्टी स्लिप्स् (पात्रता की पर्णियां) दी गईं लेकिन वह किस काम कीं। जहां तक झेंडेवालान का ताल्लुक है अभी तक यह फ़ैसला नहीं हुआ है कि वहां पर मकान बनाये जायेंगे या नहीं तब क्या लोग आपकी उन एलिजिब्ल्टी स्लिप्स् को शहद लगाकर चाटें। वहां अभी तक मकान बनाने का फ़ैसला ही नहीं हुआ है।

जनाबवाला, मुझे आख़िर में यह कहना है कि जिनको कि मरहम लगानी चाहिये थी और जिनको कि कम से कम एक लफ़्ज सिम्पैथी का कहना चाहिये था और आयन्दा के वास्ते यक़ीन दिलाना चाहिए था कि उन ऐश्योरेंसेस का ख्याल रक्खा जायगा, अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि उनके वास्ते एक लफ़्ज भी हमदर्दी का नहीं कहा गया। यहां मुझे एक बहुत ही मशहूर मसल याद आजाती है :

"बनिया हाकिम गजब ख़ुदा" "औरत हाकिम गज़ब ख़ुदा"। मिनिस्टर साहिबा ने बड़े तमतड़ाक से कह दिया कि उनके मातहत अफसरान सब के सब देवता है और किसी ने कोई क़सूर नहीं किया तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह ५२२९ मकान किस तरह गिर गये? इस हाउस के १५ मेम्बरों की ऐश्योरेंस कमेटी ने यह फ़ैसला दिया कि जितने ऐश्योरेंसेस थे उनके ऊपर ठीक तरह अमल नहीं हुआ और उनकी ख़िलाफ़वर्जी की गई। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उज़दारी हुई कि इसको फिर से देख लिया जाय और इसको क्लैरिफाई (स्पष्टीकरण) कर दिया जाय, लेकिन उसका भी अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ और चुनांचे वही पहले वाली रिपोर्ट फील्ड होल्ड (स्थिर है) करती है। सच तो यह है कि फ़ारसी में एक छोटा सा फ़िक्रा है :

"उज्रे गुनाह अज़ गुनाह बदतर"।

गुनाह करने से इंकार करना गुनाह करने से बदतर है।

मैं समझता हूं कि शायद आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा जनाब स्पीकर साहब के पास इसलिये तशरीफ़ लाई हैं ताकि वे मेरी बात का जवाब दे सकें। उनको दो दफ़ा मौक़ा था और आगे भी मौक़ा होगा, लेकिन पहले जो मौक़े उनको मिले उनमें उन्होंने एक लफ़्ज भी सिम्पैथी का नहीं कहा हालांकि हम उम्मीद करते थे कि वे यह कहेंगीं कि हम आयन्दा देखेंगे कि जो एश्योरेंसेज़ पहले से दिये हुए हैं उनकी ख़िलाफ़वर्जी न हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वह कह देते तो मैं खुश होता कि अगर वह कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम यहां दो लफ़्ज अपनी जबान से कह दिये ताकि हम समझें कि जो हमारे ला ऐंड आर्डर का गार्जियन (विधि तथा व्यवस्था का संरक्षक) है वह अगर अपने अन्दर मोम का दिल नहीं रखता तो कम से कम पत्थर का दिल भी नहीं रखता। सरदार साहब का फर्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि सारी चीज़ें ठीक हुई हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारी तसल्ली के लिये कहा कि हम देखेंगे कि क्या किया या सकता है।

सरदार साहब से मैंने दो ही क्लेम किये थे। एक तो यह कि जो ऐडवाइजरी बोर्ड (मंत्रणाकार बोर्ड) है उस को स्टैटुटरी बाडी (सविहित निकाय) बना दो, कम से कम वह तो हमारी तकलीफ को देखें। दूसरे यह कि जो ऐश्योरेन्स दिये गये थे वह आइन्दा पूरे किए जायेंगे। जो कुछ पहले हो चुका वह तो हो चुका, अगर पहले वह आब्जर्व (ध्यान देना) नहीं किये गये तो नहीं सहीं, लेकिन आइन्दा तो आब्जर्व किये जायेंगे। लेकिन उन्होंने यह अल्फाज नहीं कहे। वह हमारा ख्याल करते हैं, हमारे साथ हमदर्दी करते हैं, वह हमारे मकान देखने गये जिन को गिराना चाहते हैं, सब कुछ किया, लेकिन वह दो अल्फाज इस तरह से नहीं कहते हैं कि मकान बेजा तौर पर गिराये गये। पंजाब के शरणार्थियों पर जो गुजर रही है उस को वे जानते हैं। एक तो नए रूल तिन दिन हुये पास किये गये जिस में हिन्दु खान्दान में भाई-भाई तो रह गये, बेटे उड़ गये, हालांकि उसके वास्ते कोई वजह नहीं थी। अब दूसरा बाम्ब शेल यह गिरता है कि सन् १९५१ में जो वादा किया गया था उसके वास्ते यह नहीं कहा जाता कि हम उन नुकसान को पूरा करेंगे जो हुआ और आयंदा के लिये उन वादों को पूरा करेंगे। मैं इस ऐटिट्यूड पर दुखी हूं। मैं कल बिल पर बोलते कह रहा था कि यह बिल हिन्दुस्तान के लोगों की सिविल लिबर्टीज के वास्ते सब से बड़ा कर्ब है। मैं हिन्दुस्तान में क्या चाहता हूं? दूसरे मुल्कों में लोग क्यों सुखी हैं? वह समझते हैं कि उन का मकान उन के लिये कैसेल है, उस के अन्दर कोई दखल नहीं दे सकता, वह उस के मालिक हैं, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। हम जानते हैं कि हमारे हकूक के मुहाफिज, हमारे मुल्क की सिविल कोर्टस (व्यवहार न्यायालय) हैं, एग्जिक्यूटिव (कार्यपालिका) नहीं है। यह हमारा एसेन्शल (अत्यावश्यक) फंडामेंटल (मूलभूत) ऐब्सोल्यूटली इंडिस्पेंसेबल राइट (सर्वथा अनिवार्य अधिकार) है, लेकिन यह बिल इन हकूक की जड़ खोदता है। मैंने जो पहले १९५१ में बहस सिलेक्ट कमेटी पर कहा था, मैं ने उस को जान बूझ कर कल दोहराया नहीं कि इस बिल में क्या क्या चीज है, हम खुद मुकर्रर करेंगे मकान का किराया, खुद मुकर्रर करेंगे डैमेजेज और खुद ही वसूल करेंगे। इस के वसूल करने का क्या कायदा है यह जनाब वाला को मुझ से बेहतर मालूम है, सिविल कोर्ट की रुपये की डिगरी में किसी को कैद नहीं हो सकती, डिगरी इस तरह से जारी नहीं होती। लेकिन यहां पर एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू (भू-राजस्व का बकाया) के तौर पर यह डेमेज वसूल होंगे, १५ दिन का नोटिस दिया, और यह भी जरूरी नहीं है क्यों कि इस में लिखा हुआ है 'में'। एरियर्स की वसूली में पहली चीज़ यह होती है कि बुलाया और कैद कर दिया। इस तरह से एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू वसूल करते हैं। यह कायदा पंजाब लेंड रेवेन्यु एक्ट का है जो कि यहां पर लागू है। लेकिन जो चीजें अटैचमेंट (कुर्की) से सिविल प्रोसीजर में बचा दी गई है, यहां उनको भी नहीं बचाया है। इस भवन में हमने दिल्ली के वास्ते रेंट ऐक्ट (किराया अधिनियम) बनाया। खुद मालिक मकान को अख्त्यार नहीं है कि वह किसी किरायेदार को बिना वजह निकाल दे, सबलेटिंग भी किसीं हद तक हम ने जायज कर दिया, सबलेटिंग (अनुभारकन) होती है, छोटे छोटे कंट्रावेंशन्स होते हैं, लेकिन मालिक मकान को इतना ही हक नहीं है कि वह महज नोटिस निकाल दे कि तुम मकान को छोड़ कर चले जाओ। लेकिन यहां पर इतने पर ही इक्तफा नहीं किया गया। यहां तय हुआ कि खुद एकज़िक्टिव आफिसर क्षति तै करेंगे, मैं ने पिछली दफा सन् १९५१ में अर्ज किया था कि पहले तो एक जगह का किराया २५० रु० कर दिया, लेकिन जब दर्खास्त दी गई तो उसी को ८२ रु० कर दिया। मैं ऐक्चुअल (वास्तविक) मिसालें दी थीं कि एग्जिक्यूटिव (कार्यपालिका) इस तरह से मनमाना किराया मुकर्रर किया करती है कर दिया गया था। इस तरह से एक एग्जिक्यूटिव आफिसर के अख्त्यार में सारे दिल्ली वालों की जान फंसीं हुई है। हमारे पास गवाही में यह बात आई कि अजमेरी गेट की स्लम एरिया के ११९२ मकानों में से ७११ मकान गवर्नमेंट ने ले लिये, ४८१ मकान और लेना चाहती है। वहां पर रहने वालों की मुसीबत क्या है कि चाहे जब गवर्नमेंट उनको मकानों से बाहर निकाल दे।

एक्सग्रेशिया पेमेंट (अनुग्रह से पैसा देना) के वास्ते तो सरदार साहब ने ऐश्योरेन्स कमेटी के सामने जो दरखास्त दी है उसमें एक नई तजवीज है। पहले तो यह था कि एक्सग्रेशिया पेमेंट मकान को गिराने से पहले दिया जायेगा, लेकिन आज लिखा गया है कि जो डैमेजेज होंगे वह काट लिये जायेंगे। डैमेजेज गवर्नमेंट खुद मुकर्रर करती है, खुद ही उस को वसूल करने वाली है। जनाब-वाला हमने यह कानून इमर्जेन्सी लेजिस्लेशन (आपातकालीन विधान) के तौर पर बनाया था।

श्री० दी० चं० शर्मा : (होशियारपुर) : इस दिक्कत का इलाज भी तो बतलाये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम ने सन् १९४७ में यह इमर्जेंसी लेजिस्लेशन बनाया था जब यहां पर ८ लाख आदमी आ गये थे कि कैसे लैंडलार्डस के मकानों में से मकान ले कर शरणार्थियों को उस में रहने की इजाजत दो। हमें नहीं मालूम था कि ८ बरस बाद यह कहा जायेगा कि इस लेजिस्लेशन का बिल्डिंग्स (मकानों) पर भी लगा दो। जरूरत तो यह थी कि ऐसे हालात लाते कि इस को इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़ती। यह कानून दो बरस के लिये ही १९४७ में बना था और उस में भी लिखा था कि पब्लिक परपजेज (सार्वजनिक प्रयोजन) के लिये मकान लिए जा सकेंगे। अब वह पब्लिक परपजेज का सवाल कहां रहा ? हम ने इतने दिनतक लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सलब रक्खा क्योंकि उस वक्त जरूरत थी इमानदारी की बात यह थी जब यह कानून रक्खा तो उस को दो वर्ष से ज्यादा चालू नहीं रखना चाहिये था। हमारे कृष्ण चंद्र जी एम. पी. कहते हैं कि बिल्डिंग्स को जोड़ दो। मैं कहता हूं कि हमारे सरदार साहब एक नया बिल लायें जिस में सारे के सारे अख्त्यार जो कि इमर्जेन्सी के अख्त्यार थे, वापस लिये जायें। कलकत्तें में या किसी भी दूसरी जगह पर हिन्दुस्तान में म्यूनिसिपैलिटीज (नगरपालिकाओं) को ऐसे अख्त्यार नहीं हैं तब दिल्ली में उन की क्या जरूरत है ? मैं ने कल अर्ज किया था, श्री कृष्ण नायर साहब ने रिपीट किया है कि अगर दिल्ली के स्लम्स को दूर करते हैं, तो सरकार से रुपया दिया जाय और वहां पर खर्च किया जाय। मैं अर्ज करूंगा कि इस गवर्नमेंट को स्लम एरियाज (गंदी बस्तियां) से किसी को हटाने का कोई हक नहीं है अगर वह ऐसे गरीब आदमियों को जो कि वहां पर बसे हुये हैं, वहां से हटा कर दूर फेंक देना चाहती है। हमने अपना कांस्टिट्यूशन (संविधान) बनाया है, हम को हक है कि हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में जा कर रहें, तब यह कैसे हो सकता है कि जहां पर हम पुश्तों से रहते हैं वहां से निकाल कर हम को फेंक दिया जाय ? यह इन्साफ नहीं है, दरअस्ल इस के माने यह हैं कि गवर्नमेंट ऐसे अख्त्यार लेना चाहती है कि जिस में न हमारे फंडामेंटल राइट महफूज रहे न हमारा कोई हक बाकी रहे। मैं ने दस दफा मिनिस्टर साहब से बहसियत चेयरमेन पूछा, जो कि सेलेक्ट कमेटी में तशरीफ लायें थे, कि आप जितने आदमियों को निकालेंगे उन में से कितनों को बसा देंगे ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं चाहता हुं कि जिस का स्लम एरिया आप उजाड़ते हैं, उस में से एक एक आदमी को वहीं बसाया जाय। जो स्लम एरियाज में रहते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं अगर आप उनको उजाड़ते हैं तो वहां भेजिये जहां पर वह अपनी रोजी तो कमा सकें। अगर आप को स्लम क्लिअरेंज करना है तो सीधा उसूल है कि ऐसा एक आदमी भी नहीं होना चाहिये जिस को आप निकाल दें और उस को रोजी कमाने का जरिया न दें। अगर आप को इसी तरह से रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) करना है जैसे कि आप कर रहे हैं, तो यह इंसाफ की चीज नहीं है। आज कोई नहीं चाहता है कि वह स्लम एरिया में रहे, लेकिन उस को जिन्दगी चलाने का जरिया भी तो मिले। दरअस्ल बात यह है कि हमारे यहां हिन्दी में एक मसल मशहूर है कि 'ठाढा मारे और रोने न दे'। यह गजब देखिये कि उन लोगों को तकलीफ भी देते हैं और रोने की इजाजत भी नहीं देते। सर्टिफिकेट हमारे मिनिस्टर साहब ने दे दिया, हमारी राजकुमारी साहबा ने दे दिया कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जो शरणार्थी रोते फिरते हैं, जो इतने दुखी हैं, जिन के दिल में दर्द है, उन का क्या हाल है। ४०, ४० हजार के मकान एक रात में गिरा कर जमीन के बराबर कर दिये गये और किसी की आंख में एक आंसू भी नहीं आया। मैं अर्ज करता हूं कि यह तरीका नहीं है राहत पहुंचाने का, यह तरीका नहीं है लोगों को बसने देने का। दरअस्ल यह वह तरीका नहीं है जिस के जरिये आप कहते हैं कि रामराज्य आये। सिविल लिबिर्टीज (नागरिक स्वतन्त्रता) को अगर रेस्टोर करना है तो इस ब्लैक ऐक्ट को हटा दीजिये। मैं समझता हूं कि इस कानून को आप ने नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया है जो कि हमारे कांस्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो हालात हमारे सामने आये हैं उनको देखते हुये मैं कह सकता हूं कि इस बिल को मुल्क हर्गिज नहीं चाहता है। मैं अपने कांशिएन्स के बखिलाफ करूंगा अगर मैं सारे हाउस से यह न कहूं कि इस बिल को मंजूर नहीं करना चाहिये।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़-पश्चिम व जिला राय बरेली-पूर्व) : मैं बोलना नहीं चाहता केवल निर्माण आवास और संभरण मंत्री ने प्रवर समिति की रिपोर्ट में मंत्रणा बोर्ड की स्थापना के बारे में जो आश्वासन दिया है उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस मंत्रणा बोर्ड के अधिकार क्या होंगे और इसमें किन किन को लिया जायेगा। क्या मंत्रणा बोर्ड का काम केवल परामर्श देना ही होगा अथवा उसके निर्णय को मानना सुधार प्रन्यास के लिये अनिवार्य होगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं इस के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : माननीय सदस्य श्री फ़ीरोज गांधी ने जो कुछ कहा है पहले मैं उसका उत्तर दूंगी। यह तो ठीक है कि मंत्रणा बोर्ड कोई ऐसी निकाय नहीं हो सकता है कि जिस के निर्णय सुधार प्रन्यास के लिये बन्धनकारी होंगे परन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब मैं संसद सदस्यों से एक मंत्रणा-बोर्ड बनाने के लिये निवेदन करती हूं तो—वास्तव में आजकल सुधार प्रन्यास तो काम कर ही नहीं रहा है क्योंकि आजकल दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार कार्य कर रहा है, और जब कोई बड़ा प्राधिकार स्थापित होगा तो सुधार प्रन्यास उस में विलीन हो जायेगा—मुझे आशा है कि किसी भी क्षेत्र से लोगों को निकालने के लिये उसके परामर्श पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जायेगा, और प्रत्येक बार कोई सर्व सहमत निर्णय किया जाया करेगा। मुझे तो परम्पराओं को बनाने में आस्था है और मैं सरकार के आश्वासनों में विश्वास रखती हूं, परन्तु यह नहीं किया जा सकता कि जब तक मंत्रणा बोर्ड परामर्श न दे कार्यपालिका प्राधिकार कुछ काम ही न करे, सरकार इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती।

†**श्री फीरोज गांधी** : इस बोर्ड के सदस्य कौन होंगे ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : यही तो मैं संसद् सदस्यों से पूछना चाहती थी। मैंने अभी इस पर विस्तार से विचार नहीं किया है। तीन चार का नाम तो मैं अभी बता सकती हूं। मेरा विचार था कि उस में इस सदन के पांच सदस्य लिये जायें। इस सदन के तीन सदस्य तो पहले ही से दिल्ली विकास प्राधिकार में हैं ही और तीन ऐसे और सदस्य लिये जा सकते हैं जो हमें परामर्श दे सकें। यदि यह आप को स्वीकार हो अथवा यदि आप पांच ठीक समजते हों तो इस मंत्रणा बोर्ड में पांच सदस्य लिये जा सकते हैं। मुझे इस में सन्देह नहीं है कि विकास प्राधिकार उनकी प्रत्येक राय पर पूरा ध्यान देंगी। आपके साथ जा कर वह सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा और आपके परामर्श से ही प्रत्येक योजना बनाई जायेगी।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या इस मंत्रणा बोर्ड के सदस्य केवल संसद् सदस्य ही होंगे, और कोई नहीं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं यही कह रही थी कि यह सदस्यों का एक मंत्रणा निकाय होगा, परन्तु यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि तो मैं गैर-सदस्यों को भी इसमें लेने को तैयार हूं। मैं सदन की इच्छानुसार कार्य करूंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यही कहना चाहते थे कि दूसरे लोग भी उस में हों।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं तो माननीय मंत्री के विचारों को जानना चाहता था, मेरा सुझाव कुछ नहीं था।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मेरे मन में तो यही था कि क्योंकि मैं सदन मे आश्वासन दे रही थी इस लिये सदन के जो सदस्य इस मामले में रूचि रखते हो उन्हें ही लिया जाय। परन्तु यदि सदन के सदस्य इस संबंध में दिल्ली के अन्य नागरिकों को लेना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्री च० कृ० नायर, श्रीमती सुभद्रा जोशी और श्री नवल प्रभाकर तो पहले से ही हैं, मेरे विचार में श्री फ़ीरोज गांधी और दो और सदस्य आ जाए तो मैं .....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गवः** क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पहले से कोई मंत्रणा बोर्ड काम कर रहा है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** वह दिल्ली विकास प्राधिकार के सदस्य हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गवः** हम दिल्ली विकास प्राधिकार के संबंध में नहीं पूछ रहे है। हम उस मंत्रणा बोर्ड के संबंध में पूछ रहे है जिसका इस सुधार प्रन्यास के बारे में निर्माण, आवास और संभरण मंत्री आश्वासन दे चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा यह विचार है कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि वह मंत्रणा समिति में पांच संसद् सदस्यों को लेने को तैयार है।

†**श्री फीरोज गांधी :** यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्रणा समिति के निर्णय सुधार प्रन्यास पर बंधनकारी नहीं होंगे।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर दक्षिण) : तो फिर इस से लाभ ही क्या है।

†**श्री फीरोज गांधी :** वह केवल परामर्श ही देगी।

†**श्री च० कृ० नायर :** प्रश्न यह है कि क्या केवल आश्वासन देने से ही प्राधिकार मंत्रणा समिति के मत को स्वीकार कर लेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तब यह मंत्रणा समिति नहीं रहेगी। माननीय सदस्य सदन को यही बताना चाहते हैं कि मंत्रणा समिति का काम परामर्श देना है उसे स्वीकार करना या न करना सरकार का काम है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यह सिद्धान्त की बात है कि ऐसे संविहित निकाय का परामर्श ९९ प्रतिशत माना जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो होगा ही, परन्तु यदि आप सरकार को उसके निर्णय को स्वीकार करने का आश्वासन के लिये वचनबद्ध करना चाहते है तो वह मंत्रणा समिति नहीं रह जाती है। परामर्श लिया ही इस लिये जाता है कि उसे माना जाय, और जहां सरकार से मतभेद हो तो उस पर पुनः विचार कर के सर्व सहमति से कोई मार्ग निकाल लिया जाता है। फिर भी कई ऐसे भी मामले भी होते हैं। जिसमें परामर्श को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह विचार है ।

†**राजकुमारी अमृत कौर :** जो कुछ पंडित ठाकुर दास भार्गव नें कहा है मैं उसका प्रतिवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने कल जितनी भी बातें उठाई थीं मैं ने उन का उत्तर नहीं दिया था। मैने सब का उत्तर दिया था और सदन के सदस्यों को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट करते हुये यह सिद्ध किया था कि उन्होंने जो आरोप लगाये थे वह सब गलत थे। आज प्रातः ही श्री फ़ीरोज गांधी ने एक सदस्य विशेष के प्रति सरकार के एक उपमंत्री द्वारा कहे गये शब्दों पर आपत्ति की थी। मैं भी पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा कहे गये शब्दों के प्रति भारी विरोध प्रकट करती हूं। उन्होंनें कहा था : औरत हाकिम ग़ज़ब खुदा। मैं इन शब्दों पर आपत्ति करती हूं श्रीमान जी, आप इसका अर्थ समझते हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** यह तो एक मुहावरा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि यह कोई मुहवारा है या नहीं, परन्तु मेरा यह कहना है कि यह आपत्ति जनक शब्द ह। मैं इनका घोर विरोध करती हूं और इसी मामले को श्री गांधी ने आज प्रातः उठाया था। मैंने सदन में अप्रिय, कटु अनेक प्रकार की बातें सुनी है, परन्तु मैंने कभी ऐसे शब्द प्रयोग किसी अन्य सदस्य के प्रति नहीं किया है। मुझे अपने सम्मान का विचार है और मैं इस प्रकार के शब्दों को घृणा की दृष्टि से देखती हूं परन्तु मैं चाहती हूं कि यह बात आपके ध्यान में लाई जायें।

सुधार प्रन्यास के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों का उत्तर मैंने दे दिया है और मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि जो कुछ भी कहा गया है वह ग़लत है। जहां तक शरणार्थियों के साथ सहानुभूति दिखाने का प्रश्न है मैं किसी से पीछे नहीं हूं, और मैं ऐसी कोई बात नहीं होने दूंगी जिससे कि उन्हें और अधिक परेशानी हो। सामने बैठे मेरे एक मित्र ने पूछा था कि "क्या दिल्ली केवल महलों का ही नगर होने जा रहा है और इसमें केवल धनिक वर्ग ही रहेगा ?" भारत में कोई स्थान अमीरों के लिये नहीं हो सकता है। धनी लोगों की संख्या बहुत कम है, और हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है कि गरीबों को वहां से हटा दिया जाय जहां कि वे रह रहे हैं और फिर उनको बसाया न जाये। हमारा तो केवल यही उद्देश्य है कि जहां स्थान ५००० का वहां दस हजार न रहें। इस लिये कुछ लोगों को तो हटाना ही है। जब भी हम इन को कहीं से हटाते है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जाये जहां कि वे अपनी रोज़ी कमा सकें, रोज़गार पा सकें, और जहां वह आज रह रहे है उससे अच्छी अवस्था में और आनन्दमय वातावरण में रहे।

इससे अधिक मैं कुछ और कहना नहीं चाहती। जो कुछ कहा जा सकता था वह कल मैंने अपने उत्तर में कह दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : 'औरत' के संबंध में तो कुछ कहा गया वह मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं इस भाषा को नहीं जानता हूं। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि दोनों ही प्रशासन के योग्य हो सकते हैं। औरत राष्ट्रपति भी हो सकती है। इसलिये एक अनुभवी सदस्य द्वारा औरत के संबंध में ऐसे शब्द सदन में कहे जाने ठीक नहीं हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने केवल इतना ही कहा था: औरत हाकिम गज़ब खुदा। इसका अर्थ यह कि अब औरत हाकिम (प्रशासक) बन जाती है तो बहुत सख्ती से ईश्वरी कोप की भांति काम लेती है। इसका आशय केवल यह है कि उसमें दया नहीं होती हैं, वह कठोर होती है और नियमों का अक्षरश : पालन करती है, इस के विपरीत पुरुष ऐसा नहीं करता है। क्या यह गलत है।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : उसका निर्वचन यह है कि यदि स्त्री शासक हो तो भगवान भी उन लोगों की सहायता कर सकता है, वह भगवान का अभिशाप होती हैं। उनका निर्वचन ठीक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस लोकोक्ति का यहां इन अर्थों में प्रयोग किया गया है कि यदि स्त्री शासक हो तो वह कठोरता से नियमों और विनियमों का पालन करेगी। मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि लिंग के आधार पर इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। यदि माननीय मंत्री चाहती हैं कि इसे अभिलेख में न रखा जाये तो मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि इसे अभिलेख से निकाल दिया जाए।

इसके पश्चात स्त्रियों के स्वभाव की विशेषताओं आदि से सम्बन्धित लोकोक्तियों का सभा में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। तृतीय वाचन के संबंध में पर्याप्त कहा जा चुका है। अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे। सरदार स्वर्ण सिंह।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: इस अवस्था पर मैं लोक-सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

गंदी बस्तियों को हटाने से सम्बंधित सामान्य सिद्धान्तों के बारे में श्री बसु ने जो बातें कही थीं, वे कोई असाधारण नहीं हैं, और मुझे विश्वास है कि गंदी बस्तियों को हटाने की जब भी कोई योजना अधिसूत्रित की जायेगी, उस समय गंदी बस्तियों के निवासियों को कोई कष्ट न होने देने के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा। आपत्ति इस बात पर की गई है कि यह एक बड़ा ही सामान्य सा वक्तव्य है और गंदी बस्तियों से निस्कासित होने वाले व्यक्तियों के साथ किये जाने वाले बर्ताव के सम्बंध में कुछ अधिक स्पष्ट बात कही जानी चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गंदी बस्तियों की समस्या से सम्बंधित कार्य को करने वाले एक प्राधिकार की स्थापना के लिये, एक व्यापक विधान की रचना करनी पड़ेगी। उस प्राधिकार को वैकल्पिक निवास-स्थानों की व्यवस्था करने के बाद गंदी बस्तियों को हटा सकने की शक्ति भी प्रदान करनी पड़ेगी। उन मकानों के स्वामियों या वे मकान जहां स्थित हैं उन भूमियों के स्वामियों को दिये जाने वाले प्रतिकर के बारे में सिद्धान्त निश्चित करने पड़ेंगे। संविधान के संशोधन में तो गंदी बस्तियों के सम्बंध में दिये जाने वाले प्रतिकर की दरों को निर्धारित करने की व्यवस्था दी ही गई है। यह आवश्यक नहीं है कि यह प्रतिकर बाजार भाव से निश्चित किया जाये, और न्यायालय उसकी जांच नहीं करेंगे। सरकार की इच्छा है कि वह इन सभी सिद्धान्तों के आधार पर एक व्यापक विधान तैयार करे।

श्री बसु का यह कथन कि हम जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं उससे तो दिल्ली एक महलों का शहर बन जायेगा और उसमें ग़रीब जनता के लिये कोई भी स्थान नहीं रह जायेगा, सही नहीं है। उसमें अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। जहां तक सरकार की योजनाओं और गंदी बस्तियों को हटाने तथा उनके सुधार की तमाम योजनाओं, या सामान्य रूप से बनाये जाने वाले नक्शों के सामान्य निबटारे और मूल योजना का संबंध है, श्री बसु की यह आलोचना उचित नहीं है। यहां मैं लोक-सभा को याद दिलादूं कि हमने एक बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों के लिये भी निवास इकाइयां बनाई है। जिन्हें धनी नहीं कहा जा सकता है। हमने चौथी श्रेणी के कर्मचारियों, क्लर्कों तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये बड़ी संख्या में सरकारी क्वार्टर बनाये हैं। हमने शहर में एक बड़ी संख्या में शरणार्थियों के लिये भी मकान बनाये हैं। सुधार प्रन्यास ने भी मकान बनवाये हैं। निर्माण की इन सभी कार्यवाहियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मंशा दिल्ली शहर की रूपरेखा को किसी ढंग विशेष में ढालने का नहीं है। हमारी स्वाभाविक इच्छा यही है कि अमानवीय परिस्थितियों, गन्दे वातावरण, अस्वास्थ्यप्रद हालतों और कष्टों के बीच रहने वाली जनता की दशा सुधारी जाये। हमारी केवल यही इच्छा है। पता नहीं कैसे लगता है कि श्री बसु को सबसे बड़ी चिन्ता इसी बात की है कि विदेशियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, वे क्या सोचेंगे। हम विदेशियों की प्रतिक्रिया की ओर भी ध्यान देते हैं और यह कोई अवांछनीय बात नहीं है कि हमें इस बात पर गर्व हो कि दिल्ली, या हमारे देश के किसी भी अन्य शहर में आने वाला प्रत्येक विदेशी यह महसूस करे कि सभी स्थान साफ़-सुथरे हैं। क्या माननीय सदस्य अपना यह सुझाव गम्भीरता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं हमें यह सुनिश्चय करने के लिये प्रयत्न करने चाहिये कि विदेशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सदा ही यहां की गन्दगी देखने को मिले, यह देखने को मिले कि वातावरण स्वास्थ्यप्रद नहीं है और मकानों के नक्शे बेढ़ंगे हैं?

†**श्री क० कु० बसु** : जी, हां।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तब तो मेरा यह निवेदन है कि वे जो सरकार को इसके लिये दोषी ठहरा रहे हैं कि शहर का सुधार केवल विदेशियों को दिखाने के लिये ही किया जा रहा है, उस दोषारोपन का अंशतः कारण यही है कि वे स्वयं ही विदेशियों के मन पर पड़ने वाली शप के प्रति बहुत अधिक चिन्तित हैं। हमारे किये हुए सुधारों के बाद, यदि विदेशी हमारे शहर को पसंद करते हैं तो मुझे इससे प्रसन्नता ही होगी। लेकिन मेरी सबसे मुख्य इच्छा तो यही है कि कष्ट-ग्रस्त, अभागी जनता को कुछ सुख और सुविधा दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा निवेदन है कि गंदी बस्तियों को हटाने की किसी भी योजना का अत्यावश्यक आधार यही होगा कि पर्याप्त संख्या में लोगों को फिर से बसाया जा सके, मुख्यत: उसी स्थान पर जहां से कि गंदी बस्ती हटाई गई हो। यदि किसी गंदी बस्ती से निष्कासित किये गये सभी लोगों को उसी स्थान पर फिर से बसाना सम्भव न हो, और यदि उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित की गई मूल योजना में वह स्थान उपयुक्त न बैठता हो, तो उन लोगों को किसी अन्य उचित स्थान पर फिर से बसाने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये ; और यह कार्य भी इस प्रकार किया जाना चाहिये कि निष्कासितों को कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गंदी बस्तियों को हटाने की किसी भी योजना की कार्यान्विति का आधार यही सामान्य सिद्धान्त होगा।

†**श्री च० कृ० नायर** : क्या मूल योजना में भी इसी सिद्धान्त को आधार माना जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि मूल योजना का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जायेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद् सदस्य भी उसे देखना चाहेंगे। इसलिये, उसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में चर्चा करने के स्थान पर यह कहीं अच्छा होगा कि हम उस योजना को ही देखें और तब उसके बाद ऐसे सुझाव दें जिन्हें वास्तव में कार्यान्वित किया जा सके।

एक से अधिक सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया है कि गंदी बस्तियों को हटाने की परियोजना से संबंधित व्यक्तियों को पुन: बसाने की योजना को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। लेकिन, आर्थिक सहायता की भी तो एक सीमा होती है। वास्तव में, वही सीमा यह निर्धारित करती है कि हम किन सीमाओं को मानकर चलें और उन्हीं सीमाओं में रहते हुए ही, निष्कासित व्यक्तियों को पुन: बसाने की योजनाओं के लिये बनाये जाने वाले मकानों का आकार निश्चित करें और यह निश्चित करें कि वे मकान कई मंजिलों के होंगे या नहीं, उनके लिये विभिन्न सेवायें उपलब्ध कराई जा सकेंगी या नहीं, आदि, आदि। और उन मकानों के लिये निश्चित किये जाने वाले किरायों पर भी इन सभी बातों का प्रभाव पड़ेगा।

मैं बिना किसी संकोच के यह कह सकता हूं कि गंदी बस्तियों को हटाने की योजनाओं को आवश्यक रूप से कुछ आर्थिक सहायता दी जायेगी। सरकार ने उस सिद्धान्त को स्वीकार कर ही लिया है। विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं के सम्बन्ध में परिपत्र भेजे जा चके हैं, उनसे निश्चित परियोजनायें प्रस्तुत करने के लिये कहा जा चुका है और सुझाव मांगे गये हैं। उनसे उस परिपत्र के उत्तर में जो कि उन्हें भेजा गया है, ठोस योजनायें भेजने के लये कहा गया है, जिन में एक मोटे तौर पर गंदी बस्तियों को हटाने की योजना की रूपरेखा, कितनी आर्थिक सहायता देना सम्भव होगा और कितनी वित्तीय सहायता ऋणों के रूप में दी जा सकती है, इत्यादि बातों को स्पष्ट करने को कहा गया है। पहले एक अवसर पर मैं उस परिपत्र की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रख चुका हूं।

श्री च. कृ. नायर के इस सुझाव के सम्बन्ध में कि एक मूल योजना होनी चाहिये, और एक अधिक शक्ति वाला प्राधिकार भी होना चाहिये जिसे इस सम्बन्ध में एक व्यापक ढंग से कार्यवाही करने के लिये शक्ति सम्पन्न किया गया हो। स्वास्थ्य मंत्री पहले ही उनको उत्तर दे चुकी हैं। वे लोक-सभा को बता ही चुकी हैं कि एक मूल योजना लगभग पूरी तैयार कर ली गई है, उसे जनता और संसद्-सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया जायेगा, वे उसकी परीक्षा करके जो भी सुझाव चाहें, दे सकते है और उन सुझावों पर यथा योग्य विचार भी किया जायेगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : वह एक अन्तरिम योजना ही होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह योजना केवल इतनी ही अन्तरिम होगी कि अन्त में जब पूरा ब्यौरा बना लिया जायेगा, तो वह एक अधिक व्यापक योजना बन जायेगी, जिस में हर चीज़ ब्यौरे वार दी हुई होगी। यह योजना केवल इतनी ही सीमा तक अन्तरिम है कि उसमें एक मोटी एक रूपरेखा ही बताई गई है, वह तरीका बताया गया कि जिस के अनुसार विकास होगा, इत्यादि। वह इस अर्थ में अन्तरिम नहीं है कि बाद में उसमें परिवर्तन किये जा सकते हैं ; बल्कि इसी अर्थ में वह अन्तरिम है कि उस मोटी रूपरेखा में बाद में ब्यौरे बैठा दिये जायेंगे।

एक स्थायी प्राधिकार के गठन के सम्बंध में, मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार उसके सम्बंध में विचार कर रही है। 'दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार' नाम से ही यह स्पष्ट है कि एक पूर्ण रुपेण प्राधिकार होगा जो कि अस्थायी प्राधिकार के स्थान पर नियुक्त किया जायेगा। सारे शहर में एक बड़े बेढंगे तरीक़े से मकान बनते चले जा रहे हैं, और उनके सम्बंध में कोई न कोई कार्यवाही करना आवश्यक था। इसीलिये, इस बेढंगी बढ़ती को रोकने के लिये ही, और गृह-निर्माण कार्य को एक निश्चित आकार और रूप देने के लिये ही, इस अस्थायी प्राधिकार की स्थापना की गई थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक भी प्रस्तुत किया जायेगा। यदि लोक-सभा के सदस्यों को सुधार प्रन्यास नाम से ही घृणा हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकार ही प्राधिकार कहा जायेगा क्योंकि मैं समझता हूं कि सुधार प्रन्यास के सभी कृत्य उसी के अधीन रखे जायेंगे। आवश्यक विधान के प्रस्तुत होने के समय तक माननीय सदस्यों को अपने सुझाव देने का काफी समय मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार भी उन सुझावों पर पूरी तौर से विचार करेगी।

यह कार्य बड़ा ही टेढ़ा और श्रम-साध्य है। यह सुखद भी नहीं है। एक ही चीज़ इसमें उत्तम है कि हम जिस उद्देष्य की ओर बढ़ रहे हैं वह वास्तव में उच्च और शुभ है। लेकिन, उसमें बड़े ब्यौरेवार कार्य की आवश्यकता है। इसमें व्यक्तिगत हित, बड़े बड़े सामुदायिक हितों के आड़े आते है। एक इस प्रकार का संतुलन स्थापित करना जिसमें कि व्यक्तिगत हितों का बडें बडें सामुदायिक हितों के साथ सामंज्यस स्थापित किया जा सके और व्यक्तिगत कष्टों तथा कठिनाइयों को कम से कम किया जाये और साथ ही साथ सर्वोतोमुखी सुधार के बड़े उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सके, —यह एक बड़ा ही श्रम-साध्य कार्य है। ऐसे श्रम-साध्य कार्य को केवल कुछ उत्तेजनात्मक नारों या कड़ी भाषा के प्रयोग से पूरा नहीं किया जा सकता है। इस कार्य को हमें ब्यौरों की परीक्षा करके, कठिनाइयों को देख कर, पड़ने वाली बाधाओं को समझकर और इस प्रकार के मामले में जो ब्यौरे आवश्यक हैं उनको एक बड़े ढांचे के अनुकूल तैयार करके ही करना पड़ेगा।

वास्तव में, सिद्धान्त रूप से शायद ही कभी कोई विरोधाभास प्रतीत होता है। वह तो सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणीत करने के समय अथवा वास्तविक मूल योजनाओं को तैयार करने के समय सभी कठिनाइयां पैदा होती हैं। और, वास्तव में, केवल इसी अवस्था पर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये अनर्थक रूप से श्रम-साध्य कार्य करना पड़ता है।

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव की शिकायत है कि उनकी सभी बातों का उत्तर नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री उनका उत्तर दे चुकी हैं। हां, यह अवश्य ठीक है कि हमने भी पंडित ठाकुर दास भार्गव की बातों के उत्तर में उतना ही लम्बा भाषण नहीं दिया है। लेकिन, हमने उनकी कही हुई मुख्य-मुख्य बातों का अपनी प्रकार से उत्तर दे दिया है उनके सम्बन्ध में सरकार का दृष्तिकोण या स्थिति स्पष्ट तौर पर बता दी है।

मैं एक बार फिर यह देखने का प्रयास करता हूं कि क्या हमने वास्तव में गलती की है। उनके भाषण का मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि सरकार ने कुछ आश्वासन दिये थे और उनका पालन नहीं किया गया है, और इतना ही नहीं, आश्वासनों सम्बन्धी समिति द्वारा उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद भी सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। शेष भाषण में इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ उदाहरण ही दिये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने अपने उत्तर में बताया कि आश्वासनों सम्बन्धी समिति द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सम्बंध में हमारा क्या विचार है। उसे पहले ही लोक-सभा पटल पर रखा जा चुका है। आश्वासनों सम्बंधी समिति ने उस के सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टीकरण चाहा है। हम उस सूचना का संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसे हम समिति के पास पहुंचा देंगे और तब या तो हमें उन्हें पूर्णरूप से सहमत कर देंगे या स्वयं उनसे सहमत हो जायेंगे।

मेरा विचार यह था कि आपने हमें जो इतना समय दिया उसका उपयोग हम यदि छोटी-छोटी बातों के सम्बन्ध में विवाद-ग्रस्त प्रश्न उठोने की अपेक्षा, समस्या को सुलझाने की भावना से अपने मतभेदों का पता लगाने में ही अधिक करें, तो वह अपनी कठिनाइयों को दूर करने का एक अधिक अच्छा तरीका हो सकता है। इसलिये, हमने यही किया भी है। हमने तर्क के बदले तर्क पेश करने का प्रयास नहीं किया है।

उन आश्वासनों के अत्यावश्यक भाग ये हैं। पहला आश्वासन तो प्रासादतः भुगतान के सम्बन्ध में था। इसे तो मेरे माननीय मित्र ने भी माना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके सम्बंध में अब एक पत्र, देरी से ही सही, जारी कर दिया है।

भूमि के लिये हानि-लाभ रहित आधार पर मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्त के सम्बन्ध में पता नहीं, माननीय मित्र ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये उस पत्र को देखा है या नहीं जिसमें आदेय प्रतिकर की दरें निर्धारित की गई है और उसे ही भूमि का मूल्य निर्धारित करने का आधार बनाया जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं वह सब कुछ देख चुका हूं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तब फिर, जहां तक आश्वासनों का सम्बंध है, मैं उनके पाठ को यहां केवल दोहरा ही सकता हूं। वही पर्याप्त होगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : आश्वासनों सम्बन्धी समिति ने कहा था कि उसे हानि-लाभ रहित आधार पर किया जाना चाहिये। आपने तो कुछ स्थानों पर बाजार मूल्य के अनुसार ३० रुपया प्रतिगज़ लिया है। मैंने यह दस्तावेजों में देखा है। और यह मूल्य वाणिज्यिक कार्यों के लिये प्रयुक्त होने वाली भूमि के लिये है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निवास कार्यों के लिये यह मूल्य ११ रुपयों से लगाकर १२ रुपये १० आनों तक है और वाणिज्यिक कार्यों के लिये वह २१ रुपये से लगाकर ३३ रुपयों तक है। उन क्षेत्रों में उस भूमि का बाज़ार मूल्य लगभग ५० से लगाकर ७० रुपयों तक निवास क्षेत्रों में और ५० से लगाकर १५० रुपयों तक वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिये हैं।

हो सकता है कि इतनी रियायत से उन्हें संतोष न हो, लेकिन यह कहना कि कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है, एक ऐसी बात है कि इससे ठीक अनुमान नहीं होता है।

इसलिये, मेरा निवेदन है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बंध है, हमने इसके सम्बंध में पर्याप्त चर्चा कर ली है। इस विधेयक को कार्यान्वित करते समय, इस चर्चा के दौरान में उठाई गई सभी बातों को अवश्य ही ध्यान में रखा जायेगा।

†**श्री म० कृ० मैत्र** (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि बेदखली का नोटिस देने से पूर्व मंत्रणा समिति से परामर्श किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसका सम्बन्ध प्रशासन के ब्योरे से है। गठन के ब्योरे के बारे में और किस प्रकार कार्य किया जाना है इसका निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। परन्तु मैं ऐसी किसी मंत्रणा समिति का सदस्य बनना पसन्द नहीं करूंगा जहां मुझे कार्यपालिका कृत्य करने पड़ें। या तो मैं बोर्ड का सदस्य बनूंगा अथवा यदि मैं ने मंत्रणाकार के रूप में कार्य किया तो मैं विभिन्न योजनाओं के परिपालन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लूंगा। बेदखली के नोटिस देना कार्यपालिका का ही काम है। मोटे तौर पर योजना के बारे में निर्णय किया जा चुका है। जहां तक प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस जारी करने का प्रश्न है, यह नोटिस दस दिन का होगा या १५ दिन का इन सब का सम्बन्ध ब्योरे से है। मैं एक मंत्रणाकार के रूप में किसी ऐसे निकाय का सदस्य नहीं बनना चाहता जिसे कार्यपालिका कृत्य सौंपे गये हों। या तो मैं बोर्ड का सदस्य बनूंगा अथवा यदि समिति मंत्रणा देनेवाली हुई तो मैं नीति सम्बन्धी मामलों पर मंत्रणा दूंगा विस्तार के बारे में नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)**: मैं प्रस्ताव * करता हूं :

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १६५१ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम १६५१ में राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान करने के लिये पारित किया गया था कि वे छोटे पैमाने के और मध्यम पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये वित्तीय निगमें स्थापित कर सकें। उसके पश्चात १३ राज्य वित्तीय निगम स्थापित किये गये हैं। कुछ एक दो तीन वर्ष से कार्य कर रहे हैं और कुछ केवल कुछ महीनों से। सब से आखिरी निगम मार्च, १६५६ में उड़ीसा में स्थापित किया गया था। उनकी कुल प्राधिकृत पूंजी २५ करोड़ रुपये है परन्तु निर्गमित और प्रार्थित पूंजी १० करोड़ से कुछ ही अधिक है, जिसमें से राज्य सरकार ने ४.३३ करोड़ रुपया, रिजर्व बैंक ने १.७० करोड़ रुपया, अनुसूचित बैंकों बीमा समवायों और अन्य विनियोजक संस्थाओं ने ३.७२ करोड़ रुपया और गैर-सरकारी व्यक्तियों ने ०.५३ करोड़ रुपया लिया है। कुल मिला कर प्रार्थित पूंजी १० करोड़ रुपये से कुछ अधिक है।

जैसा कि मैंने बताया, यह निगम छोटे और मध्यम पैमाने में उद्योगों के लिये ऋण की व्यवस्था करने के प्रयोजन से स्थापित किये गये हैं। लोक-सभा को विदित है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के चार मूल उद्देश्य हैं : शीघ्र औद्योगीकरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अधिक रोजगार और विभिन्न वर्गों की आय के विभेद को दूर करना। यद्यपि मूल और बड़े उद्योगों से शीघ्र औद्योगीकरण में बड़ी सहायता मिलेगी, फिर भी मेरा विचार है कि लोक सभा इस बात से सहमत होगी कि छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों को भी देश के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण कार्य करना है। मेरे विचार से अधिक रोजगार की व्यवस्था करने और आय के विभेद को दूर करने के लिये छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग अधिक उपयुक्त हैं। इसी कारण योजना आयोग ने इन उद्योगों को विशेष महत्व दिया है और यह ही होगा कि सरकार राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में संशोधन करे ताकि यह निगम छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों की सहायता कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया

बड़े उद्योगों की सहायता के लिये उद्योग वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम हैं। परन्तु किसी राज्य विशेष में छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों की सहायता केवल राज्य वित्तीय निगम ही कर सकता है। अब तक राज्य सरकारें उद्योगों को राज्यिक सहायता अधिनियम के द्वारा कुछ सहायता देती रही है, परन्तु प्रत्येक सदस्य, जो अपने राज्य में इस अधिनियम के प्रयोग के बारे में जानकारी रखता है, वह इस बात से सहमत होगा कि इस मामले में इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिक सहायता नहीं दी जा सकी है। स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और उद्योगों को ऋण दिया जाना उचित नहीं है। इस के लिये विशेषज्ञ संस्थायें स्थापित की जानी हैं और छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिये राज्य वित्तीय निगम अधिक उपयुक्त है।

लोक-सभा इस बात से सहमत होगी कि औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, आई. सी. आई. सी, राज्य वित्त निगम के कृत्यों के अतिछादी होने की कोई सम्भावना नहीं है। औद्योगिक वित्त निगम १० लाख रुपये से कम का ऋण नहीं देता। राज्य वित्तीय निगम १० लाख रुपये से अधिक नहीं देता है—वह शायद १०,००० रुपये अथवा २०,००० रुपये तक के ऋण दे देता है। अतः औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्तीय निगमों अथवा पहले बताये दो निकायों के कृत्यों में अतिछादित की कोई सम्भावना नहीं है। उनका क्षेत्र और भी विस्तृत है।

†**श्री क० कु० बसू** (डायमण्ड हार्बर) : क्या यह सम्भव है कि कोई उपक्रम १० लाख रुपये औद्योगिक वित्त निगम से और एक लाख रुपया राज्य निगम से ऋण ले ले ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरे विचार से ऐसा कोई मामला न होगा।

†**श्री क० कु० बसू** : परन्तु विधि के अनुसार ऐसा होना सम्भव है।

†**श्री अ० चं० गुह** : औद्योगिक वित्त निगम पर कोई विधानिक प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु उसकी नीति यही है कि उसे १० लाख रुपये से कम नहीं देना चाहिये।

यह छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैले हुए है। केन्द्र में हमने अभी अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन छोटे पैमाने के उद्योग निगम को आरम्भ किया है। वह भी छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिये है। जहां तक मुझे विदित है इसकी गतिविधियों का क्षेत्र राज्य वित्तीय निगम से बिल्कुल अलग है। और फिर यह छोटे पैमाने के और मध्यम पैमाने के उद्योग देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं और छोटे पैमाने के उद्योग निगम जैसे एक केन्द्रीय संगठन के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह देश के विभिन्न भागों में फैले इन उद्योगों की सहायता कर सके। यही कारण है कि राज्य वित्तीय निगम छोटे पैमाने और मध्यम पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिये अधिक उपयोगी और उपयुक्त सिद्ध होंगे।

मैं पहले कह चुका हूं कि इन में से कुछ एक निगम तो लगभग तीन वर्ष से काम कर रहे हैं। मेरे विचार से पहला निगम फरवरी, १९५३ में आरम्भ किया गया था। मैं यह दावा नहीं करता कि इन दो या तीन वर्षों में इन्होंने सन्तोषजनक रूप से कार्य किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह छोटे पैमाने के और मध्यम पैमाने के उद्योगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे सके हैं।

†**श्री अच्यूतन** (क्रेंगनूर) : अब तक उन्होंने छोटे पैमाने के उद्योगों को कितना ऋण बांटा है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : दो करोड़ रुपये से कुछ अधिक का।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में इन निगमों की असफलता का कारण किसी हद तक अधिनियम के उपबन्ध हैं और कुछ हद तक छोटे पैमाने के उद्योगों का ढांचा और उनकी स्थिति है। वे ठीक प्रकार से संगठित नहीं हैं और उनके पास ऐसी कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है जिस से कि वह निगम को अपनी आवश्यकतायें बता सके अथवा ठीक तरीके से आवेदन पत्र भेज सकें। इन सब बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करना होगा। जहां तक अधिनियम के उपबन्धों की त्रुटियों का सम्बन्ध है, हम अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं जिस से कि यह निगम छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता कर सकें और यही इन से अपेक्षित है।

लगभग दो वर्ष पहले यह मामला रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाया गया था। लोक-सभा में कई बार इन निगमों के कार्य संचालन के बारे में प्रश्न पूछे गये और कई बार सभा में यह विचार प्रकट किया गया है कि यह सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे ह। अतः रिजर्व बैंक ने सारे मामले पर विचार किया। इसने विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेल न आयोजित किया और कुछ सुझाव दिये गये। रिज़र्व बैंक का मुख्य कार्य इन राज्य वित्तीय निगमों की सहायता करना और एक प्रकार का समन्वय करना ही रहा है। यद्यपि अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है तथापि सभी निगमों ने अपने कार्यकरण का स्वेच्छा से रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित निरीक्षण स्वीकार किया ताकि वह इनके कार्य संचालन की त्रुटियों की जांच करके उन्हें दूर कर सके विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस मामले में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप की सराहना दी। इस से साफ पता चलता है कि यह सब निगम और विभिन्न राज्य सरकारें चाहती थीं कि यह निगम अपने काम को ठीक ढंग में करें।

मेरे विचार से यह पृष्ठभूमि की मुख्य मुख्य बातें हैं। अब मैं विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। खंड २ में हम ने राज्य वित्तीय निगमों के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने का प्रयास दिया है। "वस्तुओं का निर्माण" शब्द इतने अस्पष्ट थे कि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता था यह परिभाषा प्रत्यक्ष रूप से किन उद्योगों पर लागू होगी। अब हम इस परिभाषा को विस्तृत कर रहे हैं ताकि राज्य वित्तीय निगमों को यह पता चल जाये कि किन उद्योगों को इन निगम से वैध रूप में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। मेरा विचार है कि इस बाधा के हटा जाने से निगम को अपनी वित्तीय गतिविधियों को विस्तृत करने और निगम से सहायता प्राप्त करने में विभिन्न उद्योगों को सुविधा देने में बड़ी सहायता मिलेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

खंड ४ में हमने एक से अधिक राज्यों के लिये एक संयुक्त निगम की व्यवस्था की है। दो या तीन बार दिल्ली राज्य के राज्य वित्तीय निगम के बारे में प्रश्न पूछे गये। मुझे यह उत्तर देना पड़ा कि दिल्ली राज्य एक अलग राज्य वित्तीय निगम चलाने में असमर्थ है इस लिये यह प्रस्थापना दी गई है कि दिल्ली और पंजाब के लिये एक संयुक्त राज्य वित्तीय निगम स्थापित किया जाये। हमें इस विधेयक के अधिक विस्तृत संशोधन की आशा थी और अब हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि एक से अधिक राज्य मिल कर एक संयुक्त राज्य वित्तीय निगम स्थापित कर सकते हैं।

इस विधेयक के खंड २४ में ऐसा ही उपबन्ध है कि कोई राज्य किसी राज्य में पहले से चल रहे निगम में सम्मिलित हो कर उसे संयुक्त वित्तीय निगम बना सकता है।

खंड ४ और २४ को एक साथ लिया जा सकता है क्योंकि वे राज्यों को संयुक्त वित्तीय निगमों की स्थापना के लिये एक जैसी सुविधायें प्रदान करते हैं।

खंड ६ राज्य वित्तीय निगमों के लिये रिज़र्व बैंक से ऋण लेने की सुविधाओं की व्यवस्था करता है। प्रार्थित अंश पूंजी के अतिरिक्त अधिनियम में यह भी उपबन्धित है कि राज्य वित्तीय निगम बन्ध-पत्र और ऋण-पत्र जारी करके और उनका विक्रय करके और जनता द्वारा जमा कराई

जाने वाली धन राशि को स्वीकार करके पूंजी एकत्र कर सकते हैं। पूंजी का अधिक निर्गमण करने और बन्ध-पत्रों तथा ऋण-पत्रों को बेच कर धन जमा करने से राज्य वित्तीय निगम का एक स्थायी दायित्व हो जायेगा कि उसे या तो लाभांश देना पड़ेगा या व्याज। परन्तु हो सकता है कि किसी राज्य वित्तीय निगम को किसी आपात कार्य के लिये अल्प-कालीन ऋण की आवश्यकता पड़े। अतः यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य वित्तीय निगम ऐसी अवस्था में रिजर्व बैंक से ९० दिन से अनधिक अवधि के लिये अल्प-कालीन ऋण ले सकेगा। यह ऋण केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार भी प्रतिभूतियों के आधार पर मिलेंगे।

†**श्री क० कु० बसु** : राज्य निगम का उद्देश्य दीर्घकालीन ऋण देना है। यदि ९० दिन के लिये ही सहायता दी जाती है तो काम कैसे चलेगा।

†**श्री अ० चं० गुह** : यह तो केवल आपात काल की व्यवस्था करने के लिये है। अभी तक इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ी है परन्तु फिर भी व्यवस्था करना ठीक ही रहता है। सम्भव है कि राज्य वित्तीय निगम को ऋण देने के लिये धन की आवश्यकता पड़े और उस समय उसके पास धन न हो और उस समय वह बन्धन-पत्र अथवा ऋण-पत्र जारी करके या बेच कर धन एकत्र न कर सकता हो, तो ऐसी अवस्था में उक्त अवधि के लिये वित्तीय निगम को ऋण लेना आवश्यक हो जायेगा और बाद में वह किसी प्रकार धन एकत्र कर सकता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुडगांव) : केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ही क्यों? वैसे ही क्यों नहीं?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरे विचार से रिज़र्व बैंक के पास कोई प्रतिभूति तो होनी ही चाहिये।

खंड ७ का अधिक महत्व नहीं है। राज्य वित्तीय निगम के बोर्ड में राज्य सरकार तीन डायरेक्टर नाम निर्देशित कर सकती है परन्तु संयुक्त वित्तीय निगम के बोर्ड में नाम निर्देशित डायरेक्टर दो से अधिक नहीं होंगे।

खंड ९ काफी महत्व पूर्ण है। अधिनियम के अनुसार प्रबन्ध निर्देशक चार वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है, परन्तु यह भी सम्बव है कि उसे उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही हटाना पड़े। इस प्रकार की घटना पहले हो चुकी है। यह उपबन्ध किया गया है कि चार वर्ष की पदावधि के समाप्त होने से पूर्व सरकार जब कभी भी चाहे प्रबन्ध निर्देशक, को हटा सकती है परन्तु उसे लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जायेगा।

खण्ड १२ भी कुछ महत्वपूर्ण है। इसके दो उप खण्ड हैं। उप खण्ड (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और औद्योगिक वित्त निगम की ओर से राज्य वित्तीय निगमों को अभिकरण सम्बन्धी कार्य देने से संबंधित है। माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि केन्द्रीय सरकार या औद्योगिक वित्त निगम के लिये दूरस्थ स्थानों पर वित्तीय सहायता देना इतना सरल नहीं है, और इसकी व्यवस्था तथा देख भाल करने के लिये इस सम्बन्ध में कोई अभिकरण स्थापित करना उत्तम होगा, क्योंकि बाद की देखभाल भी आवश्यक है। ये सब कार्य राज्य वित्तीय निगमों को दिये जा सकते हैं, जिनका स्थानीय मामलों और स्थानीय व्यक्तियों से अधिक सीधा सम्पर्क होगा। मुझे आशा है कि सभा उप खण्ड (ख) के उपबंधों की भी सराहना करेगी। ये उपबंध न केवल छोटे पैमाने के उद्योगों को किन्तु कुटीर उद्योगों को भी राज्य वित्तीय निगम से सहायता प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। उपबंध यह है कि राज्य वित्तीय निगम या औद्योगिक वित्त निगम से लिया गया कोई भी ऋण किसी मान्य प्रतिभूति के आधार पर दिया जायेगा। किन्तु यहां हम उपबंध कर रहे हैं कि राज्य सरकार या अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक की गारंटी पर ऐसे छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को ऋण दिया जा सकता है, जो संभव है कि ऋण के लिये नियमित गारंटी या प्रतिभूति दे सकते हैं की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

स्थिति में न हों। यह विशेषकर न केवल छोटे पैमाने के उद्योगों अपितु कुटीर उद्योगों की भी सहायता करने के लिये किया गया है। वे १०,००० रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगो को ऋण देने में राज्य वित्तीय निगम को कुछ जोखिम उठानी पड़ेगी। सूद की दर का निर्णय संबद्ध राज्यवित्तीय निगम पर निर्भर होगा। माननीय सदस्य श्री भार्गव कम सूद लेने के लिये अपने पंजाब राज्य वित्तीय निगम से कह सकते हैं।

†**पंडित ठाकूर दास भार्गव** : जो गारंटी देंगे वही कुछ लेंगे।

†**श्री अ० चं० गुह**: मैं नहीं समझता कि राज्य सरकारों इसके लिये कुछ लेंगी। बैंक कुछ ले सकते हैं। राज्य वित्तीय निगम कोई ६$\frac{1}{4}$ प्रतिशत सूद लेंगे। राज्य वित्तीय निगम कुटीर उद्योगों को भी सहायता दे सकते है, किन्तु राज्य वित्तीय निगमों को अपनी पूंजी की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा और फिर भी कुछ जोखिम उठाना होगा। वह जोखिम राज्य सरकार या अनुसूचित बैंक की गारंटी से प्रति-संतुलित हो जायगा।

†**डा० लंका सुन्दरम** (विशाखपटनम्) : आप किस सूद पर ऋण देना चाहते हैं? क्या वह बैंक दर से कम होगी?

†**श्री अ० चं० गुह** : यदि यह ६$\frac{1}{4}$ प्रतिशत है, तो निश्चय ही यह उस दर से कम है जिस पर छोटे पैमाने के उद्योगों या कुटीर उद्योगों को बैंकों से ऋण मिल सकता है। अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं। इस का निर्णय विभिन्न निगमों पर छोड़ दिया जाएगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : गारंटी के लिये अनुसूचित बैंक भी कुछ लेंगे, इस प्रकार तो सूद की दर अत्यधिक हो जायेगी।

†**श्री अ० चं० गुह** : वह विधेयक पर खण्डवार विचार के समय इन बातों को रख सकते हैं। खण्ड २१ रक्षित बैंक द्वारा इन निगमों के निरीक्षण का उपबंध करता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन निगमों ने स्वेच्छा से रक्षित बैंक द्वारा निरीक्षण कराना स्वीकार किया है और संबद्ध राज्य सरकारें भी सहमत हो गई हैं, बल्कि उन्होंने इस उपबन्ध का स्वागत किया है। यह अनुभव किया जाता है कि अधिनियम में कोई ऐसा उपबंध होना चाहिये जिस से कि रक्षित बैंक को विभिन्न वित्तीय निगमों के कार्यकरण का निरीक्षण करने का कोई संविहित अधिकार प्राप्त हो। वे केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अपना प्रतिवेदन देंगे और जो कोई कार्यवाही की जानी होगी उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार और रक्षित बैंक के परामर्श से किया जायगा। मैं इसे बड़ा महत्वपूर्ण उपबंध समझता हूं क्योंकि इससे विभिन्न निगमों की कार्यवाहियों का समन्वय करने में सहायता मिलेगी और यह इससे दरों आदि में कुछ सीमा तक एक रुपता लाई जा सकेंगे। निस्सन्देह क्षेत्रों और धन की उपलब्धि तथा निगम की विनियोग से भावनाओं के अनुसार कुछ अन्तर हो सकता है।

अन्य खण्ड केवल प्रक्रिया और प्रारुपण के संबंध में हैं। कुछ उपबंध ऐसे हैं कि जिन में औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा औद्योगिक समवायों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिये जाने का उपबन्ध है। जैसा कि औद्योगिक वित्त निगम के मामले में हमने उपबंध किया है कि राज्य वित्तीय निगम के ऋण को वापिस देने में असफल रहने वाले औद्योगिक समवायों का प्रबन्ध निगम अपने हाथ में ले ले। तब उस औद्योगिक समवाय को चलाने या उसका बेचने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। इस आशय के कुछ खण्ड हैं और वे केवल प्रक्रिया और प्रारुपण के संबंध में हैं।

मैं ने इस विधेयक की मुख्य रुपरेखा सभा के सामने रख दी हैं और आशा करता हूं कि सभा इसे स्वीकार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० कु० बसु :** माननीय मंत्री को ऋण के संबंध में कुछ अधिक जानकारी देनी चाहिये, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि जिन उद्देश्यों के लिये वित्तीय निगम स्थापित किये गये हैं, उनकी कहां तक पूर्ति हुई है।

†**श्री अ० चं० गुह :** राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकरण सम्बन्धी बड़े प्रतिवेदन की दस प्रतियां पुस्तकालय में रखी गई हैं।

†**श्री क० कु० बसु :** इसमें उद्योग वार जानकारी दी गई हैं। इसमें यह नहीं दिया गया है कि किस किस समवाय को कितना कितना ऋण दिया गया है। अतः निगम के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : सन् १९५१ में इस अधिनियम के पारित होने के उपरांत १३ निगम स्थापित हो चुके हैं, परन्तु अभी तक किसी के भी कार्यकरण के बारे में सभा को सूचना नहीं मिली है। सभा के सामने प्रतिवेदन रखे जाने का कोई उपबन्ध नहीं है, फिर भी जब माननीय सदस्य अनुभव के आधार पर संशोधन करना चाहते हैं तो माननीय मंत्री को इन निगमों के कार्यकरण के ब्यौरा सहित वार्षिक प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखने चाहियें, ताकि हम देख सकें कि जो संशोधन किये जा रहे हैं वे उचित हैं या नहीं। इस सूचना के बिना सभा को इस पर विचार करने के लिये नहीं कहना चाहिये। अतः मैं आप से इस के विचार स्थगित किये जाने का सुझाव दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पहले विचार प्रस्ताव रखा जाये और फिर निर्नय किया जायेगा कि क्या किया जाए। संभव है कि माननीय मंत्री विचार प्रस्ताव पर चर्चा होते हुए ही इस जानकारी को प्राप्त करके सदस्यों को दे सकें। मैं समझता हूं इस समय उनके पास यह सूचना नहीं है।

†**डा० लंका सुन्दरम :** हम इस सुचना के बिना इस पर विचार नहीं कर सकते।

†**श्री क० कु० बसु :** पश्चिम बंगाल में केवल १६ प्रतिशत प्रार्थियों को ऋण दिया गया है और लोग भी ऋण की मांग कर रहे हैं। सोमवार तक इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाए और तब तक माननीय मंत्री सूचना दे दें।

†**श्री अ० चं० गुह :** पर्याप्त ब्योरा दिया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार के लिये यह सब ब्यौरा बताना संभव नहीं कि प्रत्येक राज्य में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और प्रत्येक प्रार्थी को कितना धन दिया गया। यदि माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन को पढ़ें, जो १०० पृष्ठ से अधिक का है, तो उन्हें इस विधेयक पर विचार करने के लिये पर्याप्त ब्यौरा मिल जाएगा।

†**श्री क० कु० बसु :** हमें जो प्रतिवेदन मिला है वहां पांच या छः पृष्ठ का ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पहले प्रस्ताव सभा के सामने रखा जाना चाहिये। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

†**श्री बंसल :** इन वित्तिय निगमों के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधान मंडलों के समक्ष रखे जाते रहे होंगे। उनकी प्रतियां यदि सभा पटल पर नहीं तो पुस्तकालय में अवश्य रखी जानी चाहियें थी, ताकि हम लोग उन्हें देख सकते। परन्तु अब हमें इन निगमों के कार्यकरण के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बंसल]

मैं पंजाब की एक सलाहकार समिति में था। जब मैं ने वहां के निगम के कार्यकरण का संक्षिप्त विवरण पढ़ा तो मालूम हुआ कि उस में अत्यधिक कुप्रबन्ध था। इसलिये हमें प्रत्येक निगम के कार्यकरण के बारे में सविस्तार प्रतिवेदन मिलने चाहिये ताकि हम इस दूर गामी प्रभाव रखने वाले संशोधक विधेयक के बारे में अच्छी तरह विचार कर सकें। मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि इस प्रकार के विधेयक को पुर:स्थापित करते समय उन्हें आवश्यक सूचना सभा के समक्ष अवश्य रखनी चाहिये थी। अन्यथा बिना किसी बात को जाने और समझे हम कैसे इसका अनुमोदन कर सकते हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम :** हम सभी इस विधान को पारित करने में मंत्री महोदय की सहायता करना चाहते हैं, परन्तु वह विभिन्न राज्य निगमों के बारे में ब्यौरा देने को भी तैयार नहीं है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा था, तो राज्य निगमों के विभाजन के बारे में आंकड़े एकत्र करके समिति को दिये गये थे। सरकार इस जानकारी को अवश्य एकत्र कर सकती है। इसके बिना हम वाद विवाद में अच्छी तरह भाग नहीं ले सकते। अत: मैं इसे स्थगित किये जाने के बारे में श्री बसु और श्री बंसल के सुझाव का समर्थन करता हूं। कुछ प्रतियां सदस्यों में परिचालित कर दी जाएं और कुछ प्रतियां सभा पटल पर रख दी जाए। हम इन निगमों के कार्यकरण के बारे में जानना चाहते हैं इसलिये हमें उनके प्रतिवेदन चाहियें। मैं आशा करता हूं आप इस चर्चा को स्थगित करना स्वीकार करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम कुछ समय तक सामान्य चर्चा को जारी रखें। फिर गैर सरकारी कार्य होगा। उस समय माननीय मंत्री वह सूचना एकत्र कर सकते हैं।

†**श्री अ० चं० गुह :** यदि माननीय सदस्य ऋण के प्रार्थी या ऋण लेने वाले व्यक्तिगत पक्षों के बारे में सूचना चाहते है तो वह हमारे पास नहीं है। सम्बन्धित सूचना सदस्यों को परिचालित किये गये पत्रों में दे दी गई है। पुस्तकालय में भी प्रतियां रखी गई हैं। यह सूचना उद्योगवार हैं। क्या यह पूछा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य में कितने उद्योग हैं? यह सूचना हमारे पास नहीं है।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** तार द्वारा सूचना सोमवार तक प्राप्त की जा सकती है।

†**श्री बंसल :** मुझे पुस्तकालय में कोई प्रतिवेदन नहीं मिला। शायद कल शाम को वहां रख दिया गया हो। हम विधान सभा के सामने रखे गये प्रतिवेदनों की प्रतियां देखना चाहते हैं। उन के बिना चर्चा संभव नहीं है।

†**डा० लंका सुन्दरम :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक संबंधी चर्चा को सोमवार या मंगलवार या तब तक के लिये स्थगित कर दिया जाय, जब तक कि माननीय मंत्री हमें यह आंकड़े न दें।"

†**श्री अ० चं० गुह :** इस विधेयक से संगत समस्त आवश्यक जानकारी समेत प्रतिवेदन आदि की दस प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं। यह जो सांख्यकी मांगी गई है, वह न तो सरकार के पास है और न रक्षित बैंक के पास।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सूचना कब दी गई थी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** : यह सूचना हमें परसों ही प्राप्त हुई थी। श्री बंसल ने परसों कहा और कल उन्हें प्रतिवेदन मिल गया। हमने पुस्तकालय में भी प्रतिवेदन की प्रतियां रख दीं। इससे पहले सूचना हमें भी नहीं मिली थी । जिन सदस्यों ने यह शिकायत की है उन्हें प्रतिवेदन मिल गये हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री सदस्यों द्वारा मांगी गई अधिक सूचना को देने में असमर्थ हैं। अब प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य उस साहित्य को पढ़ने के लिये अधिक समय चाहते हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है और उस के बारे में आपका विनिमय चाहता हूं। बार बार सरकारी उपक्रमों की गतिविधियों के बारे में विधेयक पुरःस्थापित किये जाते हैं और हमेशा यही युक्ति दी जाती है कि ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और सभा के समक्ष नहीं रखा जा सकता। राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के समय विभिन्न राज्य विधान सभाओं में हुए वाद-विवादों की प्रतियां हमें दी गई थीं। बम्बई राज्य के औद्योगिक वित्त निगम के विभाजन के प्रश्न पर तार के द्वारा बम्बई सरकार से सूचना मंगवाई गई थी। इस मामले में भी यही कार्यवाही की जानी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानकारी प्राप्त करने को बहुत उत्सुक हैं अतः मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह जितनी जानकारी दे सकते हों अवश्य दें, ताकि सदस्य उस का चर्चा में उपयोग कर सकें।

मैं पुस्तकालय में रखी गई सूचना को पढ़े बिना कोई विनिमय नहीं दे सकता कि वह सूचना पर्याप्त है या नहीं।

†**डा० लंका सुन्दरम** : मेरा प्रस्ताव है कि जब तक माननीय मंत्री सभी प्रतिवेदनों को उपलब्ध न करा दें तब तक चर्चा स्थगित रखी जाए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे इस रूप में नहीं रखा जा सकता। इसके लिये यह निश्चय करना पड़ेगा कि क्या वह सूचना पर्याप्त है या नहीं। वर्तमान प्रस्ताव यह होगा कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित कर दी जाए।

प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें, पर चर्चा स्थगित की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान एक औचित्य प्रश्न है। आर्डर पेपर में यह विधेयक सब से नीचे दिखाया गया था, इस लिये मैंने सोचा था कि इस पर कल विचार होगा। मैं इस पर कुछ संशोधन देना चाहता था। परन्तु इसी ग़लतफ़हमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे नहीं मालूम कि आज इस विधेयक को कितना समय दिया गया है अथवा संशोधन देने का समय है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तीन घंटे।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे अधिनियम, १८९० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये क्षमा प्रार्थी हूं। राज्य सभा ने इस विधेयक के तीन वर्ष पूर्व स्वीकार कर लिया था, तथा इसको इतनी दीर्घ अवधि तक सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका। संभवतया मुझे अब भी अवसर नहीं मिला होता, परन्तु जितनी शीघ्रता से सभा में अब कार्य हो रहा है उसी के कारण यह समय मिल सका। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिस कारण से विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह कार्य रेलों द्वारा अब भी किया जा रहा है। विधेयक के पारित होने के पश्चात् विद्यमान काम के घंटों को तथा विश्राम की अवधि आदि को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हो जायेगा।

जैसा कि बताया जा चुका है, विधेयक रेलवे कर्मचारियों के काम के घंटे, विश्राम, ओवरटाइम आदि के सम्बन्ध में है। काम के घंटों से सम्बन्धित वाशिंगटन तथा जेनेवा के दो कन्वंशैन १९३० में भारतीय रेलवे अधिनियम को संशोधित करके लागू किये गये थे। इस संशोधिन करने वाले अधिनियम में रेलवे कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। लगातार काम करने वाले कर्मचारी, सविराम कर्मचारी, तथा अपवर्जित कर्मचारी। लगातार काम करने वाले कर्मचारियों के काम के घंटे सप्ताह में ६० थे तथा सविराम कर्मचारियों के ८४ थे। लगातार काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन के विश्राम का अधिकार था। चलति रेल में काम करने वाले कर्मचारी इन नियमों से अलग हैं। जब कर्मचारियों ने काम के घंटे और कम करने की मांग की थी तब कुछ वर्ष पूर्व से ही यह उपबन्ध लागू किये गये हैं। १९४० से कर्मचारी मांग कर रहे थे तथा रेलवे और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में कोई समझौता नहीं हुआ। १९४६ में इस पर समझौत हुआ कि मामला न्यायाधिकरण को भेजा जाये। न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट १९४७ में दिया सरकार ने १९४८ में उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित २$\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि में, भूतपूर्व भारतीय सरकार ने रेलों पर इनको लागू कर दिया। १९३० के संशोधन अधिनियम के अधीन बने काम के घंटों के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। भूतपूर्व रियासतों की रेलें जिनकों सरकार ने १९४९ तथा १९५० में ले लिया, के सम्बन्ध में भी यह निर्णय किया गया कि न्यायाधिकरण की सिफारिशों को लागू किया जाये तथा इन रेलों पर भी यह लागू कर दी गईं। न्यायाधिकरण की सिफारिशों को लागू करने के साथ साथ सरकार ने यह विचार किया कि इन परिवर्तनों को अधिनियम में शामिल अधिक उचित होगा क्योंकि रेलवे कर्मचारियों को वैधानिक सुरक्षा मिल जायेगी। तभी हमने यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अब मैं संक्षेप में विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ बताऊंगा। रेलवे कर्मचारियों के पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में बता चुका हूं कि पहले नियमों के अनुसार यह लगातार काम करने वाले सविराम तथा आपवर्जित कर्मचारी थे। न्यायाधिकरण के पंचाट से सर्वप्रथम परिवर्तन, कर्मचारियों के वर्गीकरण में किया गया। न्यायाधिकरण ने 'प्रकृष्ट' वर्ग बनाया जिसमें वह कर्मचारी रखे गये जो बिना कोई विश्राम पाये लगातार कठिन, मानसिक तथा शारीरिक काम करते थे।

न्यायाधिकरण पंचाट ने 'सारतः सविराम' की परिभाषा में परिवर्तन किया। पहले नियमों के अनुसार 'सारतः सविराम' वाले कर्मचारी वह थे जो १२ घंटे की अवधि में कम से कम दो घंटे काम न करते हो अथवा जिनको ४$\frac{1}{2}$ का विश्राम न मिला हो। पंचाट के अनुसार, काम न करने के घंटे ६ कर दिये गये (जिसमें कम से कम एक समय एक घंटा अथवा दो समय डेढ़ घंटे न हो)।

†मूल अंग्रेजी में

तीसरा परिवर्तन यह किया गया कि चलती गाड़ी में काम करने वाल कर्मचारियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया जिन पर नियुक्ति नियम अब तक लागू नहीं होते थे।

अन्तमें, न्यायाधिकरण पंचाट ने उन कर्मचारियों का वर्गीकरण किया जिन पर ये नियम अब तक लागू नहीं किए गये हैं।

कर्मचारियों के वर्गीकरण के पश्चात् पंचाट ने, प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी के अधिकतम काम के घंटे निर्धारित किये। प्रकृष्ट कर्मचारियों के सम्बन्ध में, पंचाट में यह दिया गया है कि एक औसत मास में, सप्ताह में ४५ घंटों से अधिक काम नहीं कराना चाहिये। लगातार काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में ६० के स्थान पर यह काम के घंटों की सीमा ५४ निश्चित कर दी गई। 'सारतः सविराम' के लिये यह काम के घंटों की सीमा ८४ के स्थान पर ७५ कर दी गई। प्रस्तावित विधेयक की धारा ७१(ग) न्यायाधिकरण पंचाट को पूर्णतः लागू करती है। पंचाट में यह भी दिया गया है कि जब किसी भी कारणवश कर्मचारी निश्चित अवधि से अधिक काम करेंगे तब ओवर-टाइम काम के लिये पारिश्रमिक का $1\frac{1}{2}$ गुना दिया जायेगा जब कि पहले $1\frac{1}{4}$ गुना दिया जाता था। प्रस्तावित धारा ७१(ग) का परन्तु क पंचाट के इस अंश के समान ही है।

सर्वाधिक विश्राम के सम्बन्ध में भी पहले उपबन्धों से न्यायाधिकरण पंचाट आगे बढ़ जाता है। जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं १९३० के अधिनियम के अधीन केवल लगातार काम करने वाले कर्मचारी साप्ताहिक विश्राम के अधिकारी थे। अब न्यायाधिकरण पंचाट सर्वाधिक विश्राम की इस प्रकार व्यवस्था करता है :– प्रकृष्ट तथा लगातार काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कम से कम सप्ताह में ३० घंटे ; सारतः सविराम कर्मचारियों के लिये सप्ताह में २४ घंटे, एक रात सहित; तथा अपवर्जित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मास में कम से कम लगातार ४८ घंटे अथवा प्रत्येक पन्द्रह दिनों में लगातार २४ घंटे। चलती गाड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये सावधिक विश्राम, एक मास में चार बार लगातार ३० घंटे अथवा पांच बार लगातार २२ घंटे दिये जाने की व्यवस्था है जिसमें एक रात्रि भी होनी आवश्यक है। विधेयक की प्रस्तावित धारा ७१–घ में यह उपबन्ध रखे गये हैं। प्रस्तावित धारा ७१–ग(४) तथा ७१–घ(४) में दुर्घटनाओं आदि के आपतकालीन मामलों में सावधिक विश्राम तथा काम के घंटो से अस्थाई छूट देने की व्यवस्था है। प्रशासन को इन अधिकारों को लेना इसलिये अवश्यक है जिससे रेलवे के काम में बाधा न पड़े। विधेयक में प्रतिकारात्मक विश्राम देने अथवा ओवरटाइम काम का पर्याप्त भुगतान करने की भी व्यवस्था है। प्रस्तावित धारा ७१–ङ, सरकार को विशिष्ट मामलों पर नियम बनाने का अधिकार मिलता है। प्रस्तावित धारा ७१–छ में, इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के तरीकों के सम्बन्ध में रेलवे के निरीक्षण के बारे में नियमों को लागू करने की व्यवस्था है। ऐसा प्रस्ताव है कि इस काम को श्रम मंत्रालय के निरीक्षण करने वालों को यह काम सौंपा जाय तथा मंत्रालय को रेलवे सेवाओं के वर्गीकरण का निर्णय करने का अपीलीय प्राधिकार बनाया जाये। इसके सम्बन्ध में बनाये गये नियम स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। जैसा कि मैं सभा को पहले भी बता चुका हूं, यह सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं तथा इनको अब केवल परिनियम-पुस्त में रखना भर शेष है। कुछ छोटे-छोटे मामले भी हैं जिनके सम्बन्ध में विधेयक में विशेष उपबन्ध नहीं बनाये गये हैं जैसे अधिकरण कर्मचारियों की परिभाषा। हम इन सबको नियमों में सम्मिलित कर देना चाहते हैं जो कि अधिक उपयुक्त होगा। इनको अधिनियम में रखना ठीक नहीं होगा क्योंकि बाद में संशोधन करने के लिये हमें विधि का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

न्यायाधिकरण ने कुछ और सिफारिशें की हैं जो छोटे-छोटे मामलों के सम्बन्ध में हैं। यह नियम जिन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे उनको प्रस्तावित धारा ७१ क(ग) में परिभाषित किया गया है। मद (४) में दिया है :–

> "चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को वे श्रेणियां जो धारा ७१ङ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट की जाएं।"

[श्री अलगेशन]

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके द्वारा बहुत से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इससे अलग रखने का विचार नहीं है।

वर्तमान विधेयक के उपबन्ध रेलवे कर्मचारियों के काम के घंटे तथा विश्राम की अवधि के संरक्षणार्थ हैं। मैं स्वीकृति के लिये विधेयक को सभा में प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, इस विधेयक के उपबन्ध लागू किये जा चुके हैं तथा यह औपचारिक विधान प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक पर विचार करते समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि ४० अथवा ४५ प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों के लिये परिनियमों की व्यवस्था नहीं है। इसमें चलती गाड़ी में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। ये सभी कर्मचारी कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों से भिन्न प्रकार के हैं क्योंकि इनका काम उनसे बहुत कठिन है। कुछ वर्ष पूर्व काम के जो घंटे निर्धारित किये गये थे, उनका पुनरीक्षण किया गया है क्योंकि रेलवे कर्मचारियों की यह मांग थी कि हमारे काम को उचित रूप से नहीं आंका गया है।

१९४६ में दी गयी हड़ताल करने के नोटिस में १३ बातें थीं जिनमें से एक काम की दशा तथा काम के घंटों के सम्बन्ध में थी। हड़ताल वापस ले ली गई क्योंकि मजूरी का प्रश्न केन्द्रीय वेतन आयोग को सौंप दिया गया था। तब काम के घंटे तथा काम की दशा निर्धारित की गई।

विधेयक में किये गये परिवर्तनों पर विचार करते समय, हमें अन्य उद्योगों में लगे कर्मचारियों तथा उनकी प्रगति पर भी विचार करना चाहिये। १९४६ से पूर्व कारखानों में नौ घंटे काम करना पड़ता था जो कि १९४६ के बाद कम कर दिया गया तथा १९४८ के अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई कि काम के घंटे आठ होंगे। ओवरटाइम काम की मजूरी की दरें $1\frac{1}{2}$ गुनें से दुगुनी कर दी गइ। ५४ घंटे के सप्ताह को ४८ घंटे का कर दिया गया।

इस विधेयक में ओवरटाइम काम करने की मंजूरी $1\frac{1}{2}$ गुना कर दी गई है। रेलवे कर्मचारियों को लगातार काम करना पड़ता है जब कि कारखाने के कर्मचारियों को आठ घंटे के काम में प्रत्येक चार घंटे के पश्चात् कुछ विश्राम की व्यवस्था है। जब आप इन कर्मचारिओ के लिये किसी विश्राम की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तब मैं नहीं समझता कि ओवरटाइम काम की मजूरी को दुगुना क्यों न कर दिया जाये। मैंने ऐसा ही एक संशोधन दिया है।

न्यायाधिकरण ने कर्मचारियों का वर्गीकरण किया और रेलवे मंत्री ने उसे स्वीकार कर लिया फिर मेरी समझ में नहीं आता कि रेलवे प्रशासन ने इनका वर्गीकरण स्वयं ही क्यों कर दिया है तथा उसी वर्गीकरण को क्यों नहीं अपना लिया जो न्यायाधिकरण ने दिया।

प्रकृष्ट कर्मचारियों के लिये यह कहा गया कि वह ४५ घंटे से अधिक काम नहीं करते हैं। मैं विभाग नियंत्रकों का, जो प्रकृष्ट कर्मचारी हैं, मामला प्रस्तुत करता हूं। कहीं कहीं इनको सप्ताह में ३६ घंटे काम करना होता है। तथा कहीं ४८ घंटे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इनके काम के घंटे ३६ कर देने चाहिये।

---

†मूल अंग्रजी में

कारखाना अधिनियम तथा खान अधिनियम में यह दिया है कि जब किसी कर्मचारी को काम की अधिकता के कारण विश्राम न मिले तो उसको प्रतिकारात्मक छुट्टी मिलनी चाहिये। यहां भी यह कहा गया है परन्तु कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है कि वह यह छुट्टी ले सकता है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो सप्ताह में ७५ घंटे से अधिक काम करते हैं। यह उचित नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह घंटे ५४ कर दिये जायें।

मैं नहीं जानता कि ओवरटाइम काम की मजूरी की गणना में समस्त मास पर विचार करने का सुझाव किसने दिया था। ऐसा कहीं भी नहीं है। कारखाना अधिनियम में यह प्रतिदिन के आधार पर है। इसलिये मेरे विचार से सप्ताह के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिये।

मंत्री महोदय ने कहा कि न्यायाधिकरण पंचाट १९४६ के विवाद करने वाले पक्षों पर लागू होगा। १९४६ में कुछ रेलवे राज्यों की थी तथा कुछ समवायों की। परन्तु इन सभी रेलों को यह आश्वासन था कि न्यायाधिकरण का पंचाट सभी पर लागू होगा। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। इस अधिनियम के उपबन्ध चलती गाड़ी में काम करने वालों पर भी १९५४ में लागू किए गये।

साप्ताहिक विश्राम के सम्बन्ध में भी ओवरटाइम काम करने के आधार पर मजूरी की गणना करने का सिद्धान्त अपनाया गया। प्रतिकारात्मक छुट्टी केवल मासिक आधार पर ही दी गई है। ऐसा प्रकट होता है कि पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं जो उनके स्थानों पर काम कर सकें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिये कि एक निश्चित अवधि में कर्मचारी को विश्राम मिल जाए। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि ग्रान्ड ट्रन्क एक्सप्रेस तथा जनता एक्सप्रेस को गुजरने देने के लिये मालगाड़ी को खड़ा रखा जाता है। सारी यात्रा के दौरान में कई घंटों तक उन्हें रोके रखा जाता है, कई बार पांच घंटे से भी अधिक लग जाते हैं और जो भी कोई कर्मचारी चालक, फ़ायरमैन अथवा दूसरा फायरमैन होता है उस को १३ अथवा १४ घंटों तक काम करना पड़ता है। इंजिन का काम स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक होता है। यदि उन स्टेशनों के बीच जहां रनिंग शैडों का उचित प्रबन्ध है पर्याप्त सुविधायें दी जायें तो यह कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह मेरे कुछ संशोधनों को तो स्वीकार कर ही लें।

प्रशासन कुछ नियम बनाने के अधिकार प्राप्त कर रहा है। मेरा निवेदन है कि नियमों पर भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ और भारतीय श्रम सम्मेलन की राय ली जानी चाहिये। भारतीय श्रम सम्मेलन इस समय भारत की इन मामलों सम्बन्धी सब से बड़ी परामर्शदाता समिति है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था में भी परिवहन प्रणालियों में सेवायुक्त कर्मचारियों को प्रभावित करनेवाली समस्याओं पर विचार किया जाता है। इस संस्था का भारत भी सदस्य है। यद्यपि इस संस्था की वार्षिक बैठक में श्रम मंत्रालय द्वारा भाग लिया जाता है परन्तु इस संबंध में उसने कुछ किया नहीं है। यहां औद्योगिक समिति जैसा कोई मंच भी नहीं है जहां परस्पर चर्चा करके कुछ परिणाम निकाले जायें। कोयले की खानों के संबंध में अभी हाल ही में औद्योगिक समिति की बैठक हुई थी जिसमें लगभग २०० विनियमों पर विचार कर के कई निर्णय किये गये थे। इस लिये मंत्री महोदय के लिये मेरा सुझाव है कि रेलवे प्रशासन ने जो भी नियम बनाये हैं उन्हें भारत में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने से लाभ ही होगा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : हमारा यह विचार था कि इस संशोधन विधेयक पर सोमवार को विचार किया जायेगा। आशा है कि हम में से जिन्होंने संशोधनों की सूचनायें दी हैं उन्हें उन संशोधनों को प्रस्तुत करने की आज्ञा दे दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि हम में से कुछ के विचारों को सुन रेलवें प्रशासन उन विचारों को स्वीकार कर लेगा। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि रेलवे प्रशासन न्यायनिर्णयक के पंचाट की सिफारिशों को परिनियत प्रभाव देने का प्रयत्न कर रहा है। हमें यह स्वीकार है। इस संबंध में यदि मुझे अपने संशोधन प्रस्तुत करने का समय मिला तो मैं अपनी युक्तियों को विस्तार से प्रस्तुत करूंगा।

†**श्री अलगेशन** : संशोधनों का परिचलन नहीं किया गया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक के संबंध में सदन को काफी आश्चर्य हुआ है। माननीय सदस्य अपने संशोधन भेज दें।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : एक बात जिस के सम्बन्ध में मैं रेलवे प्रशासन से सहमत नहीं हूं वह अधिक समय तक काम करने का प्रश्न है। मेरे विचार से किसी भी माननीय सदस्य को यह स्वीकार्य नहीं होगा कि सप्ताह को न्यायनिर्णायक ने कार्य का प्रमाप स्वीकार किया था। इस मामले में तो न्यायनिर्णायक के पंचाट का बिलकुल ही गला घोट दिया गया है। जैसा कि मुझसे पूर्व बोलने वाले सदस्य ने कहा कि वह कौन से सिद्धान्त हैं जिसके आधार पर फैक्टरी अधिनियम बना है। वहां सप्ताह में ४८ घंटे निश्चित किये गये हैं। मेरे विचार में ८ अथवा ९ घंटे रोज की भी व्यवस्था है। अधिक समय की गणना किस प्रकार की जाती है ? मेरे विचार में रेलवे को इस संबंध एक प्रगतिशील विधान प्रस्तुत करना चाहिये और दैनिक आधार को अधिक समय काम करने की गणना करने के लिये सामान्य मानदंड समझा जाना चाहिये। यदि आप कहते हैं कि किसी लगातार काम करने वाले व्यक्ति को आठ घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिये तो फिर यदि उससे आठ घंटे से अधिक काम लिया जाय तो उसका उसे प्रतिकर मिलना चाहिये। न्यायनिर्णायक के पंचाट ने तो काम के साप्ताहिक घंटे, ६ से ८ घंटे तक प्रतिदिन और ४२ से ५४ घंटे प्रति सप्ताह इत्यादि, निश्चित किये हैं। इससे तो यही पता चलता है न्यायनिर्णायक ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति समय से अधिक काम करे तो अधिक समय कार्य करने के लिये दिये जाने वाले प्रतिकर का विनिश्चय साप्ताहिक आधार पर होना चाहिये। परन्तु हो कुछ भी नहीं रहा है।

मेरे विचार में रेलवे प्रशासन ने पंचाट की स्पष्ट इच्छा को समझा ही नहीं है। यदि वह 'किसी महीने के औसत पर' जैसी शब्दावलि पर ही आग्रह करते रहे तो हमें इसके लिये सरकार की निन्दा करनी होगी। मान लीजिये कि कुछ कारणों से उन्हें आठ घंटों के स्थान पर १० घंटे काम करने को कहा जाता है, तो जैसा मैंने कहा दैनिक आधार पर न सही, साप्ताहिक आधार पर उन्हें अधिक समय काम करने का भत्ता दिया जाना चाहिये। परन्तु किया क्या जा रहा है यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

रुक रुक कर सविराम काम करने वालों के लिये ७५ घंटे प्रति सप्ताह की आपने व्यवस्था की गई है। रेलवे की कठिनाइयों को देखते हुए हम यह स्वीकार करते हैं कि अभी हम कर्मचारियों को दैनिक आधार पर वेतन नहीं दे सकते हैं। विधेयक में भी कहा गया है कि लगातार और गहन काम करने वालों के लिये ५४ और ४५ घंटे की व्यवस्था है। इतना ही रहता तो ठीक था। परन्तु वह तो "किसी मास की औसत" की रट लगा रहे हैं। जब भी मैं रेलवे कर्मचारियों से बातचीत करता हूं तो वह यही कहते हैं कि हम वास्तविक अर्थों में ईमानदार हैं परन्तु रेलवे प्रशासन हमारे साथ धोखा कर रहा है और रुपये की बेईमानी कर रहा है। ५४ घंटे प्रति सप्ताह काम करने की तो बात ही क्या है, ऐसे भी कर्मचारी हैं जो २० घंटे, १८ घंटे और २६ घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कई २६ घंटे लगातार काम करते हैं परन्तु आप उनको उनके अधिक समय के परिश्रम भत्ते से क्यों वंचित रखना चाहते हैं। दैनिक आधार पर न सही साप्ताहिक आधार पर ही यह भत्ता दिया जाये

†मूल अंग्रेजी में

और इतना भी न करना तो न्यायनिर्णायक के पंचाट को भी ठुकराना है। इन लोगों से रेलवे प्रशासन द्वारा ५४ घंटे के स्थान पर ७० घंटे और ८० घंटे प्रति सप्ताह काम लिया जाता है। एक पखवाड़े में वह १३० से १४० घंटे तक काम करते हैं, परन्तु उनके लिये कुछ किया नहीं जाता और इसके लिये एक आना भी उन्हें प्रतिकर नहीं दिया जाता है। मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री इस को न्याय संगत नहीं समझेंगे। यदि वह ऐसा समझते हैं तो गड़बड़ी हो कर ही रहेगी। यह अप्रत्यक्ष रूप से आग भड़काने जैसी बात होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि 'किसी महीने से औसत के अनुसार' शब्द निकाल दिये जायें और जितना अधिक किसी ने सप्ताह में काम किया हो उतनी ही उसको सुविधा दी जाये। यह तो प्रारम्भिक न्याय की प्रार्थना मात्रा है।

ऐसे मामले भी है, जिनके संबंध में आशा है कि प्रशासन मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेगा। उदाहरण के लिये गहन-कार्य करने वालों का प्रश्न है, उनसे लगातार छः घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिये। परन्तु स्थिति यह है कि उन्हें ३६५ दिनों में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है और दिन में १८ घंटे काम करना होता है। यह है आपके गहन-कार्य करने वाले कर्मचारियों की स्थिति। आपको यह बात कोई महत्व की दिखायी न दे। परन्तु मेरा कहना है कि रेलवे का सारा आधार ही इन माननीय तथ्यों पर ही है। यदि आप इन की कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देते, और उनके आरम्भ और अधिक समय काम करने के भत्ते के औचित्य पर विचार नहीं करते, तो आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वे वफादारी से काम करें।

धारा ७१ घ(४) से संबंधित एक और संशोधन का मेरे मित्र ने उल्लेख किया है, उसमें कहा है कि यदि रेलवे प्रशासन कभी अधिक काम ले तो जहां तक सम्भव हो उन्हें प्रतिकारात्मक छुट्टी दी जाये। 'जहां तक सम्भव हो' यह शब्द क्यों रहें? छुट्टी का दिया जाना अनिवार्य होना चाहिये। जिस महीने में अधिक काम लिया जाय उसी मास में आवश्यक तौर पर छुट्टी मिलनी चाहिये।

मैं तो केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के अधिकार देने की बात से ही परेशान हूं। अपनी सम्पूर्ण शक्ति से मैं इसका विरोध करूंगा। इस प्रकार के अधिकार देने से क्या लाभ जब कि उपबन्धों को इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा जाये कि सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाये। इन दो व्यवस्थाओं से तो रेलवे प्रशासन जिस प्रकार की मनमानी करना चाहेगा, कर सकेगा। इससे अच्छा तो यही है कि इस विधेयक को छोड़कर एक ही खंड का एक विधेयक बनाया जाय और रेलवे की बात स्वयं ही कानून होगी और जो चाहे कर सकेगी। इससे आप कम से कम उन लोगों को धोखे में तो नहीं रख सकेंगे, जो कि रेलवे के संबंध में कुछ जानकारी रखते हैं।

एक और महत्व की बात है। धारा ७१ च के अनुसार कर्मचारी काम से उस समय तक छुट्टी नहीं पा सकता जब तक कि उसे छुट्टी न दी जाय। यह तो एक बड़ी प्रतिक्रियावादी खंड है, और इससे गुलाम भारत के दिनों की याद ताजा हो जाती है जब कि रेलवे प्रतिक्रियावादी नौकरशाही का गढ़ थी। पंचाट में कहा गया है कि १२ घंटे के काम के पश्चात यदि दो घंटे का नोटिस दे दिया जाये तो उसको छुट्टी मिल सकेगी। परन्तु मुझे पता चला है कि केवल आराम की मांग किये जाने पर कई लोगों को सेवामुक्त और निलम्बित कर दिया गया है। क्या १६, १८ और २४ घंटे काम करने पर भी कोई आराम नहीं मिल सकता है? रेलवे प्रशासन ने समस्त सिफारिशों को ठुकरा दिया है, और समस्त उन प्रगतिशील सिद्धान्तों की उपेक्षा कर दी है, जिन्हें कि समस्त प्रगतिशील प्रशासनों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। क्या एक इंजिन चालक १६ अथवा २० घंटे काम करने के पश्चात् इस बात का अधिकारी नहीं है कि उसे आराम दिया जाय? मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था और इस अपराध पर सेवामुक्त किये गये एक व्यक्ति को पुनः सेवायुक्त किया गया था और आप हैं कि एक व्यक्ति से बराबर ४८ घंटे काम कराने के अधिकार की विधिवत स्वीकृति दे रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मेरे विचार में मेरे मित्र ने खंड ७१च पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया है। इस लिये मैं एक खंड रखना चाहता हूं।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

मैं कहता हूं कि यदि काम बहुत अधिक है और परिनियत सीमा तक आराम नहीं दिया जा सकता है तो ठीक है आप सभी प्रकार के कर्मचारियों के कार्य का समय दो घंटे चार घंटे बढ़ा सकते हैं परन्तु उन्हें आराम तो दिया जाना चाहिये। आजकल रेलवे में कई स्थानों पर कर्मचारी अधिक हैं, परन्तु कोई स्टेशन मास्टर या कोई नियन्त्रक इस ओर ध्यान नहीं देता है। रेलवे कर्मचारी दो घंटे पूर्व नोटिस देते हैं परन्तु आराम का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है। यदि जो आप चाह रहे हैं विधेयक में वैसी ही व्यवस्था कर दी गयी तो २०–२२ घंटे लगातार काम करने वालों को अब ३०–४० घंटे काम करना होगा और इसके बाद भी कहा जायेगा कि ३० घंटे के बाद क्योंकि तुमने इंजिन को खड़ा कर दिया इस लिए तुम्हें सेवामुक्त किया जाता है।

मुझे अब भी आशा है कि उप मंत्री महोदय, अधिक कार्य, और अधिक समय कार्य करने के मामलों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखेंगे और मेरे संशोधनों के शब्दों में परिवर्तन करके उन्हें स्वीकार करेंगे।

†**श्री अलगेशन :** मैंने बड़े ध्यान से विवाद में भाग लेने वाले दो सदस्यों की बातों को सुना इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने रेलवे के श्रमिकों की समस्या का अच्छा अध्ययन किया है। एक माननीय सदस्य ने रचनात्मक सुझाव भी दिये हैं।

श्री एंथनी ने कुछ कठोर शब्द कहे हैं। वह कटोर भाषा का प्रयोग करते है, परन्तु रेलवे कर्मचारियों के लिये उनके दिल में जो दर्द है उसे मैं समझता हूं परन्तु इस संबंध में उन्होंने आवश्यकता से अधिक कहा है और ऐसी बातें कहीं हैं जो कि तथा नहीं हैं।

श्री विट्ठलराव ने यह आशंका प्रकट की है कि बहुत से कर्मचारी उन परिनियत संरक्षणों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते है जिनकी कि व्यवस्था रेलवे श्रमिकों के लिये की गई है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मामला यह नहीं है। मेरे पास उन कर्मचारियों की प्रतिशतता है, जिन्हें विभिन्न प्रवर्गों में रखा गया है और जिस अपवर्जित वर्ग को इस अधिनियम में अथवा कार्य घंटे विनियमों के उपबन्धों से पृथक रखा गया है उनका अनुपात केवल ४·२ प्रतिशत है। उन्हें यह आशंका थी कि कहीं यह प्रतिशतता ४० और ५० के बीच न हों। उन्हें इस प्रकार की कोई आशंका नहीं होनी चाहिये। वह अपवर्जित वर्ग, जिस में इस प्रकार के कर्मचारियों को रखा गया है। न्यायनिर्णायक ने भी उनके नाम गिनाये हैं। उनमें सैलून परिचारक, विश्राम घरों और जलाशयों के अवेक्षक इत्यादि 'ग' श्रेणी की रेलवे चौकियों के चौकीदार इत्यादि सम्मिलित है, समस्त रेलवे कर्मचारियों की संख्या का केवल ४.२ प्रतिशत है। इसलिये, इस अपवर्जित श्रेणी की प्रतिशतता के बहुत कम होने के कारण, यहां अनुमोदित किये जाने वाले संविहित उपबन्धों का लाभ अन्य सभी को प्राप्त होगा।

लेकिन दोनों ही माननीय सदस्यों ने एक बात यह भी कही है कि अधिक समय तक काम करने के भत्ते को पूरे महीने भर के हिसाब नहीं जोड़ा जाना चाहिये, उसकी गणना पूरे महीने के औसत के हिसाब से नहीं बल्कि एक सप्ताह के औसत के हिसाब से की जानी चाहिये यदि श्री एन्थनी का यह सुझाव नहीं माना जाता है कि एक दिन के औसत के हिसाब से उसकी गणना की जानी चाहिये तो उपरोक्त तरीका अपनाया जाये। श्री एन्थनी ने तो रेलवे प्रशासन पर यह भी दोषारोपन किया है कि उसने न्याय-निर्णेता के पंचाट की भावना के ही नहीं उसके शब्दों के भी प्रतिकूल कार्य किया है। पता नहीं उनका यह विचार कैसे बन गया है कि हम न्याय-निर्णेता के इस कथन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं कि अधिक समय तक काम करने के भत्ते की गणना एक सप्ताह के बदले पूरे एक महीने

---

†मूल अंग्रेजी में

के औसत के हिसाब से की जानी चाहिये। श्री एन्थनी की प्रभावशाली वाक्-चातुरी के उत्तर में स्वयं न्याय-निर्णेता के सुविचारपूर्ण वक्तव्यों को प्रस्तुत कर देना ही पर्याप्त होगा। वे न्याय-निर्णेता के पंचाट के पृष्ट ९८, पैरा ३२२ को देखें। मैं उसी प्रतिवेदन में से उद्धृत कर रहा हूं :

"आल इण्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की मांग यह है कि औसत निर्धारित करने वाले खण्ड को निकाल दिया जाये। रेलवे के कार्यकरण में जो एक सीमा तक लचीलापन होना चाहिये उसी के लिये इस खण्ड को रखना आवश्यक समझा गया था। यदि यह नहीं होता, तो महीने के प्रथम सप्ताह में माहवारी विवरणियां तैयार करते समय कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को हर बार ही अधिक समय तक काम करने का भत्ता देना पड़ेगा। वह एक सामान्य बात बन जायेगी। यूरोपीय रेलवेज में वाशिंगटन समझौते के अनुच्छेद ५ का अनुसरण किया जाता है और उसके अनुसार आठ घंटे के दिन के हिसाब से जिस अवधि का औसत निकाला जाता है वह सामान्यतः एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक की होता है। मुझे भारत की प्रथा के अतिरिक्त दो और ऐसे देशों का पता है जहां कि अधिक लम्बे काल के लिये प्रति सप्ताह के अधिकतम घण्टों के आधार पर औसत निकाला जाता है। नार्वे में चार से छ सप्ताहों तक के लिये ४८ घण्टे के सप्ताह के आधार पर, और बेल्जियम में तीन महीनों तक की अवधि के लिये ४८ घण्टे के सप्ताह के आधार पर गणना की जाती है। भारत में इस काम के लिये एक महीने की अवधि कुछ निश्चित कारणों से निर्धारित की गई थी, उदाहरण के लिये माहवारी विवरणियां तैयार करने के कार्य में लगने वाले अतिरिक्त श्रम और मासिक वेतन ही साथ अधिक समय तक कार्य करने के भत्ते की अदायगी की व्यवस्था करने के लिये यह व्यवस्था अपनाई गई थी। वास्तविक व्यवहार में इस व्यवस्था के कारण कोई बड़ी कठिनाई पैदा नहीं हुई है ; और इसलिये मैं इस सम्बन्ध में फेडरेशन की इस मांग का समर्थन करने में असमर्थ हूं।"

न्याय-निर्णेता का कथन यही है। उन्होंने इसे इतने स्पष्ट रूप में कहा है कि मैं समझता हूं कि इस पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि हम इस सम्बंध में न्याय निर्णेता के पंचाट के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं।

श्री विट्ठलराव ने बदले की छुट्टी के बारे में कहा। श्री एन्थनी ने भी इसका उल्लेख किया। बदले की यह छट्टी यथासम्भव कम से कम समय में ही दे दी जाती है। यदि कोई ऐसा मामला भी है जो इसके अनुसार नहीं है, तो मैं चाहूंगा उसे मुझे बताया जाये जिससे कि मैं उसके सम्बंध में यथोचित कार्यवाही कर सकूं। मुझे बताया गया है कि यह बदले की छट्टी एक सप्ताह या एक पखवारे के अन्दर ही दे दी जाती है। इस से अधिक समय इस में नहीं लगता है। मेरे मित्र ने कहा था कि उसे एक महीने में ही दे दिया जाना चाहिये, लेकिन मुझे बताया गया है कि बदले की यह छुट्टी एक सप्ताह या अधिक से अधिक दो सप्ताहों के भीतर दे दी जाती है।

श्री विट्ठलराव ने कहा कि हमने जो कुछ भी किया है या हम करने का प्रयास कर रहे हैं वह इस सम्बंध में कोई प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं है। इसके लिये तो पहले की दशा की तुलना आप की दशा से करना ही मेरे लिये पर्याप्त होगा। मैंने अपने भाषण में भी यही कहा था।

इससे पहले गहन कार्य करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी नहीं थी। वह अब चालू की गई है, और अब इस श्रेणी के कर्मचारियों को केवल ४५ घंटे ही कार्य करना पड़ता है और उन्हें एक सप्ताह में ३० लगातार घण्टों का विश्राम-काल दिया जाता है। श्री फ्रैंक एन्थनी यह भी भूल गये कि एक दिन में कितने घण्टे होते हैं। हम तो दिन में २४ घण्टे गिनने के ही आदी हैं, पर उन्होंने कहा कि वे २६ घण्टे लगातार कार्य करते हैं। उनका कथन यह था कि गहन कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये पूरे वर्ष में विश्राम के लिये एक पूरा दिन भी नहीं मिल पाता है और यहां तक कि एक पूरे वर्ष भर लगातार उन्हें एक भी दिन का विश्राम नहीं मिल पाया था। पता नहीं यह सूचना उन्हें कहां से मिली है। इसके सम्बंध में तो मैं उनसे केवल यही कह सकता हूं कि वे मेरे सामने ऐसे वास्तविक मामले लायें जिनसे कि मैं उनकी जांच कर सकूं। यदि ऐसा हुआ है, तो यह वास्तव में

[श्री अलगेशन]

बुरा है। उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिये। अब ये विधेयक एक अधिनियम बन जायेगा और एक अधिनियम की बाध्य करने की सारी शक्ति इसे मिल जायेगी।

आशंकायें प्रकट की गई हैं कि नियम बनाने की शक्तियों से कुछ ऐसे उपाय किये जायेंगे जिनसे कि इस अधिनियम का प्रभाव शून्य हो जायेगा। नियम बनाने की शक्तियों के लिये भी कोई उपबन्ध बना देना कोई असामान्य बात नहीं है। लोक-सभा द्वारा पहले भी जितने विधान पारित किये गये हैं, उन सब में हमने नियम बनाने की शक्तियों का उपबंध रखे हैं। इसी तरह इस विधेयक में भी ऐसा एक उपबन्ध रखा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम ऐसे कुछ नियम बनादेंगे जिन से कि इस अधिनियम का प्रभाव-शून्य हो जायेगा। ऐसी आशंका का कोई भी औचित्य नहीं है।

इसके बाद, मेरे माननीय मित्र ने गहन कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले विश्राम काल का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें नियमों के अनुसार अवश्यक समय से अधिक समय तक कार्य करने पर विवश किया जाता है। हो सकता है कि जब उनके बदले कार्य करने वाले कर्मचारी सुलभ न हों तब उन्हें अपने निर्धारित काल से भी कुछ अधिक काल तक कार्य करने पर विवश किया जाता हो। इसके अलावा, यह तो स्पष्ट ही है कि उन्हें आवश्यकतानुसार विश्राम दिया जाता है और उनके बदले कार्य करने वाले कर्मचारियों को काम पर भेज दिया जाता है।

इस मामले में स्थिति यह है कि इन श्रेणियों के कर्मचारियों के बदले शीघ्र ही दूसरे कर्मचारियों के भेज सकने लायक कर्मचारी अभी हमारे पास नहीं हैं। निश्चय ही, यह रेलवे प्रशासन और रेलवे बोर्ड का ही कार्य है कि वह कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या भर्ती करे, जिससे कि कर्मचारियों को विश्राम देने वाले कर्मचारी काम संभाल सकें। लेकिन, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि कर्मचारियों को लगातार कार्य करने पर विवश किया जाता है।

जहां तक कि लगातार काम करने वाले कर्मचारियों का सम्बंध है, उनके लिये पहले ६० घंटे नियत थे, जो अब घटाकर ५४ कर दिये गये हैं। जिन कर्मचारियों को अत्यावश्यक रूप से लगातार कार्य करना पड़ता है, उनके लिये पहले प्रति सप्ताह ८४ घण्टे नियत थे, लेकिन अब इसे घटा कर ७५ घंटे कर दिया गया है। श्री विट्ठलराव ने अपने संशोधन में प्रस्ताव किया है कि काम के इन घण्टों को और भी कम कर दिया जाना चाहिये। लेकिन मैं बताता हूं कि ये जो ५४ घण्टे और ७५ घण्टे नियत किये गये हैं, वे एक प्रकार का लचकीलापन बनाये रखने के लिये ही किये गये हैं। मंशा यह है कि इसके द्वारा लगातार कार्य करने वालों के लिये ५१ या ५२ घण्टे प्रति सप्ताह की और अत्यावश्यक रूप से लगातार कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये ७२ घण्टे प्रति सप्ताह की कर्त्तव्य सूचियां तैयार की जायें, इससे अधिक की नहीं। ये जो कुछ अतिरिक्त घण्टे इसमें रखे गये हैं, वे उसमें कुछ हद तक लचकीलापन बनाये रखने के लिये ही रखे गये हैं। लेकिन वास्तविक व्यवहार में, वे क्रमशः ५२ और ७२ घण्टों से अधिक नहीं होंगे।

फिर, श्री विट्ठलराव ने इस बात पर आग्रह किया है कि अधिक समय तक काम करने का भत्ता आप की तरह डेढ़ गुनी दर से नहीं, बल्कि दुगनी दर से दिया जाये। पहले भी यह बात कही गई थी और मैंने उसका उत्तर भी दे दिया था। फैक्टरियों में तो अधिक समय तक काम करने का भत्ता सामान्य दर की अपेक्षा दुगनी दर से दिया जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम फैक्टरियों में अधिक समय तक काम कराने की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। लेकिन, रेलवे में कर्मचारियों से अधिक समय तक काम न कराना सम्भव ही नहीं है। उनके कर्त्तव्य ही इस प्रकार के हैं कि यह आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिये, स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को ही लीजिये। यदि वे किसी रेलगाड़ी विशेष से सम्बंधी कार्य कर रहे हों तो जब तक वह रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ नहीं देती है और वे उससे सम्बन्धित कार्य पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक स्टेशनके कर्मचारियों के लिये इस आधार पर अपने कार्य के स्थान से हटना सम्भव नहीं होता है कि उनका कर्त्तव्य काल समाप्त हो गया है। इसलिये उनका काम ही इस प्रकार का होता है कि उनके मामले में काम के घंटों को थोड़ा बढ़ाना ही पड़ता है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

लेकिन, हम फैक्टरियों में अधिक समय तक काम कराने की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते है कि उनसे आठ घंटे से अधिक काम न लिया जाये। इसलिये ये दोनों ही मामले एक समान नहीं हैं। श्री विट्ठलराव ने स्वयं ही माना है कि पहले इसकी दर सवाई ही थी, जिसे अब बढ़ाकर ड्योढ़ा कर दिया गया है। इसलिये इस मांग में कोई अधिक तर्क नहीं है। कारखाना अधिनियम की भांति रेलवे में भी इस दर को दुगुना कर दिया जाना चाहिये। माननीय सदस्य जानते हैं कि दो वर्ष पहले हमने लोकोशेड के कर्मचारियों के मामले में एक अपवाद किया था, और हमने उनको वास्तव में कुछ रियायतें दी थीं।

मेरे माननीय मित्र ने इसका भी उल्लेख किया कि कुछ स्थानों पर सेक्शन कन्ट्रोलर (विभाग नियंत्रक) केवल ३६ घण्टे कार्य करते हैं। मैं अभी ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि वे केवल ३६ घण्टे तक ही कार्य करते हैं, या अपने लिये निर्धारित ४५ घंटे तक।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : बंगलौर और अन्य स्थानों पर यही स्थिति है।

†**श्री अलगेशन** : मुझे पता नहीं लेकिन इसे एक तर्क तो नहीं बनाया जाना चाहिये। हो सकता है कि वह कोई छोटा स्टेशन हो, और मैं यह नहीं बता सकता कि काम के घण्टे ३६ ही क्यों रखे गये हैं। जो भी हो, लेकिन इस एक तर्क नहीं बना लेना चाहिये कि कुछ एक दो स्टेशनों पर काम के घंटे ३६ ही होते हैं, जहां कि लगता है कि काम कुछ कम है। इसलिये गहन काम करने वाले कर्मचारियों के काम के घंटों को भी ४५ से घटा कर ३६ कर दिया जाना चाहिये।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन सब चीज़ों को भारत सरकार की रेलवेज़ नें ही नहीं, बल्कि भारत सरकार की रेलवेज़ के साथ एकीकृत होने वाली राज्यों की भूतपूर्व रेलवेज़ में भी प्रभावी बना दिया गया है। हम लोक-सभा से अब केवल उसी चीज़ का अनुमोदन करने का आग्रह कर रहे हैं जो कि इस समय व्यवहार में है और जिसमें मेरा दावा है कि, रेलवे कर्मचारियों को कुछ संतोष भी हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवेज़ अधिनियम १८९० में, अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक पर चर्चा स्थगित रहेगी। अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

उनसठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** : (कपूरथला-भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनसठवें प्रतिवेदन से, जो २२ अगस्त, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

इस प्रतिवेदन में दो विधेयक लिये गये हैं। पहला विधेयक श्री राधा रमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है—साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक।

दूसरा विधेयक श्री म० ला० द्विवेदी का है—व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनसठवें प्रतिवेदन से, जो २२ अगस्त, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक*

†**श्री झूलन सिंह** (सारन उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत सरकार की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विकल्प देने का उपबन्ध करने वाले, विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विकल्प देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†**श्री झूलन सिंह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्रीमती कमलेन्दुमति शाह द्वारा १० अगस्त, १९५६ को रखे गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला जिजनोर उत्तर) : अभी तक इस पर डिसक्शन (चर्चा) नहीं हुआ है। लेकिन मैं दो तीन मिनिट ही लूंगी क्योंकि मैं और बहनों को भी मौका देना चाहती हूं।

†**श्री रघुबीर सहाय** (जिला एटा-उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं-पूर्व) : लोक-सभा दो बार पहले भी इस विधेयक को विषय-वस्तु पर विचार कर चुकी है। दोनों बार इस प्रकार के विधेयकों को विधि-कार्य मंत्री के इस आश्वासन पर वापिस ले लिया गया था कि सरकार स्वयं ही इस प्रकार का एक विधेयक पुर:स्थापित करेगी। अब फिर, यह उसी प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। क्या यह सभा के लिये बार-बार एक ही विषय पर चर्चा करना उचित होगा? क्या सरकार अपने बाल विधेयक में ही रूपभेद नहीं कर सकती? मैं इसके सम्बंध में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

---

*भारत के असाधारण गजट भाग दो, विभाग दो, दिनांक २४-८-५६ पृष्ठ..... में प्रकाशित।

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : श्रीमान, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूं। यह बिल औरतों और बच्चों की भलाई के लिये लाया गया है। अगर इस पर विचार होने दिया जाये तो क्या हर्ज हो जायेगा। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस पर विचार रोक दिया जाये और जो करप्शन (भ्रष्टाचार) हो रहा है उसे और बढ़ने दिया जाये। इस पर विचार होने में हर्ज क्या है, इसमें कानन के क्या खिलाफ है? माननीय सदस्य एक अच्छी चीज़ को रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक नियमों का सम्बंध है, उनमें ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी विषय पर चर्चा हो चुकी हो, तो फिर उस विषय पर दोबारा चर्चा होने से रोका जा सके। यह सच है कि हम इस विषय पर अब तीसरी या चौथी बार चर्चा कर रहे हैं। पर क्या किया जाये?

यदि हम हाल में ऐसा एक विधेयक पारित कर चुके हैं, तो उसी विषय पर चर्चा करने में समय क्यों व्यर्थ नष्ट किया जाये। लेकिन, इसे रोकने का कोई नियम नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस संबंध में कुछ कहें।

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : वह विधेयक पारित नहीं हुआ था। उसे वापिस ले लिया गया था। बाल विधेयक भी अभी विचाराधीन ही है। इसलिये, इस पर चर्चा की जानी चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, और इसमें शीघ्रता की भी आवश्यकता है।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची--पश्चिम--रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : पहले वाले विधेयक में महिला और बाल संस्थाओं के प्रश्न को अलग-अलग रखा गया था। इसमें दोनों को मिला दिया गया है। यह बिलकुल ही भिन्न चीज़ है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (गुड़गांव): और सरकार के उस आश्वासन का क्या हुआ कि इसी प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा?

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ-मध्य): पहले वाले बिल (विधेयक) से इसमें बहुत फर्क है।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भंटिडा) : ऐसा एक विधेयक राज्य-सभा पारित कर चुकी है, और वह लोक-सभा में अब आयेगा। उसमें ये सभी विषय सम्मिलित नहीं ह। हां लेकिन बाल विधेयक में ऐसे कुछ उपबन्ध रखे गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री क्या कहते हैं?

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : यह सच है कि सरकार ने ये दोनों विधेयक प्रणीत किये थे। उनमें से एक था--महिलाओं तथा बालिकाओं का अनैतिक पण्य विधेयक, १९५४ है, उसे दिसम्बर १९५४ में लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका क्या हुआ?

†**श्री विश्वास** : वह विचाराधीन है।

दूसरा विधेयक था--बाल विधेयक, १९५४ उसे राज्य-सभा न २८ अप्रैल, १९५४ को पारित किया था और वह इस लोक-सभा में अभी विचाराधीन है। यह स्थिति है।

स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन विधेयक में किसी हद तक वर्तमान विधेयक का विषय वस्तु का कुछ भाग भी आ जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्रियों के बारे में इसमें उपबन्ध हैं। श्रीमती कमलेन्दुमति शाह का विधेयक बच्चों के बारे में है। वह पूर्णरूप से उस में नहीं आता है। यही स्थिति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का क्या सुझाव है कि हमें क्या करना चाहिये ?

†**श्री विश्वास** : एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है और उसका निर्णय आपको करना है कि आप इस पर चर्चा करने की आज्ञा देंगे या नहीं। मैं इस विधेयक के प्रस्तावक से यह अपील करना चाहता हूं कि वह इस आश्वासन पर इसे वापस ले लें कि लम्बित विधेयकों को पारित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी। यह काम बहुत पहले ही किया जाना चाहिये था इसमें न जाने क्यों विलम्ब हो गया। सम्भव है कि इसका यह कारण है कि इसके सम्बन्ध में राज्यों की राय पूछी गई थी, बहुत से राज्यों ने अपनी राय व्यक्त कर दी हो परन्तु कुछ राज्यों ने अपनी राय अभी तक न बताई हो।

इस विधि को आखिर राज्यों को ही कार्यान्वित करना होगा। चाहे यह विधेयक पारित किया जाये चाहे सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक को पारित किया जाये परन्तु उन्हें कार्यान्वित राज्य सरकारों को ही करना होगा। अतः बहुत कुछ उन पर ही निर्भर करता है। बहुत से राज्यों ने अपनी राय भेज दी है। अधिकतर वे इस प्रकार के विधान का समर्थन करते हैं और कई राज्यों ने अपने राज्यों में ऐसे विधान बनाना आरम्भ भी कर दिया है। परन्तु एकरूपता दृष्टि से अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधान से एक केन्द्रीय विधान बनाना अधिक अच्छा होगा।

स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन विधेयक का मूल विषय संघ सूची में सम्मिलित है, परन्तु प्रारम्भ में ऐसा नहीं था और इसलिये केन्द्र इस विषय में विधान नहीं बना सकी थी। परन्तु १९५० में एक अभिसूचना पर हस्ताक्षर किये गये और उसका अनुसमर्थन किया गया और अब केन्द्रीय सरकार इस विषय में विधान बना सकती है। अब ऐसा कोई कारण नहीं कि केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी विधेयक को पारित न करे और इसे संविधि पुस्तक में सम्मिलित न करे।

जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है श्रीमती कमलेन्दुमति शाह का विधेयक सरकार द्वारा पुरः-स्थापित बाल विधेयक के क्षेत्र से बाहर है। इन दोनों में बहुत अन्तर है फिर भी जब भी बाल विधेयक पर विचार किया जायेगा तो यह विधेयक बिल्कुल अनावश्यक हो जायेगा। अब प्रस्तावक को निर्णय करना चाहिये कि उन्हें अब क्या करना उचित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन दोनों विधेयकों को लोक-सभा के समक्ष कब तक लाये जाने की आशा है ?

†**श्री विश्वास** : जहां तक विधि मंत्रालय का सम्बन्ध है, उसने विधेयक तैयार कर लिये है। उनकी प्रतियां मेरे पास हैं। सभा को ही इस बात का निर्णय करना होगा उसे इन पर चर्चा करने का कब समय मिलेगा।

†**श्री राधा रमण** : सभा के पास इतना अधिक कार्य है कि यह आशा नहीं की जा सकती कि यह विधेयक इस सत्र में लिये जा सकेंगे। क्योंकि इस विधेयक का क्षेत्र बाल विधेयक और दूसरे विधेयक से अधिक विस्तृत है इस लिये इस पर चर्चा जारी रहने दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस विधेयक के लिये आधे घंटे का समय रखा गया है और इतने समय में विचार प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं होगी।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : असल में बात यह है कि जो पेंडिंग बिल्स (निलम्बित विधेयक) हैं वे तो सम्भवतः एलेक्शन (चुनाव) के बाद आयेंगे इसलिये उनका टाइम (समय) भी इसको दे दिया जाय और इसको आने दिया जाय ताकि यह पास हो जाय। इसके अतिरिक्त इसमें और उसमें समानता भी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार हुक्म सिंह : अर्ज तो यह थी कि चूंकि तीन दफा इस पर बहस हो चुकी है और पांच घंटे से ज्यादा टाइम इस पर सर्फ हो चुका और २०, २५ मेम्बर्स भी बोल चुके हैं इसलिये कमेटी ने यह समझा कि इस पर डिटेल्ड डिसकशन की (विस्तारपूर्वक चर्चा) अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह आलरेडी (पहले ही) हो चुका है और इसलिये उन्होंने कहा था कि यह जो बिल पेंडिंग है इसको पास करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ आध घंटे का समय दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो इस मामले को किसी अन्य दिन के लिये स्थगित क्यों न कर दिया जाये ? इस बीच सरकार भी अपना निश्चय कर लेगी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति भी यह सोच लेगी कि इसे कितना समय दिया जाये।

विधेयक के सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है ?

†**श्री विश्वास :** हमें सभा के निर्णय के अनुसार चलना है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक कार्य भार को देखते हुये सरकार को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को अपनाना पड़ेगा ताकि उन्हें पारित किये जाने का अवसर मिल सके।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ढंग से प्राईवेट मैम्बर्स (गैर-सरकारी सदस्यों) के बिल पास ही नहीं होंगे।

†**श्रीमती जयश्री :** (बम्बई-उपनगर): मंत्री महोदय ने सुझाव दिया था कि बाल विधेयक और स्त्रियों के अनैतिक पण्य दमन विधेयक में कुछ खंड बढ़ा दिये जायें जिस से इन दोनों विधेयकों का प्रयोजन भी पूरा हो जाये। बम्बई बाल विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि जिन घरों में बालकों को रखा जाता है उनका समय समय पर निरीक्षण किया जा सकता है। मंत्री महोदय इस प्रकार के खंड इस लोक-सभा में पुरःस्थापित विधेयक में बढ़ा दिये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि लोक-सभा इस विधेयक के पक्ष में हो तो एक गैर-सरकारी दिन का सारा समय इस विधेयक को दे दिया जाये और यदि सभा को स्वीकार्य हो तो मैं सरकारी विधेयकों के भी इसी दिन प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा दे दूंगा।

एक और तरीका भी हो सकता है। वह यह कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये, सरकारी और गैर सरकारी सदस्य बैठ कर यह निर्णय कर ल कि क्या बढ़ाया जाना है। उस दिन मैं सरकारी कार्य के किये जाने की भी आज्ञा दे दूंगा। जब तक प्रवर समिति इस पर विचार करेगी तब तक सरकार अपने विधेयक भी प्रस्तुत कर देगी।

†**श्री जयपाल सिंह :** इस मामले में माननीय मंत्री हमें यह ग़लत सूचना दे रहे हैं कि सरकारी विधेयक में यह सभी कुछ आ जाता है। इस विधेयक का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

†**श्री विश्वास :** यदि आपकी अनुज्ञा हो तो मैं यह सुझाव दूं कि मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं कि मैं उन सदस्यों के साथ बैठ कर जिन्होंने इन विधेयकों की पूर्वसूचना दी है सरकारी विधेयकों और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की विषय वस्तु पर विचार करके कोई समझौता किया जाये। सम्भव है कि इस स इस विधयक को शीघ्र पारित करने में सहायता मिले। हम सब इसे शीघ्र पारित करना चाहते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** माननीय मंत्री ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और माननीय मंत्री भी उसके सदस्य हों ताकि वे इसे सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विधेयक आज ही प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और यह प्रस्ताव रखा जाये कि उन विधेयकों को भी उसी समिति को सौंपा जाये। उक्त समिति इन तीनों पर एक साथ विचार करे और बाद में यह निर्णय किया जा सकता है कि यहां किस विधेयक को लिया जाये। माननीय सदस्य प्रवर समिति के सदस्यों के नाम दे दें। विधेयक को प्रवर समिति के सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव कुछ समय प्रश्चात प्रस्तुत किया जा सकता है।

संविधान (छटी अनुसूची का संशोधन) विधेयक

†**श्रीमती खोंगमेन** (स्वायत्त जिले–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि भारत के संविधान की छटी अनुसूची में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा को विदित है कि भारत के संविधान की छटी अनुसूची आसाम के छः स्वायत्त जिलों के प्रशासन के लिये बनाई गई है। जैसा कि लोक-सभा को विदित है पांच जिलों में यह योजना गत चार वर्ष से चल रही है परन्तु नागा पहाड़ी जिले में इसे लागू नहीं किया गया है।

इस योजना के कार्यकरण के परिणाम स्वरूप इन पांच जिलों में बहुत से अच्छे कार्य किये गये हैं। यहां के लोक जनतन्त्रात्मक स्वायत्त शासन का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अनुभव प्राप्त होने पर यह जिला परिषदें और भी अच्छी प्रकार कार्य करेंगे। जिला परिषदों को चलाने वाले व्यक्तियों को प्राप्त हुए अनुभव से पता चलता है कि जिस उद्देश्य से यह विशेष उपबन्ध रखे गये थे उसकी पूर्ती के लियें इन में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। इन संशोधनों के सुझाव मैं ने अपने विधेयक में दिये हैं।

सब से पहला सुझाव यह है कि ज़िला परिषदों की सीमाओं में रूपभेद करने के लिये जिला परिषद की सम्मति प्राप्त की जानी चाहिये। दूसरे, उत्तर कछार पहाड़ियों और मिकिर पहाड़ी परिषद के उपबंधों में निर्वाचित सभापति की व्यवस्था की जानी चाहिये और वर्तमान वीटो अधिकार को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। भूमि के अर्जन और निबटारे के सम्बन्ध में मैं ने ज़िला परिषदों को अधिक शक्तियां प्रदान किये जाने का सुझाव दिया है। जिला परिषदों द्वारा पारित कोई विधान जब दूसरी बार राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा जाये तो उस पर अनुमति दी जानी चाहिये।

जिला परिषदों के लिये एक निश्चित आय की व्यवस्था करने और उनकी वित्तीय अवस्था में सुधार करने के लिये, जिस से वे इस अविकसित क्षेत्र का विकास कर सकें, मैं ने कुछ संविहित उपबन्धों का सुझाव दिया है।

मैं ने सुझाव दिया है कि आदिम जाति क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की खोज किये जाने के लाइसेंस जिला परिषदों की सम्मति के बिना न दिये जायें। आसाम उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन मामलों तक विस्तृत कर दिया जाये जिनका निर्णय जिला और ग्राम न्यायालय करते हैं, और कोई विधि जिला परिषद की सम्मति के बिना लागू न की जाये।

शिलंग का नगर-क्षेत्र सम्बन्धित ज़िला परिषद में सम्मिलित कर दिया जाये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान में उपबन्धित है कि स्वायत्तशासी प्रदेश में जिला परिषदों में कार्यसंचलन की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जायेगा। मेरा सुझाव है कि यह आयोग प्रतिवेदन देने से पूर्व जिला परिषद से परामर्श करे। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करके हमारी सहायता करे।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

†**श्री ले० जो० सिंह** (आन्तरिम मनीपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में एक अधिक विस्तृत विधेयक पुरःस्थापित करे। मेरा विचार है जब तक संविधान (नवें संशोधन) विधेयक पर विचार नहीं दिया जाता तब तक इस विधेयक को रोक लिया जाये। उसमें जिला परिषदों के प्रशासन का विस्तार में उल्लेख किया गया है।

प्रधान मंत्री ने कल घोषणा की थी कि वह स्वायत्तशासी जिला परिषदों को अधिक शक्तियां देना चाहते हैं। इन ज़िलों में बहुत से भाषाई वर्ग हैं।

जिला परिषदों को वित्तीय मामलों में पूरी शक्तियां नहीं दी गई हैं। सड़कों के निर्माण और कुओं और तालाबों की खुदाई की जाती है। इस कार्य को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। परन्तु छठी अनुसूची के उपबन्ध अपर्याप्त हैं क्योंकि वह परिषदों को धन का उपयोग करने के पर्याप्त अधिकार नहीं देते हैं। परिषदों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें अन्यथा वे विकास कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकेंगी।

नागा जिला में कोई जिला परिषद कार्य नहीं कर रही है और अन्य पांच जिला परिषदों को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमती खोंगमेन ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह विधेयक रखा है। आशा है कि लोक-सभा उन कठिनाइयों का अनुभव करेगी।

मेरा सुझाव है कि इस विधेयक पर संविधान (नवें संशोधन) विधेयक पर चर्चा होने के बाद विचार किया जाये। उस विधेयक में जिला परिषदों और आसाम में जिला स्वायत्त शासन की भावी व्यवस्था पर विचार किया जायेगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि प्रस्तावक ने जिस प्रयोजन से यह विधेयक रखा है उसे पूरा किया जाये ताकि जिला परिषदों की कठिनाइयां दूर हों।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभापति महोदय, मैं कठिनाई में पड़ गया हूं क्योंकि मुझे माननीय महिला सदस्या से जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है पूर्ण सहानुभूति है और मैं उनके उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि एक ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पहले से ही हमारे ध्यान में है और जिसके लिये हम कुछ करना चाहते हैं, संविधान में थोड़ा थोड़ा करके संशोधन करना ठीक नहीं होगा।

कल ही हम लोक-सभा में नागा पहाड़ी जिले की समस्या पर विचार कर रहे थे। माननीय महिला सदस्या के विधेयक का छठी अनुसूची और वहां के बहुत से स्वायत्तशासी जिलों पर प्रभाव पड़ेगा। मेरे मन में इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि छठी अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिये। यह किस तरह किया जाना चाहिये यह मैं ठीक से नहीं बता सकता। वास्तव में राज्य पुनर्गठन आयोग के इस प्रतिवेदन में, इन मामलों के बारे में एक त्रुटि और कमी है। मैं यह नहीं समझता कि यह त्रुटि जान बूझ कर की गई है और उन्होंने जान बूझ कर इस मामले को नहीं लिया था। किन्तु जहां तक मैं जानता हूं अन्त में आयोग ने शीघ्रता की ओर वह एक निश्चित स्थिति तक, जिस तक उसने वायदा किया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता था और वह शीघ्रता से इस मामले का निपटारा नहीं करना चाहता था। तथापि इस मामले पर आयोग ने पूरी तरह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विचार नहीं किया है, जितनी कि हमें आशा थी, हालांकि यह उस बड़ी समस्या का एक भाग है अतः हमें इस विशाल दृष्टिकोण से इस पर विचार करना होगा और अधिक विशेष रूप से छठी अनुसूची पर विचार करना होगा।

मैं सभा से और माननीया सदस्या से निवेदन करूंगा कि यदि हम इस बेतरतीबे ढंग से कार्य करते रहे तो इस विस्तृत दृष्टिकोण को हानि पहुंचेगी। मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि इस विधेयक में दिये गये कुछ सुझाव किसी व्यापक दृष्टिकोण से मेल खायेंगे भी या नहीं। हो सकता है कि उन में से कुछ मेल खा जायें, हो सकता है कुछ अन्य परिवर्तनों और संशोधनों के सुझाव आयें। इसलिये, जैसा कि मैं ने कहा, मेरे सामने यह कठिनाई है, वैसे मुझे उनके व्यापक उद्देश्य से पूरी सहानुभूति है। किन्तु मैं संविधान में इस बेतरतीब ढंग से, संशोधन किये जाने की बात का समर्थन करने में असमर्थ हूं जो एक गंभीर मामला है।

†**श्रीमती खोंगमेन** : चूंकि प्रधान मंत्री ने सहानुभूति प्रकट की है और इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, अतः मैं अपने विधेयक को वापिस लेना चाहती हूं।

विधेयक सदन की अनुमति से, वापस लिया गया।

दंड विधि संशोधन विधेयक

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** (ज़िला पीलीभत व ज़िला बेरली-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मृत्युदंड उन्मूलन का उपबंध करने के हेतु भारतीय दंड संहिता, १८६० और दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मैं आशा करता हूं कि सभा भावावेशसे मुक्त होकर इसके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय करेगी।

श्री दातार ने २१ अप्रैल, १९५६ को सभा में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग ९००० हत्याएं होती हैं, और ऐसी अवस्था में मृत्यु दंड को समाप्त करना संभव नही है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री को इस विधेयक का पता था, इसलिये उनको यह बात कहनी उचित नही थी।

संसार के अनेक देशों में मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया है या इसका प्रयोग नही किया जाता है और कुछ राज्यों में कई कई वर्ष बन्द रहने के बाद इसे फिर से जारी किया गया हैं। अमरीका मे मृत्यु दंड के समाप्त किये जाने की दिशा में हो रही धीमी प्रगति का कारण उन राज्यों पर पड़ रहा इंगलिस्तान का प्रभाव है।

इंगलैंड की दंड विधान नीति पर अभी तक धनिक वर्ग का ही प्रभुत्व था और वह दंड विधी में कोई सुधार करना नहीं चाहते थे। अमरीका में दंड विधि पर विधि जीवियों का प्रभाव है जो कि इंगलिस्तान की विधि तथा प्रक्रिया से पूर्णतया प्रभावित है। जिन देशों में मृत्यु दंड है, वहां ज्यूरी के निर्णयों ने विधि को शून्य कर दिया था।

इस संबंध में इंगलैंड में १९४९ में एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसने इंग्लैंड अमेरिका और दूसरे देशों में जांच करने के उपरांत यह निर्णय दिये कि जहां मृत्यु दंड समाप्त किया गया था, वहां इस दंड को फिर से इस लिये जारी किया गया क्योंकि कुछ दुखद घटनाएं हो गई थी और उनसे जनता आवेश में आ गई थी तथा विधान मंडलों ने मृत्यू दंड को फिर से जारी कर दिया था। परन्तु बाद के वर्षों में हत्याओं की संख्या से यह पता चला कि इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। अर्थात् इस दंड के उन्मूलन से हत्याओं की संख्या मे कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंग्लैंड में चोरी आदि जैसे छोटे-छोटे अपराधों के लिये भी मृत्युदंड दिया जाता था। रायल कमीशन के पांच सदस्यों ने मृत्यु दंड के उन्मूलन की सिफारिश की थी, और सब सदस्यों ने यह सिफारिश भी की कि प्रत्येक मामले में मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिये।

कई अधिनियमों के द्वारा खुले आम फांसी का दंड देना बन्द कर दिया गया और गृहसचिव द्वारा लोगों को क्षमा दान दिया जाने लगा। इस प्रकार मृत्यु दंड बहुत ही कम हो गया है।

सन् १८६६ और १९४९ के बीच कई संसदीय समितियों और रायल कमीशनों ने पांच वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिये मृत्यु दंड के बन्द कर दिये जाने की सिफारिशें कीं।

सन् १९४८ में श्री सिडनी सिल्वरमैन ने पांच वर्ष के लिये मृत्यु दंड के बन्द कर दिये जाने का प्रस्ताव रखा जिसे हाउस आफ लार्डस ने स्वीकार नहीं किया। फिर रायल कमीशन ने मृत्यु दंड की संख्या घटाने की सिफारीश करते हुये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उस समय भी इस दण्ड के उन्मूलन का प्रयत्न किया गया परन्तु सफलता नहीं मिली। पुनः श्री सिडनी सिल्वरमैन ने एक खंडीय विधेयक रखा, जो स्वीकृत नहीं हुआ। सन् १९५६ में सरकार ने एक संकल्प रखा, जिस पर श्री ईड ने एक संशोधन रखा। वह स्वीकार हो गया और हाउस आफ़ कामन्स ने निर्णय किया कि मृत्यु दंड निलम्बित कर दिया जाएगा। सरकार ने इस निर्णय को मानने और इसके हेतु किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा इस आशय का विधेयक पुरःस्थापित कराने का वचन दिया।

श्री सिडनी सिल्वर मैन ने मृत्यु दंड की समाप्ति का उपबंध करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित किया और वह सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, किन्तु हाउस आंफ लार्डस ने उसे रद्द कर दिया। लार्डस एक वर्ष तक इसे रोक सकता हैं, परन्तु उसके बाद तो यह विधेयक समूची ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर ही दिया जाएगा। पोलैंड और श्रीलंका में भी मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया है। श्री एस० एन० हवैन्स ने अपने प्रधान मंत्री का उपहास करते हुये यहां तक कह दिया है कि पण्डित नेहरू संसार में मानवता के पुजारी होने के नाते प्रसिद्ध हैं, परन्तु उन्होंने भी मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया है।

हमारे गृहकार्य मंत्री ने इसी सभा में पिछले सत्र में कहा था कि भारत में संसार के अन्य देशों की अपेक्षा हस्तक्षेप अपराधों की संख्या बहुत कम है। फिर क्या कारण है कि भगवान महावीर, बुद्ध और महात्मा गांधी के देश में, लोगों को मृत्यु दंड देने की विधि को जारी रखा जाये जब कि जर्मनी ने इस दंड को १९४८ में समाप्त कर दिया है और उसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ा है।

निस्सन्देह मृत्यु दण्ड भयोत्पादक है, परन्तु हमें देखना है कि क्या इसे हटा कर इसके स्थान पर और कोई ऐसा दण्ड नहीं रखा जा सकता है जो कि इतना ही भयोत्पादक हो। जिन लोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, उन सभी का यह मत है कि आजीवन कारावास दंड भी इतना ही भयोत्पादक है। डा० जुंग का मत है कि यह भयोत्पादक नहीं है, बल्कि इससे हत्या के लिये प्रोत्साहन मिलता है। अन्य मनोवैज्ञानिकों का भी यही मत है।

हाउस आफ़ कामन्स की प्रवर समिति ने १८३६ में यह प्रतिवेदन दिया कि एक ही अपराध के लिये दण्डित व्यक्तियों में से कुछ एक को मृत्यु दण्ड देने का यह परिणाम होता है कि अपराधियों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः यह कहना गलत है कि मृत्यु दण्ड भयोत्पादक हैं। इंगलैंड में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि खुले आम फांसी का दंड देने से लोगों को हत्या करने को प्रोत्साहन मिला है। अतः इस तर्क में कोई सार नहीं है कि खुले आम फांसी लगती देख कर लोग अपराध करने से संकोच करते हैं।

दण्ड सख्त होना चाहिये, परन्तु अत्यन्त सख्त और कठोर नहीं होना चाहिये। इससे दण्ड का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इंगलैंड में सहस्रों को फांसियां दी गईं परन्तु वहां अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई।

[श्री मु० ला० अग्रवाल]

मृत्युदण्ड सब को नहीं दिया जाना है। स्त्रियां इस से मुक्त हैं, मारने का प्रयत्न करने में असफल रहने वाले व्यक्ति और सड़क पर हत्या कर देने वाले ड्राइवरों को मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता है, हालांकि कि वे भी उतने ही खतरनाक होते हैं। अतः इस दण्ड का उतना प्रभाव नहीं रहता है, जितना मृत्युदण्ड का होना चाहिये।

यदि सभी अपराधियों को फांसी दी जाए, तब तो इसका भयोत्पादक प्रभाव होता है, परन्तु ऐसा नहीं होता है। जब छोटे अपराधों के लिये फांसी दी जाती थी तो लोगों ने हत्या करना उचित समझा था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शायद ज्यूरी उन्हें मृत्यु दण्ड न दे। यदि मृत्यु दण्ड भयोत्पादक होता, तो प्रति वर्ष इतनी हत्याएं न होतीं। हत्या करने वाले हत्या करने से अवश्य झिझकते। अतः इस दण्ड को भयोत्पादक कहना गलत है।

यदि मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया जाए तो अधिकतर लोग फिर भी हत्या नहीं करेंगे। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो स्वार्थ के लिये हत्या करते हैं। अधिकतर लोग आवेश में आकर हत्या करते हैं। ऐसी मनोस्थिति में वे लोग हत्या का परिणाम नहीं सोच सकते। होता यह है कि इन में से अधिकतर हत्यारे पकड़े ही नहीं जाते हैं। उनमें से कुछ छट जाते हैं और बहुत थोड़ों को ही फांसी दी जाती है। इन थोड़े से लोगों के लिये यह दण्ड जारी रखना देश के लिये अच्छा नहीं है।

कहा जाता है कि मृत्यु का भय लोगों को हत्या करने से रोकना है। मृत्य का भय आसन्न होना चाहिये, किसी अनिश्चित समय मृत्यु होगी इसी लिये तो लोग मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वह सोचते हैं कि वह बच भी सकते हैं।

यह भी कहा जाता है कि लोग अनावश्यक रूप से मृत्यु को आमंत्रण नहीं देते हैं। परन्तु देखा जाता है कि लोग किसी आदर्श के लिये या देश भक्ति की भावना से प्रेरित होकर मृत्यु की तनिक भी परवा नहीं करते हैं। मृत्यु कोई ऐसी डरावनी चीज़ नहीं है।

मृत्यु दण्ड को भयोत्पादक कहा जाता है। परन्तु जहां यह दण्ड समाप्त कर दिया गया है वहां की हत्या संबंधी सांख्यकी से प्रकट होता है कि इस दण्ड के समाप्त किये जाने के पश्चात हत्याओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः यह तर्क ठीक नहीं है।

रायल कमीशन के प्रधान सर अरनैस्ट गायर का भी यही मत है कि मृत्यु दण्ड को समाप्त करने का यह परिणाम कभी नहीं होता है कि हत्याओं की संख्या बढ़ जाए। सन् १९४८ में बेत मारने का दण्ड समाप्त कर दिया गया था, जिस का परिणाम यह हुआ था कि उस प्रकार के अपराधों की संख्या में कमी हो गई थी। कोड़े मारने के दण्ड के उन्मूलन का भी यही प्रभाव हुआ था।

इंग्लैंड में पहले २२२ अपराधों के लिये मृत्यु दण्ड दिया जाता था और इस के समाप्त किये जाने पर सम्पत्ति तथा जीवन की अरक्षा का भय था परन्तु इस दण्ड के उन्मूलन से यह डर सर्वथा दूर हो गया।

यदि हम यह मानें कि हत्या का मूल कारण आवेश होता है, तो यह आवेश सभी देशों के लोगों में एक जैसा ही होता है। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता कि भारत में इस दण्ड को समाप्त करने का परिणाम अन्य देशों से भिन्न होगा। यहां यदि सांख्यकी एकत्र की जाए तो यही अनुभव प्राप्त होगा।

इस से यह सिद्ध होता है कि जब हत्याओं की संख्या वही रहती है तो चाहे मृत्यु दण्ड का विधान हो या न हो, मृत्यु दण्ड के समाप्त कर दिये जाने का कोई बुरा प्रभाव या परिणाम नहीं होगा। यह निश्चित सत्य है। अतः मृत्यु दण्ड भयोत्पादक नहीं है। इसका दूसरे लोगों पर केवल इतना ही

प्रभाव होता है कि उनकी बुरी भावनायें प्रकट नहीं हो पाती हैं, अपितु वे दूसरे ढंग से अपना कार्य करती रहती हैं। हमारा वास्तविक उद्देश्य यह होना चाहिये कि अपराध करने की भावना को नष्ट किया जाये। इस दण्ड से यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

भयोत्पादन के अतिरिक्त विमुक्ति या समाज स्वास्थ्य का तर्क, विवरण का सिद्धान्त और परिशोध के सिद्धान्त के आधार पर मृत्यु दण्ड का समर्थन किया जाता है। पहले सिद्धान्त के बारे में मैं कहूंगा कि हम अपने समाज के सभी बुरे लोगों को निकाल नहीं सकते। इस सिद्धान्त के अनुसार तो अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी नष्ट कर देना होगा जो ऐसे रोगों के शिकार हैं, जिन का इलाज नहीं हो सकता। हम उनके लिये आश्रमों में व्यवस्था करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मैं मानता हूं मृत्यु दण्ड निवारक है, क्योंकि मरने के बाद वह व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। परन्तु कमीशन का यह विचार है कि वे हत्यारे भी अच्छे लोग होते हैं और उनमें से बहुतसों को मृत्यु दंड मिलने के बाद इस दंड का दिया जाना रोक दिया जाता है।

इंगलिस्तान के भूतपूर्व गृह-सचिव, श्री ईडे ने भी इसी बात का समर्थन किया है। और हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी २८ मई, १९५६ को लोक-सभा में इस विषय पर भाषण देते हुये प्राण दण्ड का विरोध किया था।

मेरा यह निवेदन है कि यह प्राण दण्ड प्रथा न तो 'अपराध-समाप्ति सिद्धान्त' के अनुसार उचित है और न ही 'अपराध-निवारण सिद्धान्त' के अनुसार उचित है। 'प्रतिफल सिद्धान्त' आजकल समाप्त होता जा रहा है। वह अवैज्ञानिक तथा अमानवीय है और आज के युग में न्यायोचित नहीं समझा जाता। इसलिये प्राण दण्ड प्रथा को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाये।

इसमें एक और विचारणीय बात भी है। मान लो कोई हत्या का मामला है। अभियोग प्रारम्भ होता है ; दोनों ओर से साक्ष्य दिये जाते हैं। न्यायाधीश दोनों साक्ष्यों की तुलना करके उन्हीं के आधार पर अपना एक निर्णय दे देता है। क्या इस प्रकार का कोई निर्णय पूर्णरूपेण न्याय-पूर्ण, सत्य और निश्चित हो सकता है? और फिर कई मामलों में तो निरापराधी व्यक्तियों को ही प्रायः दण्ड मिल जाता है। इस प्रकार की कई गलतियां हो जाती हैं। इंगलैंड जो कि न्याय पालन के विषय में अत्यधिक उन्नत देश हैं, वहां भी ऐसे कई मामलों का उल्लेख मिलता हैं जिन में निरापराधियों को ही फांसी दे दी गयी थी।

केवल इंगलैंड में ही नहीं, अमरीका, जर्मनी, हंगरी, हालैंड, आस्ट्रिया तथा अन्य देशों में भी इस प्रकार के कई मामले हैं जिनमें निर्दोष लोगों को फांसी दे दी गयी है।

श्री पैगेट ने हाऊस आफ़ कामन्स में एक बड़े रुचिकर मामले का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अमरीका में एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में दो अलग-अलग नगरों के दो अलग अलग व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और उन दोनों को दोषी ठहराया गया, जब कि सभी लोग जानते थे कि हत्यारा केवल एक ही व्यक्ति है। तो इस प्रकार से कई बार अजीब गलतियां हो जाती हैं।

श्री सैमूल ने भी प्रवर समिति में इस विषय पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट किया था कि यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि आजतक किसी भी निर्दोष व्यक्ति को प्राण दण्ड नहीं मिला है और न हो भविष्य के लिये यह कहा जा सकता है कि आगे ऐसा न होगा।

प्राण दण्ड प्रथा हमारी उलटी धारणाओं तथा ग़लत परम्पराओं पर आधारित है। वह समय अब बीत गया है जो कि हत्या के अपराधी पर बड़े भयंकर दण्ड दिये जाते थे, पत्थर मार मार कर उसे मार दिया जाता था, पहाड़ी की चोटियों से गिरा दिया जाता था, और उसे भूमि पर घसीटा जाता था। आज उन बातों की याद आते ही हमारा हृदय कांप उठता है।

[श्री मु० ला० अग्रवाल]

परन्तु इस प्रकार की विधि को सुधारने के लिये जब भी प्रयत्न किया गया, उसका विरोध हुआ। १९१३ में सर विलियम गर्रे ने इसके सुधार का विरोध किया। १९३२ में सर रावर्ट पील ने सुधार का विरोध किया। लार्ड एलनवर्ग ने भी विरोध करते हुये स्पष्ट कहा था कि दण्ड विधान के बिना राज्य का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से जब भी प्राण-दण्ड विधान को समाप्त करने का प्रश्न आया, कई लोगोंने उसका विरोध किया। वे उस विधि के कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते। परन्तु बीस वर्ष बाद वे स्वयं अनुभव करेंगे कि उनका निर्णय ठीक नहीं था।

और फिर प्राण दण्ड देना समाज में एक नीच कार्य माना जाता है। दण्ड देने वाले जल्लाद समाज में हेय समझे जाते है, ऊंचे कुल का कोई भी व्यक्ति उनसे सम्बन्ध रखना अपने लिये अपमान जनक समझता हैं।

प्राण दण्ड मिलने से पूर्व व्यक्ति विशेष के सम्बन्धियों की दशा इतनी भयंकर होती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इससे उन व्यक्तियों का दुख तो कम नहीं होता जिनका संबंधी मारा गया था परन्तु इससे उन व्यक्तियों का दुःख अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है जिनके सम्बन्धी को प्राण दण्ड दिया जाने वाला हो। विशेषकर उसकी मां की स्थिति दयनीय हो जाती है।

महाभारत में एक प्रसंग आता है कि सत्यवान और उसके पिता राजा द्युमतसेन में जब प्राण दण्ड विधान समाप्त करने का प्रश्न आता है तो सत्यवान ने बड़े जोरदार शब्दों में इसका समर्थन करते हुये यह कहा था कि व्यक्ति को प्राण दण्ड दे देने से व्यक्ति के सुधार के सभी अवसर समाप्त हो जाते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि प्राण दण्ड विधान को इस देश से समाप्त कर दिया जाये।

अपराधियों को प्राण दण्ड देने की बजाय उनके सुधार का प्रयत्न करना अधिक श्रेयस्कर है। १९४८ में आर्चविशप आफ़ कांटरबरी ने कहा था कि चर्च में विशेष कर और शेष स्थानों पर सामान्यतया दोषियों को प्राण दण्ड न देकर उनके सुधार का प्रयत्न करना चाहिये। भूतपूर्व आर्चबिशप टैम्पल ने भी प्राण दण्ड का विरोध करते हुये यह कहा था कि हम प्राण दण्ड को जितना अधिक लागू करेंगे, संसार में उतनी ही हत्या यें बढ़ती जायेंगी। इंगलैण्ड की श्रमवादी सरकार के गृह-सचिव, श्री ईडे ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि हमें उस पुराने सिद्धान्त को छोड़ देना चाहिये जिसमें कहा गया था कि जैसे के साथ तैसा ही व्यवहार किया जाये और पूरा पूरा बदला लिया जाये।

रोम में ४५० ईसा पूर्व प्राणदण्ड को समाप्त कर दिया गया था। लगभग ५०० वर्ष बाद जब उसे दो बारा लागू करने का प्रयत्न किया गया, तो असेसरों ने उसका घोर विरोध किया था। प्रोफैसर हेनटिक ने भी प्राणदण्ड विधान का विरोध करते हुये यह मांग की है कि उसे समाप्त कर दिया जाये, उससे कई निर्दोषी व्यक्ति मारे जाते है, वह अमानवीय है। श्री मैक्स ग्रुनहूल ने भी इसी बात का समर्थन किया है।

अतः प्राणदण्ड एक भयंकर प्रथा है और जो लोग उसके पक्ष में है वे अन्याय के उत्तरदायी हैं। एक ओर तो वे कहते हैं कि मारना पाप है और दूसरी ओर वे स्वयं हत्यारे को मारना चाहते हैं। अतः उनका तर्क निराधार है।

सर अर्नेस्ट गोवर पहले प्राण-दण्ड विधि के पक्ष में थे, परन्तु बाद में उनका मत बदल गया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है "ए लाइफ़ फार ए लाइफ़"। वे रायल आयोग के सभापति बने और उन्होने प्राण दण्ड का घोर विरोध किया? और इस बात पर बल दिया है कि हमें बदला लेने की भावना को छोड़कर प्रेम और क्षमा के सिद्धान्त को अपनाना चाहिये।

अमरीका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री फ्रैंक फर्टर ने भी इसके सम्बन्ध में अपनी राय बताते हुये स्पष्टतया कहा ह कि वह हत्या आदि के बदले में प्राणदण्ड देने की प्रथा के पूर्णरूपेण विरोधी हैं, क्योंकि वह अवैज्ञानिक तथा अमावनीय है। मुकदमे में किसी के जीवन मरण के प्रश्न से एक सनसनी सी बनी रहती ह जिसका प्रभाव बहुत बुरा है तथा जिससे अपराध को रोकने में कोइ सहायता नहीं मिलती।

जहां तक भारतीय विद्वानों के मत का सम्बन्ध है, उन्होंने भी प्राण दण्ड प्रथा का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बोलते हुए प्राणदण्ड को समाप्त कर देने का समर्थन किया है।

लोक-सभा के भूतपूर्व स्वर्गीय अध्यक्ष श्री मावलकर ने जून १९५४ में प्राण दण्ड का प्रबल विरोध किया था और फिर उनकी राय को भारत के महा अभ्यर्थी द्वारा और समर्थन किया गया था। महा अभ्यर्थी के मतानुसार प्राणदण्ड कभी भी भयोत्पादक सिद्ध नहीं हुआ। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' पत्र ने भी इसी बात का समर्थन किया था और मेरा ख्याल है कि डा० काटजू की यही राय होगी।

जहां तक गांधी जी की राय का सम्बन्ध है, उन्होंने भी १९ मार्च १९३७ को 'हरिजन' पत्रिका में स्पष्टतया लिखा है कि प्राण दण्ड प्रथा अहिंसा के सिद्धान्त के विरुद्ध है, अतः उसे समाप्त कर देना चाहिये।

इसलिये मेरा यह सुदृढ़ तथा प्रबल मत है कि प्राण दंड प्रथा आज के युग में एक प्रतिक्रिया-वादी प्रथा है और उसको समाप्त करने पर ही सभ्यता तथा मानवता प्रगति कर सकेगी।

हमारे गृह-कार्य मंत्री जी ने 'कशाघात प्रथा' को समाप्त करते हुए यह कहा था कि कशाघात के द्वारा दण्ड देने की प्रथा बर्बर तथा अमावनीय है, अतः उसे समाप्त कर दिया जाये। मुझे आशा है कि गृह कार्य मंत्री जी उसी आधार पर प्राण दण्ड प्रथा को भी समाप्त करने की ओर पूरा ध्यान देंगे। इसे समाप्त करने से भारत की नैतिक तथा आध्यात्मिक कीर्ति बहुत अधिक बढ़ जायेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

इस समय तो मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। जब गृह कार्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपना भाषण दे देंगे तो उसके बाद यदि कई बात हुई तो उसका मैं उत्तर दूंगा। उन शब्दो के साथ मैं पुनः निवेदन करता कि मेरे इस प्रस्ताव की स्वीकार कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिस के सदस्य हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति शाह, श्रीमती जयश्री रायजी, श्रीमती उमा नेहरू, श्री बी. राम चन्द्र रेड्डी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, श्री अ. म. थामस, श्री जयपाल सिंह, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, श्री फूल सिंहजी भ. डामी, श्रीमती अनुसूया बाई भावराव बोरकर, श्रीमती मिनीमाता, श्री दीवान शन्द्र शर्मा, पंडित चतुर नारायण मालवीय, श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री मोहन लाल सेक्सेना, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, श्रीमती सुषमा सेन, श्री राधा रमण, श्री रघुवीर सहाय, श्री भक्त दर्शन तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव हों और उसे १० सितम्बर, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैंने इस सूची में श्री विश्वास तथा श्री क० ला० श्रीमाली का नाम सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि उनका सम्बन्ध राज्य सभा से हैं, परन्तु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि वे इस समिति में हमारी पूरी सहायता करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि श्री दातार और श्री म० मो० दास के नाम सम्मिलित कर लिये जायें तो माननीय सदस्य को कोई आपत्ति न होगी ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जी हां, उनके नाम सम्मिलित किये जा सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिस के सदस्य हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दु मति शाह, श्रीमती जयश्री रायजी, श्रीमती उमा नेहरु, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, श्री अ०म० थामस, श्री जयपाल सिंह, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री फूल सिंहजी भ० डामी, श्रीमती अनुसूया बाई भावराव बोरकर, श्रीमती मिनी माता, श्री दीवान चन्द शर्मा, पंडित चतुर नारायण मालवीय, श्री मुकुन्द लाल आग्रवल, श्री मोहन लाल मेक्सेना, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, श्रीमती सुषमा सेन, श्री राधा रमण, श्री रघुवीर सहाय, श्री भक्त दर्शन, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री दातार, तथा डा० मनो मोहन दास हों और उसे १० सितम्बर १९५६ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दंड विधि संशोधन विधेयक---जारी

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : इस विधेयक के लिये केवल तीन घंटे ही निर्धारित किये गये हैं, जिनमें से एक घण्टा तो व्यतीत हो चुका है। अतः निवेदन है कि इसका समय कुछ बढ़ा दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम पहले चर्चा तो प्रारम्भ करें, उसके बारे में हम बाद में विचार कर लेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक ने इस समस्या का जो अत्यन्त विस्तृत सर्वेक्षण किया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने अपने तर्क और तथ्य और आंकड़े और दर्शन तथा सामाजिक दृष्टिकोण का जिस देश में हम रह रहे हैं, सम्बन्ध स्थापित किया है ? जब मैं अपने से यह प्रश्न पूछता हूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने अन्य देशो तथा अन्य परिस्थितियों की चर्चा की है और इस देश की परिस्थितियों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। इस लिये मैं सोचता हूं कि यूरोप के किसी देश के लिये या अमेरिका के लिये जो बात अच्छी हो, यह आवश्यक नहीं कि वह हमारे देश के लिए भी अच्छी हो।

कुछ देशों में प्राण दण्ड का बन्द कर दिया गया है। वे छोटे छोटे देश हैं। और मैं कह नहीं सकता कि वहां क्यों ऐसा किया गया है। जैसा कि प्रस्तावक ने कहा है, हमें देश में सामाजिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना है। वे क्या हैं ? विधेयक के माननीय प्रस्तावक ने कहा है कि एक सभ्य समाज के हितों में यह अपेक्षित है कि हम प्राण दण्ड बन्द करें। यह 'सभ्य' शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है ? क्या जिस संदर्भ में मसोलिनी ने

---

†मूल अंग्रेजी में

इसे प्रयोग किया था ? जब वह एबीसीनिया पर आक्रमण करना चाहता था तो उसने कहा था हम एबीसीनिया को सभ्य बनायेंगे'। हम विज्ञान तथा प्रविधिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, क्या इस संदर्भ में इसे प्रयोग किया गया है ? मैं अपने माननीय मित्र से पूछता हूं कि समाज की बात सोचते समय उन्होंने किस कसौटी को अपने सामने रखा था। मेरे विचार में उन्होंने भारतीय समाज की अपेक्षा सामान्य समाज की चर्चा की है। मैं यह नहीं कहता कि भारत सभ्य देश नहीं है। हमें अपनी सभ्यता पर गर्व है। परन्तु जिस सामाजिक ढांचे में हम आज रह रहे हैं, सभ्यता उस से बिल्कुल विभिन्न वस्तु है। सामाजिक ढांचा, सभ्यता का एक छोटा सा भाग हो सकता है, परन्तु इस सारी समस्या पर, जिस सामाजिक वातावरण में हम आज रह रहे हैं, उसे सामने रखते हुये विचार करना होगा।

कुछ दिन हुए मैं ने दिल्ली पुलिस के महानिरीक्षक का एक प्रतिवेदन पढ़ा था कि इतनी चोरीयां हुई, इतनी हत्यायें हुई और इतने दंगे फिसाद हुये। हमारे सामाजिक ढांचे का यह एक पहलू है। जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद सभी प्रकार के अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

इस लिये जब मैं इस पर भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के दृष्तिकोण से भी विचार करता हूं तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हमारा समाज अभी परिपूर्णता के उस स्तर तक नहीं पहुंच सका है कि जहां आप मृत्यु दण्ड का उत्सादन कर सकें।

इस विधेयक में इतने खण्ड तथा उपखण्ड हैं और उनमें सिवाय 'विलोप', 'विलोप' शब्द के कुछ नहीं है। मेरा यह मत है कि अभी इस विधेयक के लिये उचित समय नहीं है, मृत्यु दण्ड तभी उत्सादित किया जा सकता है जब हम सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्तों पर दृढता से कायम रहें। यदि हम ऐसे समाज में रहें जहां हिंसा न हो, प्रतियोगिता न हो, शोषण न हो तब मृत्युदण्ड स्वयं ही उत्सादित हो जाएगा मेरे विचार में हमें इस दिशा में अग्रेसर होना होगा।

मुझे माननीय प्रस्तावक के उस तर्क में कोई तुक दिखाई नहीं दिया कि हमें कशाघात का उत्सादन करने से प्राण दण्ड बन्द करने तक कार्यवाही करनी चाहिये। निःसन्देह हमने कशाघात का उत्सादन इस लिये किया है कि यह एक प्रकार का जंगलीपन है। परन्तु यह तर्क अधिक युक्ति-युक्त नहीं है कि प्राण दण्ड का भी इसी आधार पर उत्साहन करना चाहियें।

अपराधी दो प्रकार के होते हैं। एक समय था जब इंगलिस्तान में केवल ६ पैन्स की वस्तु चुराने पर भी फांसी दे दी जाती थी। हमने प्रगति की और इस का परित्याग किया। परन्तु दण्ड कई उद्देश्यों से दिया जाता है। मेरे मित्र ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि दण्ड, भयोत्पादक की हो। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में बहुत से व्यक्ति प्राणदण्ड के भय के कारण ही हत्या नहीं करते हैं। यदि आप प्राण दण्ड बन्द कर देते हैं तो हत्यायों की संख्या बढ़ जायेगी, बिना किसी भय, तथा हिचक के लोगों हत्यायें करेंगे। मेरे विचार में विकास के अपने वर्तमान प्रक्रम में हमारे समाज का यह दर्शन नहीं हो सकता है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार का दण्ड न केवल बण्ड पाने वाले व्यक्ति के लिये ही दण्ड है बल्कि उसके पीछे जीवित रहने वाले संबंधियों के लिये भी यह एक दण्ड है। परन्तु हमें दण्ड के व्यक्तिगत पहलू और सामाजिक पहलू दोनों पर ही विचार करना होगा। वास्तव में कई बार बहुत से व्यक्ति इस कारण अपराध करने से रुके रहे हैं कि उन्होंने अपराध के सामाजिक परिणामों पर विचार किया। यदि वे केवल अपना ही ख्याल करते तो अपराध कर बैठते। इस लिये मेरे विचार में हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों को लाना है जिस में कि हत्या, बेकार की बात हो, जहां कोई व्यक्ति हत्या न करे, जहां कोई भी व्यक्ति कोई बुरा कार्य न करे, हमें लोगों की शिक्षा के लिये और लोगों के सामाजिक न्याय के विकास के लिये कार्य करना होगा। हमें ऐसे समाज की रचना करनी है जिस में किसी के मन में हत्या करने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। परन्तु यह सोचना कि आप प्राण दण्ड बन्द करके कोई बड़ा काम कर रहे हैं, सोचने का ठीक ढंग नहीं है।

[श्री दी० चं० शर्मा]

मेरे विचार में यदि मानवोचित भावनायें सामाजिक परिस्थिति की आवश्यकताओं पर प्रभावी हो जाय तो इस से विनाश ही होगा। इस लिये ये भावनायें एक सीमा विशेष तक ही उचित हैं। इस लिये मैं यह कहूंगा कि भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व के सामाजिक विकास के दृष्टि-कोण से प्राण दण्ड के उत्सादन की आवश्यकता नहीं है।

श्री जांगड़े :(विलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मुझे ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य के मन में यह बात बैठी हुई है कि मृत्यु-दंड के उन्मूलन से अपराधियों को सुधरने का मौका मिलेगा, क्योंकि वे किसी विशेष मनोदशा या मनःस्थिति में किसी विशेष परिस्थिति या वातावरण के वश में हो कर, जो कि उन के वश के बाहर हो, और भावों की उत्तेजना में कोई दुष्कृत्य या जघन्य अपराध कर बैठते हैं। उन के विचार में अगर ऐसे अपराधियों को सुधरने का और फिर से मानव बनने का मौका दिया जाय, तो वे दोबारा समाज के सम्मानित और उपयोगी अंग बन सकते हैं। माननीय सदस्य शायद यह समझते हैं कि आज के सभ्य जगत में—आज के सभ्य वातावरण में अगर मृत्यु-दंड को कायम रखा जाय, तो वह सभ्यता के विपरीत और समाज और मानव के लिये घातक और कलंक का कारण है।

माननीय सदस्य की शायद यह भी धारणा हो सकती है कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति इस दण्ड के शिकार होते हैं और ऐसा करना न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वह यह भी कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसे आदमियों को मृत्यु-दंड दे दिया जाता है, जिन्होंने अपराध किया ही नहीं। मैं आज-कल के व्यवहार और आज-कल की परिस्थितियों को देखते हुये अपनी धारणा इस बिल के प्रस्तावक महोदय की धारणा से विपरीत पाता हूं। यह ठीक है कि हम आदर्श की बात सोचते अत्यन्त उदार और भावुक बन जायें और भावुक बन कर व्यवहारिकता की सतह से ऊपर उठ कर अपनी निगाहों को रखें, पर मैं समझता हूं कि हमारी ये शुभ धारणायें भविष्य में हम को धोखा देंगी। दुनिया में और भारत में अभी ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, जिनकी आशा नहीं की जा सकती है। कई लोग तो इस के आदी हो जाते हैं और कठोर अपराध कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यदि हम अमुक अपराध को करेंगे, तो अधिक से अधिक हम को आजन्म कैद की सज़ा होगी और मेरे पड़ौसी, मेरे वकील मुझे बचाने में मेरी सहायता करेंगे और न्यायालय भी सदयता का व्यवहार कर के हम को फांसी की सज़ा नहीं देगा और हम को केवल आजन्म कैद की ही सज़ा देगा। हमने देखा है कि बहु-तेरे न्यायलयों में मरडर केसेज़ में ९५ प्रतिशत अभियुक्तों को आजन्म कैद की सज़ा होती है। उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता। आप हिन्दुस्तान के आज के नहीं पिछले बीस सालों के आंकड़े उठाकर देखें कि जिन लोगों पर कत्ल का जुर्म साबित हो गया है उनमें कितनों को फांसी की सज़ा दी गयी है। हमने यह भी देखा है कि जिन लोगों को आजन्म कैद की सजा दे जाती है उनकी सजा शुभ अवसरों पर कम कर दी जाती है और माफ भी कर दी जाती है।

फर्ज कीजिये कोई बीस वर्ष का आदमी है और वह किसी को कत्ल करने का विचार करता है तो वह सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे बीस साल की सजा हो जायेगी, अभी मेरी उते बीस साल है, सजा काटने के बाद भी मैं बीस साल और जिन्दा रह सकूंगा, और इस भावना के कारण वह कत्ल का जुर्म कर देता है। हमने देखा है कि इस भावना के अधीन कुछ लोग औरों से बदला चुकाने का षड़यंत्र रचते हैं और कत्ल करते हैं। ऐसे लोगों के दिल कठोर होते हैं। जब तक ऐसे आदमियों को हम कैपीटल पनिशमेंट (मृत्यु दंड) नहीं देंगे तब तक हम देश में अमन और शान्ति कायम नहीं कर सकते।

आज हमारे न्यायालय भी सभ्य जगत के वातावरण को देखकर अधिक उदार हो गये हैं। इस कारण अपराधी मन में यह समझ बैठे हैं कि अगर हम अपराध कर लेंगे तो हमारी वकील हमारी रक्षा कर लेंगे। आपको पता होगा, और हमारा भी यह अनुभव है कि इस कारण आज देश में ऐसे

अपराध हो रहे हैं कि जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल हैं। आज केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास ऐसे प्रचुर साधन नहीं है कि वे इन जघन्य अपराधों का पता लगा सकें। यदि पता लग भी जाता है तो कानून ऐसा पेचादी है कि ऐसे अपराधियों को सजा दिलवाना कठिन होता है और अगर सजा दी भी गयी तो कठोर से कठोर अपराध करने पर भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। और मृत्यु दंड अगर दिया भी जाता है, तो हमने देखा है कि उच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से वह कम कर दिया जाता है यानी आजन्म कैद की सजा में बदल दिया जाता है या माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा आज न्यायलयों में अभियुक्त को शंका का फायदा इतना ज्यादा दिया जाता है कि अभियुक्त अक्सर बच जाता है। अगर बचाव पक्ष का वकील कहीं पर केस में कोई कमजोरी बतला देता है और उसको साबित कर देता है तो मामला ठंडा पड़ जाता है और अभियुक्त बच जाता है, उसको आजन्म कैद की सजा भी नहीं मिलती।

हमने यह भी देखा है कि एक एक आदमी कई कई कत्ल कर देता है, फिर भी हम कहते हैं कि उसे क्यों मृत्यु दंड दिया जाये। इस प्रकार लोग सभ्यता की भावना में आकर हमारे समाज पर असभ्यता लादे रहे हैं। यदि यही क्रम जारी रहा तो हम अपने देश में अमन और शान्ति कायम नहीं कर सकेंगे। हम देखते हैं कि आज दंडविधान में सुधार की भावना के कारण देश में अराजकता फैल रही है और फैलायी जाती है। कानून बहुत ढीला है। अदालतें आदर्शवादी हो रही ह। बचाव पक्ष बहुत मजबूत हो रहा है और हमने देखा है कि जनमत भी कभी अपराधियों के प्रति दयावान हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस बेचारे ने अगर अपराध किया है तो किसी परिस्थिति वश किया है, क्यों न इसको छोड़ दिया जाये। आज ऐसी भावना लोगों के मन में बैठ गयी है। जिन लोगों का ध्येय कोई न कोई अपराध करना होता है वे जनता की इस मनोवृत्ति का नाजायज लाभ उठाते हैं और कानून से डरते नहीं हैं। वे जानबूझ कर अपराध करते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को लोगों में यह भावना नहीं फैलानी चाहिये कि चूंकि अब भारत आजाद हो गया है इसलिये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर यह मृत्युदंड लाया था उसको हटा दिया जाये। यह बात लाभ कर नहीं होगी। आज हम तमाम चीजों को एबालिश करते जा रहे हैं। व्हिपिंग एबालिश (बेंत मारने का दण्ड बंद) कर दिया गया । अब लोगों के दिमाग में यह बात भी आने लगी कि क्यों न कैपीटल पनिशमेंट को भी खत्म कर दिया जाये। आज आवश्यकता तो और चीजों को लाने की है, एबालिश करने की नहीं है। पर मैं और चीजों के लाने को नहीं कहता। लेकिन मैं इस मृत्यु दंड को हटाने के पक्ष में नहीं हूं। हमारा देश विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न विचारोवाले लोगों का देश है, यह एक उप महाद्वीप है। हमारे इतने बड़े ३६ करोड़ के देश में इस कैपीटल पनिशमेंट का उपयोग बहुत ही कम होता है। लाखों केसेज़ में से एक दो में इसका उपयोग होता है। मैं आपको इसका नमूना बतलाऊं। हम राज्य में अखबारों में देखते हैं एक साल में एक या दो आदमी को कैपीटल पनिशमेंट दी जाती है और वह भी बाद में माफ हो जाती है। यदि ३६ करोड़ की आबादी में साल में ६ आदमियों को कैपीटल पनिशमेंट हो भी जाये तो उसका असर यह होता है कि लोगों में भय का संचार होता है और इस भय के कारण वे लोग जो कि कोई जघन्य अपराध करने का इरादा रखते हैं उससे पीछे हट जाते हैं, और इस कारण केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अमन और व्यवस्था शान्ति कायम रखने में बहुत सुविधा होती है। हम इस भय संचार के लिये इस सजा का अपने स्टेट्यूट बुक (संविधि पुस्तक) में रहना पसन्द करते हैं। ताकि हमारे देश में अमन और शान्ति कायम रह सके, ताकि देश में हजारों लोगों को कतिपय लोगों के भय से मुक्त रखा जा सके। चाहे हमको लोग असभ्य कहें कि हम मृत्यु दंड को नहीं हटाते, तो भी मैं यह पसन्द नहीं करूंगा कि इसको इस देश से हटा दिया जाये क्योंकि इस सज़ा के रहने से हम बड़ी संख्या में लोगों को कतिपय अपराधियों के अत्याचार से बचा सकते हैं।

इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बिल को वापस ले लें। जिस प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजा जा रहा है मैं देखता हूं कि उस समिति के सदस्यों को कानून का अ ब स भी नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रवर समिति तो दूसरे बिल के लिये है। इस बिल के लिये कोई प्रवर समिति नहीं है।

श्री जांगड़े : माफ कीजिये।

हमारी संसद देश की प्रतिनिधि संस्था है और देशवासियों के हितों की रक्षा करती है और लोगों के हित में काम करती है। हम एक आदमी को बचाने के लिये हजारों आदमियों को खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये और कैपीटल पनिशमेंट को रहने दिया जाये।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : माननीय सदस्य ने जो विषय सभा के सामने इस समय उपस्थित किया है वह बहुत ही गम्भीर और विचार करने लायक विषय है। वह विषय ऐसा नहीं है कि जिस पर हम आसानी से अपने विचार कायम कर सकें और जल्दी से अपनी दंड विधान में संशोधन कर लें। लेकिन यह विषय ऐसा भी नहीं है कि इसके बारे में यह कहा जाये कि यह विचारणीय विषय नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, बहुत से दूसरे देशों ने इसके सम्बन्ध में निर्णय भी किया है, बहुत से देश इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार भी कर रहे हैं और इसके सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने के लिए लोकमत को भी तैयार कर रहे हैं।

अगर हम विभिन्न देशों की दंड प्रणाली का अध्ययन करें तो हमको स्पष्ट मालूम होगा कि जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता का विकास होता गया है, जैसे जेसे शिक्षा का प्रचार होता गया है, वैसे वैसे दंड प्रणाली में परिवर्तन होता गया है और उस परिवर्तन का क्रम ऐसा मालूम होता है कि आरम्भ में मानव जाति ने जो दंड प्रदान का तरीका अख्तियार किया था उसमें धीरे धीरे सुधार होता गया है। जहां तक मेरा विचार है दंड देने के पीछे तीन प्रकार के विचार रहे हैं। एक विचार तो बदला लेने का है, अर्थात् यदि किसी में उस समय के कानून के खिलाफ, या समाज के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ काम किया तो समाज के मन में यह भावना होती थी कि उससे उसका बदला लेना चाहिये। दूसरा विचार दंड देने के पीछे यह रहा है कि ऐसा दंड दिया जाये कि जिसके भय से आगे कोई समाज विरोधी कार्य न करे। और तीसरा विचार दंड देने के पीछे रह रहा है कि जो आदमी समाज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करता है तो वह ऐसा दूषित मनोवृत्ति के कारण करता है, और इसको एक प्रकार की बीमारी समझा जाता है जो कि समाज के वातावरण के कारण उसमें पैदा हो गयी है और उसके वश होकर उसने वह अपराध किया है, इसलिये उसका सुधार होना चाहिये। यह तीन प्रकार की भावनाएं हैं। जैसे-जैसे मानव समाज सभ्यता की दिशा में आगे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे यह जो हमने तीन बातें सुधार की कही हैं, अपराध शास्त्र में सुधार के ऊपर विशेष ज़ोर दिया जाता है और यह माना जाने लगा है कि मनुष्य जो कुछ अपराध करता है, चाहे किसी प्रकार का अपराध करता हो, वह न केवल एक व्यक्तिगत बीमारी है बल्कि उनमें समाज की उस समय की जो स्थिति होती है उस समय की जो व्यवस्था होती है, उस समय की जो आर्थिक नीति होनी है या उस समय समाज का जैसा संगठन रहता है उस सब का असर जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका असर उस पर होता है। वैसे तो हमारे दंड विधान में बहुत सी दंड की व्यवस्थाएं हैं और उनमें इस समय जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस विधेयक के उद्देश्य में बतलाया गया है कि कुछ ही दिन पहले इस सभा ने देश में से कोड़ेबाज़ी के दंड को उठा दिया। मैं यह मानता हूं कि कोड़ेबाज़ी का दंड वर्तमान अवस्था में उचित नहीं है लेकिन अगर विचार किया जाय तो आपको मालूम हो जायगा कि कोड़ेबाज़ी की सज़ा ऐसे-ऐसे अपराधों के लिये रक्खी गई है जो कि बहुत भयंकर है और जिनको कि रोकना बहुत ज़रूरी है और अगर उन अपराधों को हम न रोकें और अपराधियों को हम यह कठोर दंड न दें जिसमें कि भविष्य में लोगों में डर पैदा हो जाय

और ऐसे अपराध फिर न हों, तो समाज में अनाचार फैल सकता है, फिर भी हमारी संसद् ने कोड़े-बाज़ी के विषय पर विचार किया और उसने यह राय प्रकट की आज की हमारी वर्तमान अवस्था में कोड़ेबाज़ी की सज़ा अनावश्यक है। हम जिस अपराध के लिये बेंतों की सज़ा देते हैं उसी अपराध को हम दूसरे तरीक़े से बंद कर सकते हैं और रोक सकते हैं और ऐसे लोगों के मनोभाव को शुद्ध कर सकते हैं और सुधार सकते हैं जो किसी कारणवश और किसी उत्तेजनावश ऐसा अपराध कर बैठते हैं और जिसके कि लिये उनको बेंतों की सज़ा दी जानी चाहिये।

इसी आधार पर मैं यह समझता हूं कि हमें इस विषय पर विचार करना चाहिये। आज देश की जो वर्तमान अवस्था है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है और जिस तरीक़े का शिक्षा का प्रचार अभी तक हमारे देश में हुआ है उसको देखते हुये मैं यह तो तत्काल नहीं कह सकता कि इस कैपिटल पनिशमेंट (मृत्यु दण्ड) को उठा लिया जाय। यह ठीक है कि हमारा एक सभ्य समाज है लेकिन वह सभ्यता की जो ज्योति है उसको हम अपने करोड़ों भाईयों तक नहीं पहुंचा सके हैं और चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक न्याय की स्थापना का सवाल है, उसमें हमने अभी थोड़ा सा क़दम बढ़ाया है और इसलिये आज की अवस्था में मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह जो मृत्यु दंड है इसको हटा दिया जाय, लेकिन साथ ही मैं यह समझता हूं कि अब समय आ गया है जब हम लोग जो इस संसद् में बैठे हैं और जो दूसरे देश के नागरिक हैं जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं और एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उन सब के लिये यह समय अवश्य उपयुक्त है कि इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मैं चाहता था कि एक प्रस्ताव के रूप में इस पर विचार होता, एक कमिशन (आयोग) की नियुक्ति होती और एक कमेटी बनाई जाती जिसमें अपराध शास्त्र को जानने वाले या जिनको इस बात का कुछ अनुभव प्राप्त है और जो जेलों के प्रबन्धक रहे हैं और जिनको अपनी जिन्दगी में अनुभव है कि अपराध करके एक अपराधी जेल में कैसे जीवन व्यतीत करता है, उसकी कैसी मनोदशा होती है और कैसे उसमें सुधार होता है और जिनको कि हम आजीवन कारावास का दंड देते हैं उन लोगों का या जो जेल से सज़ा काट कर बाहर निकलते हैं उनका किस तरह का भाव होता है, जिन लोगों ने इन सब बातों का अध्ययन किया है, ऐसे लोगों का अगर एक कमिशन नियुक्त किया जाता और अन्य समाज सुधारकों की भी राय ली जाती तो मैं समझता हूं कि वह उचित होता।

अभी जो विधेयक हमारे माननीय सदस्य ने रक्खा है, मैं उसका समर्थन तो नहीं करता लेकिन साथ ही उसके मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देखें कि आया हम अपने देश की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में इस मृत्यु दंड को दूर कर सकते हैं या नहीं। यह सभ्य समाज के लिये एक चुनौती के समान है क्योंकि एक तरफ़ एक व्यक्ति की हत्या हो, अब हत्या करने के समय उसकी क्या मनोदशा होती है, मैंने तो उसका अध्ययन नहीं किया है लेकिन देश के अंदर जितनी हत्याएं होती हैं और उस सम्बन्ध में न्यायालयों के जो फ़ैसले आदि से अंत तक होते हैं उन तमाम फ़ैसलों का अगर अध्ययन किया जाय तो मैं समझता हूं कि इस बात का पता अवश्य लग जायगा कि जिन मनुष्यों को हत्या करने के अपराध में दंड दिया गया, उनमें से कितने ही ऐसे थे जो कि निरपराध थे और जिन्होंने कि हत्या वास्तव में नहीं की थी और यह किस को नहीं मालूम है कि अदालतों में किस तरीके से ग़लत गलत गवाहियां देकर पुलिस उन व्यक्तियों को उन हत्याओं के लिय ज़िम्मेदार साबित कर देती हैं और न्यायालयों द्वारा उन बेचारों को सज़ा दे दी जाती है। ख़ून के मामले में किस को पता नहीं है कि किस तरह से पुलिस लोगों को फांस लेती है और झूठी गवाहियां अदालत में पेश करके सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाती है। आख़िर जो व्यक्ति ख़ून करने वाला है और जो उसके विरुद्ध गवाही देने के लिये पुलिस बुलाती है वे दोनों उसी एक समाज के दो अंग हैं। इसलिये हमारे लिये यह विचार करने की बात है कि आज की वर्तमान अवस्था में क्या यह मृत्यु दंड क़ायम रखना हमारे वास्ते उचित होगा। अगर किसी आदमी ने हत्या की तो उसके बदले में उसकी जान ले ली जाय, यह सभ्य समाज के लिये दरअसल एक चुनौती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारा सामाजिक संगठन है, हमने जो पुलिस क़ायम की है, हमने जो न्यायालय क़ायम किये हैं या हमारे देश के अन्दर जो गवाही देने का सिस्टम है, जिस प्रकार की आई विटनेस और सरकमस्टांशियल एविडेंस होती है, क्या दरअसल में वह आदर्श चीज़े हैं और न्यायालों में जो

[श्री श्रीनारायण दास]

इस सम्बन्ध में फ़ैसले होते हैं क्या वे सोलह आने सही होती हैं? ऐसे-ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें बावजूद इस बात के कि किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध में फांसी दे दी गई और बाद में पता चला है कि वास्तव में वह हत्या करने वाला नहीं था। इसलिये ऐसी अवस्था में यह ज़रूर विचार करने की चीज़ है कि जो व्यक्ति हत्या करता है वह क्या किसी उत्तेजनावश में आकर हत्या कर सकता है या तो किसी के प्रलोभन देने पर वह ऐसा अपराध कर बैठता है और इन या और दूसरी अवस्थाओं में उसमें हत्या करने की भावना पैदा होती है, अवश्य ही वह निन्दा करने की चीज़ है लेकिन एक व्यक्ति विशेष के मन में क्यों इस तरह की भावना पैदा होती है और आया उस व्यक्ति विशेष में कोई ऐसी इनहैरेंट (निहित) छिपी चीज़ नहीं है या उसके लिये समाज भी कुछ हद तक उत्तरदायी है, यह विचार करने की चीज़ है, यह हमारे लिये और आज के सभ्य समाज के लिए अवश्य एक चुनौती है और अगर यह चुनौती है तो उसको हमें विभिन्न स्तर पर लोकमत को साथ में लेकर और जो उस दंड शास्त्र के ज्ञाता हैं, अपराध शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया है, उन लोगों की राय इस सम्बन्ध में ली जाय। वैसे अन्तिम निर्णय इस बारे में करने का अधिकार तो हमारी इसी संसद् को है लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में राय लेने के लिये यह उपयुक्त समय है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संसद् का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट किया और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार एक कमिशन बैठा करके इसके पक्ष में और विपक्ष में लोगों का क्या ख्याल है यह जानने की कोशिश करे। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में इस तरह का एक कमिशन नियुक्त हो और वह इस विषय के तमाम पहलुओं पर हर दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से और यह चीज़ ध्यान में रख कर कि किस तरह का हमारा पुलिस का संगठन है और न्यायालयों में किस तरह का न्याय होता है उन सब बातों को ध्यान में रख कर विचार करे कि इस सम्बन्ध में क्या करना उचित है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये ज़रूर एक चुनौती है और उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिये और उस विषय में अध्ययन करने के लिये और छानबीन करने के लिये इस बिल को पास करने के बजाय अगर सरकार एक कमिशन नियुक्त करे जो इस बारे में सब जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट संसद् के सामने पेश करे तो अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल को अभी पास करने के लिये तो समर्थन नहीं करता लेकिन मैं यह सुझाव दूंगा और मुझे मौक़ा रहा तो मैं यह संशोधन देता कि इसको लोकमत जानने के लिये भेजा जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रघुवीर सहाय के ५·२५ पर एक संशोधन दिया है जिसमें कहा गया है कि विधेयक को दिसम्बर १९५६ तक लोकमत प्राप्त करने के लिए परिचालित किया जाये। क्या सरकार इसे स्वीकार करती है।

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : क्यों कि ६ बज चुके है अतः मुझे तो अब और नहीं बोलना चाहिये। वस्तुतः सरकार ने राज्यों से परामर्श किया था और हमें विभिन्न राज्यों के मत मिले हैं। उनमें अधिक इस प्रस्ताव के विरुद्ध हैं। अब इस सभा को विचार करना चाहिये और सरकार को भी विचार करना चाहिये कि इसे सब राज्यों में नहीं जिन्हें पहले भेजा जा चुका—वरन् सामान्य रूप से उच्च न्यायालयों और अन्य विभिन्न निकायों आदि में परिचालित करने का लाभ होगा। मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव दूंगा। विधि आयोग कर रहा है। विधि आयोग से कहा गया है ....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संशोधन को स्वीकार करना चाहती है।

†**श्री विश्वास** : इसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसके पश्चात लोक-सभा शनिवार, २५ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १३८१

भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत व्याख्यात्मक टिप्पण सहित अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. १६४५, दिनांक २१ जुलाई, १९५६ की एक प्रति।

विधेयक पारित १३८२–९८

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया गया और पारित किये गये।

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक

(३) सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में

विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित . १३९८-१४०५

राजस्व तथा रक्षा व्यय मंत्री श्री अ०चं० गुह द्वारा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कुछ चर्चा के पश्चात् डा० लंका सुन्दरम् ने प्रस्ताव रखा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया गया।

विधेयक विचाराधीन १४०५–१५

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) ने राज्य-सभा द्वारा पारित के रूप में भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस पर चर्चा हुई तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १४१५–१६

उनसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित १४१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक श्री झूलन सिंह द्वारा पुरःस्थापित किया गया।

[दैनिक संक्षेपिका]

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक प्रवर समितिको सौंपा गया . . १४१६-२०

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने विधेयक प्रवर समिति को सौंपने के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया। संशोधन स्वीकृत हुआ तथा विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया गया। १४२७-२८

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वापस लिया गया . . . १४२०-२२

संविधान (छठी अनुसूची में संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव श्रीमती खोंगमेन द्वारा प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा हुई। विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन . . . १४२२-३४

दण्ड विधि संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव श्री मु०ला०अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, २५ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक और भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक पर विचार तथा उनका पारण। स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक और राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में बाल विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव। वजन तथा माप तोल और मानदण्ड विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा।

———————